खण्ड-400, अंक-6
बुधवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1912
(20 फरवरी, 1991 ई0)

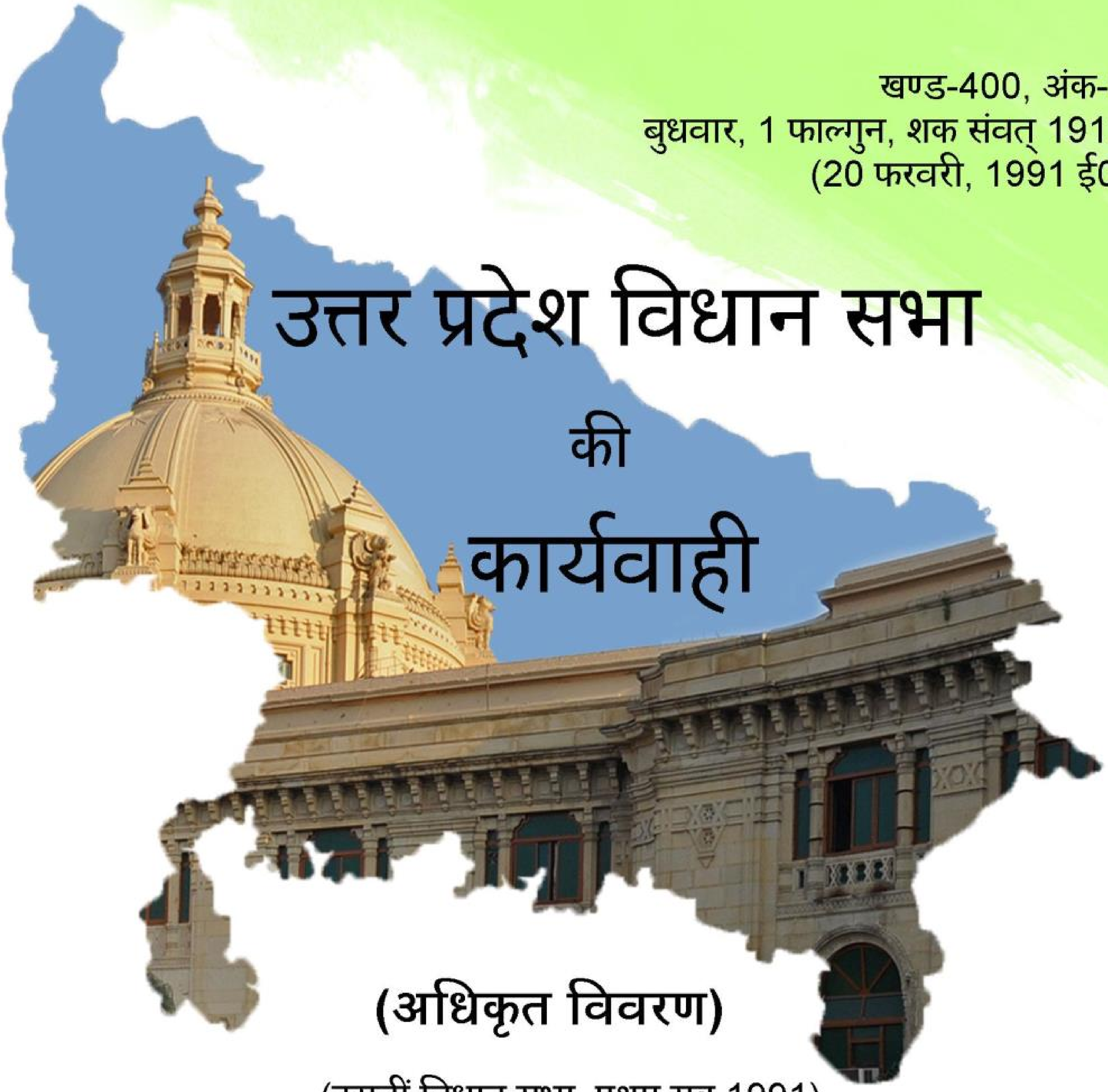

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1991)

खण्ड 400 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1991

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय]	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
प्रश्नोत्तर	1–73
वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री भोपाल सिंह, श्री बाबू सिंह तथा श्री दशरथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार	74–77
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम, श्री सैयद साजिद हुसैन, श्री केशभान राय तथा श्री राजाराम के निधन पर शोकोद्गार	78–81
नत्थियां	82–94

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार दिनांक 20 फरवरी, 1991

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अली, श्री	जालौन
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी श्री	गाजीपुर
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महाराजगंज
अरुण कुमार सिंह "मुन्ना", श्री	जौनपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
इन्दल सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर
ऐदल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश दिवाकर, श्री	फिरोजाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	गाजीपुर
कमाल अहमद रिजवी, श्री	खीरी
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कृपा शंकर आर्य, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार नवमान, श्री	अलीगढ़
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद
गनपत सिंह, श्री	महाराजगंज
गोमती यादव, श्री	आजमगढ़
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा
चन्द्र विजय सिंह, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर सिंह, श्री	बस्ती
जगदीश लाल, श्री	महाराजगंज
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयसिंह यादव, श्री	प्रतापगढ़
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री	मथुरा
तेजपाल, श्री	बिजनौर
दयाराम भास्कर, श्री	आजमगढ़
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
दौलतराम, श्री	बदायूं
धनीराम वर्मा श्री	इटावा
धर्मपाल, श्री	बहराइच
धर्मपाल, श्री	बुलन्दशहर
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नजमुद्दीन, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेश चन्द्र उत्तम, श्री	फतेहपुर
निरवेन्द्र कुमार, श्री	खीरी
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
नेमपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
पंचाननराय, श्री	आजमगढ़
पुष्पादेवी, श्रीमती	बदायूं
प्रवीण सिंह, ऐरन, श्री	बरेली
फौजदार प्रसाद, श्री	मऊ
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बल्देव सिंह, श्री	बिजनौर
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
बृजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
महावीर सिंह "आजाद", श्री	मुजफ्फरनगर
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र सिंह माहरा, महू भाई, श्री	पिथौरागढ़
मास्टर कंवरपाल, श्री	सहारनपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुहम्मद सईद "अमर", श्री	सिद्धार्थनगर
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद उल्लाह चौधरी, डा0	मुरादाबाद
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
युवराज सिंह, श्री	हमीरपुर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री	इटावा
राकेश कुमार पालीवाल, श्री	फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजपती देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र सिंह, श्री	हमीरपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम औतार मिश्र, श्री	शाहजहांपुर
राम दुलारे सिंह, श्री	इलाहाबाद
राम बचन धूसिया, श्री	बलिया
राम मूरती सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
राम सेवक सिंह, श्री	बदायू
रामेश्वरी, श्रीमती	बिजनौर
रिवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री	गोण्डा
रुद्र प्रसाद, श्री	मिर्जापुर
रेशमा आरिफ , श्रीमती	कानपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विनोद कुमार चौधरी, श्री	लखनऊ
विपिन बिहारी, श्री	हरदोई
विशुन दयाल, श्री	बहाराइच
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
शिव करन सिंह, श्री	बाराबंकी
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिव राज सिंह चौहान उर्फ पी० टी० आई०, श्री	मैनपुरी
शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री	जालौन
शेख मोहम्मद सुलेमान, श्री	बिजनौर
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्री प्रकाश उर्फ ज्ञानू, श्री	आजमगढ़
संत बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सत्यप्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
समीउल्ला, श्री	गोण्डा
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सरस्वती तिवारी, श्रीमती	अल्मोड़ा
साहब सिंह, श्री	मेरठ
सी० वी० इनिस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा०	बांदा
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री	फतेहपुर
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हर फूल सिंह, श्री	सहारनपुर
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 1991

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री हरी किशन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद लखनऊ में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान प्राप्त अवैध आग्नेयास्त्र

*1 श्री उमानाथ सिंह तथा श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 90/जनवरी, 91 में लखनऊ में हुए साम्प्रदायिक दंगों को रोकने हेतु अवैध आग्नेयास्त्रों की तलाशी के आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो तलाशी के दौरान कुल कितने अवैध असलहे आदि बरामद हुए? क्या यह सही है कि उस तलाशी का कार्य बीच में ही रोक दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (मुलायम सिंह यादव)---

प्राप्त सूचनानुसार माह दिसम्बर, 1990 एवं माह जनवरी, 1991 में लखनऊ नगर क्षेत्र में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के संबंध में उन स्थानों पर जहां कोई बम विस्फोट की घटना हुई थी या कोई अवैध अग्नेयास्त्र होने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। सामान्य रूप से तलाशी का कोई आदेश नहीं दिया गया था। इसी अवधि में नगर क्षेत्र लखनऊ से थानावार बरामद अवैध आग्नेयास्त्रों/विस्फोटक सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है:---

(1) थाना सहादतगंज से---माह दिसम्बर, 1990 में बम विस्फोट की घटना के समय तलाशी के दौरान विस्फोटक बम बनाने की सामग्री बरामद हुई थी।

(2) थाना ठाकुरगंज से:---माह जनवरी, 1991 में अवैध पांच बम बरामद हुए थे, जिनके संबंध में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। इसी अवधि में माह दिसम्बर 1990 में चेकिंग के दौरान रास्ते में व्यक्तियों के पास से 02 रिवाल्वर, देशी 38 बोर 10 कारतूस एवं 05 कारतूस 12 बोर के नाजायज बरामद हुए थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उद्योग शून्य घोषित जनपदों की संख्या तथा उद्योग स्थापना हेतु दी जाने वाली रियायतें

*2---श्री पंचानन राय---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कौन-कौन से जनपद उद्योग शून्य घोषित हैं? क्या ऐसे जनपदों में उद्योग स्थापित करने वालों को रियायतें प्रदान की जाती हैं? यदि हां, तो क्या जनपद आजमगढ़ उद्योग शून्य जिले की श्रेणी में है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रदेश में निम्नलिखित जनपद भारत सरकार द्वारा उद्योग शून्य घोषित हैं:---

1---बांदा
2---फतेहपुर
3---हमीरपुर
4---जालौन

नोट---प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

5---जौनपुर
6---सुल्तानपुर
7---कानपुर देहात
8---चमोली
9---पौड़ी गढ़वाल
10---टेहरी गढ़वाल
11---उत्तरकाशी

जी हां।

जनपद आजमगढ़ उद्योग शून्य जनपद की श्रेणी में नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा उद्योग शून्य जनपदों की घोषणा की गयी थी, एवं उनकी परिभाषा के अनुसार जनपद आजमगढ़ की श्रेणी में नहीं आता है।

[बुधवार दिनांक 20-2-91 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री रामस्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा अग्रसारित पत्रों में, सन्दर्भित क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

*1---श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित दो पत्र दिनांक 11-1-90 के प्राप्त हुए हैं जिनमें सन्दर्भित क्षेत्र के 27 ऐसे गांवों में अविलम्ब बिजली देने की प्रार्थना की गयी है जहां पर बिजली के खम्भे डाले जा चुके हैं और 25 ऐसे गांव हैं जहां के लोग विद्युत कनेक्शन लेने के लिए बेहद उत्सुक हैं? यदि हां, तो सरकार पत्रों में वर्णित 52 गांवों को क्या इस साल ऊर्जा कनेक्शन दे देगी?

श्री मुलायम सिंह यादव---

माननीय विधायक के दो पत्र दिनांक 11-1-90 के प्राप्त हुए हैं। जिसमें से एक पत्र 27 ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में हैं। किन्तु दूसरे पत्र में ग्राम कोरोआ और ग्राम बिदखु जनपद कानपुर देहात के पूरे गांव में इच्छुक व्यक्तियों को कनेक्शन देने हेतु लिखा गया है। 25 ग्रामों की सूची के साथ कोई पत्र परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रथम पत्र दिनांक 11-1-90 में दी गयी 27 ग्रामों की सूची में से 4 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स द्वारा किया जा चुका है। शेष ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा दूसरे पत्र दिनांक 11-1-90 में उल्लिखित ग्राम कोरौआ में 25 व्यक्तियों ने दिनांक 1-10-90 को कनेक्शन हेतु प्रार्थना पत्र दिये, जिन्हें दिनांक 12-11-90 को नियम व शर्तें प्रेषित कर दी गयी हैं। परन्तु किसी आवेदक द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। ग्राम बिदखुरी में एक पंखा-बत्ती, 2 औद्योगिक एवं एक निजी नलकूप के कनेक्शन चल रहे हैं। अन्य आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद बिजनौर के भा0 ज0 पा0 विधायक, श्री सुरेन्द्र सिंह की मार्ग दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारणों की जांच रिपोर्ट

*2---श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जनपद के भा0 ज0 पा0 विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह की मार्ग दुर्घटना में हुयी मौत के कारणों की जांच सरकार किस माध्यम से करा रही है एवं जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्न में उल्लिखित घटना की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के माध्यम से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

अपट्रान में कथित चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने की जानकारी

*3—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियां "अपट्रान" में नहीं लागू की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

उत्तर प्रदेश में चतुर्थ वेतन आयोग बैठा ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

*4—श्री राज किशोर सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता सहित कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन जिसके साथ नेता विरोधी दल का भी पत्र संलग्न था, दिनांक 15-7-88 को जनपद बाराबंकी के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता सहित कई विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र दिनांक 14-7-88 प्राप्त हुआ था परन्तु इसके साथ नेता विरोधी दल का कोई पत्र संलग्न नहीं था। आरोपों के संबंध में पुलिस उप महा निरीक्षक, फैजाबाद एवं अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराई गई। पुलिस उप महानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र की जांच में उन्हें दोषी नहीं पाया गया। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की जांच प्रचलित है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के उपभोक्ताओं से बकाये की उवसूली

*5—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का उपभोक्ताओं पर 31 मई, 90 तक कितना विद्युत कर बकाया है ? पांच लाख रुपये से अधिक के कौन-कौन बकायेदार विद्युत उपभोक्ता हैं और उन पर कितना-कितना बकाया है ? इनके विरुद्ध बकाया वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का उपभोक्ताओं पर 31 मई, 90 को कुल 665.99 करोड़ रु0 बकाया था। जिसमें विद्युत कर का 0.683 करोड़ रु0 बकाया सम्मिलित है।

31 मई 90 को 5 लाख रु0 से अधिक के कुल 265 बकायेदार थे जिनके विरुद्ध कुल 104.07 करोड़ रु0 बकाया था।

बकाये की वसूली हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

1—प्रत्येक विद्युत खंड में 50 सबसे बड़े बकायेदारों का सूचीकरण हो चुका है व उनसे वसूली का प्रतिमाह अनुश्रवण किया जा रहा है।

2--न्यायालयों में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु परिषद् में नवम्बर 88 से मुख्य अभियन्ता वाणिज्य के अन्तर्गत एक विधि कक्ष की स्थापना अलग से की जा चुकी है।

3--जिला अधिकारियों द्वारा भू-राजस्व की तरह वसूली हेतु बकाये के प्रेषित धारा-5 के अन्तर्गत प्रमाण पत्रों पर त्वरित वसूली हेतु विभिन्न स्तरों पर बैठकें की जा रही हैं।

4--राजस्व वसूली की गति को तेजकरने के लिए उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वर्ष 1990-91 में एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर विभिन्न स्तरों पर आवश्यक कार्य-वाही हेतु प्रेषित की जा चुकी है। इस कार्य योजना में उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:--

(क) बकाया वसूली के लिए राशि का विभिन्न स्तरों पर दायित्व निर्धारित किया गया है।

ख) बकायों की त्वरित वसूली हेतु विद्युत खंडों में प्रति माह शिविरों का आयोजन।

(ग) विद्युत विच्छेदन हेतु प्रत्येक खंड में विशेष अभियान।

(घ) स्थायी विच्छेदन मामलों का शीघ्र निस्तारण।

(ड) नये उपभोक्ताओं का समय से लेजरीकरण।

(च) विभिन्न स्तरों पर समय से सही मीटर रीडिंग व बिलिंग तथा राजस्व वसूली का दायित्व।

(छ) राजकीय देयों जैसे सिंचाई विभाग, जल संस्थान, स्थानीय निकाय के विद्युत देयों की वसूली हेतु विशेष अभियान।

6--श्री मिठाईलाल शास्त्री--
(10 वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

राज्य स्तर पर कृषि उपज एव कृषि उपकरण आयोग के गठन की मांग

7--श्री रघुबर दयाल वर्मा--
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे किक्या सरकार कृषि उपज के लाभकारी मूल्य निर्धारण और कृषि उपकरणों और कृषि उपज को बढ़ाने में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की कीमतों में तारतम्य कायम करने हेतु कृषि उपज एवं कृषि उपकरण आयोग का गठन करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--
जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा "कृषि लागत और मूल्य आयोग" गठित है, जिसको संस्तुत के आधार पर प्रमुख कृषि उपजों के अधिप्राप्ति सहायय मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। अतः प्रदेश सरकार के स्तर पर पृथकआयोग के गठन का औचित्य नहीं है।

किसानों से वर्ष में दो बार बिजली का बिल लेने की योजना पर विचार

8--श्री दया शंकर--
क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसानों से साल में दो बार बिजली का बिल लेने की योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की तहसील मऊरानीपुर में उद्योग लगाने हेतु उद्योगपतियों को लाइसेन्स एवं प्रोत्साहन प्रदान करने की योजनाए

9--श्री प्रागीलाल अहिरवार--

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि जिला झांसी की तहसील मऊरानीपुर में कोई उद्योग नहीं है ? यदि हां, [illegible] सरकार वहां उद्योग खोले जाने हेतु उद्योगपतियों को लाइसेन्स एवं प्रोत्साहन प्रदान [illegible] ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जनपद झांसीकेतहसील मऊरानीपुर में पावरलूम से टेरीकाट वस्त्रों के उत्पादन हेतु 118 इकाईयों स्थापित हैं। इस [illegible] तिरिक्त निजीक्षेत्र में अच्छे स्तर की 8 इकाईयां स्थापित करायी गयीहैं।

पिछड़े क्षेत्र होने [illegible] रण शासन द्वारा यहां उद्योग खोले जाने हेतु लाइसेंस एवं प्रोत्साहन वरीयता पर [illegible] ाने की योजनायें भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के गजरौला कस्बे में स्थापित कान्वेन्ट स्कूल की ननों के साथ घटित घटना से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही

10--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या गृह मं[illegible] की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के गजरौला कस्बे में कान्वेन्ट स्कूल की ननों के [illegible] जुलाई, 1990 में बलात्कार की घटना घटित हुयी है ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानसार घटना के सबध में अप0 स0 392/90 अन्तर्गत धार 394/376/506भा0द0वि0 [illegible] कराया गया था जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों द्वार दि012/13-7-90 की रात्रि में स्कूल में लूटपाट करने एवं दो ननों के साथ बलात्कार करने का उल्लेख किया गया था। घटना की विवेचना में स्थानीय पुलिस द्वारा तीन अभियुक्तोंको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त [illegible] न्यायालय में आत्म समर्पण किया। घटना की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान [illegible] भाग को अभिदिष्ट कर दी गई है।

पर्वतीय क्षेत्र में जनता को एक पोल से एक विद्युत कनेक्शन देने की मांग

11--श्री यशपाल--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय क्षेत्र में जनता को एक विद्युत पोल से 3 कनेक्शन दिये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पर्वतीय क्षेत्रों में पोल से घरों की दूरी को देखते हुए एक विद्युत पोल से एक कनेक्शन दिये जाने की नीति चालू करेंगे ? यदि [illegible] कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पर्वतीय क्षेत्रों में किसी भी ग्राम के प्रारम्भिक विद्युतीकरण के समय ग्राम में मकानों की सख्या के 50 प्रतिशत तक खम्भे लगाए जा सकते हैं। तत्पश्चात् और अधिक खम्भे तभी लगाए जा सकते [illegible] एक खम्भे पर कम से कम 3 उपभोक्ता उपलब्ध हों।

उपरोक्त नि[illegible] संशोधित करने का कोई विचार नहीं है।

जनपद गाजीपुर में विद्युत आपूर्ति [illegible] की मांग

12—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद जो प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपदों में से है, को बिजली की आपूर्ति के लिए "बी" श्रेणी में रखे [illegible] का क्या कारण है ? क्या सरकार गाजीपुर जनपद में विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु कोई [illegible] करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

विद्युत की निर्धारित नीति के अन्तर्गत विद्युत परिषद में नग[illegible] [illegible]ोई "बी", श्रेणी नहीं है। विद्युत परिषद में निम्न श्रेणी के नगर हैं:—

(क) महानगर
(ख) विशेष श्रेणी नगर
(ग) जिला मुख्यालय
(घ) प्रथम श्रेणी नगर

गाजीपुर नगर जिला मुख्यालय श्रेणी में आता है। गाज[illegible] [illegible]र की 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति एवं इसके ग्रामीण क्षेत्रों को 14 घंटे प्रतिदिन [illegible]युत आपूर्ति का यथा संभव प्रयास किया जाता है। गाजीपुर नगर की आपातकालीन कटौती [illegible] उन्हीं परिस्थितियों में की जाती है, जब विद्युत की मांग उपलब्धता के सापेक्ष बहुत बढ़ जाती है और विद्युत प्रणाली को पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए आपातकालीन कटौती करना अति आवश्यक हो जाता है।

जनपद बस्ती के मगहर में स्थित कताई मिल में [illegible] भयानक अग्निकांड की जानकारी

13—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-6-90 को सन्त कबीर की निर्वाण स्थली मगहर, जनपद बस्ती स्थित कताई मिल में भयानक आग के लगने से 4 करोड़ रुपये की मशीनें व सूत, कपास जलकर नष्ट हो गये ? यदि हां, तो आग [illegible] क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जांच से ज्ञात हुआ कि सर्वश्री सन्त कबीर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड, मगहर जिला बस्ती में दनांक 15-6-90 को (न कि दिनांक 18-6-90 को [illegible] अग्निकांड घटित हुआ।

यह दुर्घटना मिल के त्रुटिपूर्ण विद्युतीय अधिष्ठापन से घटित हुई।

मण्डी समितियों में कृषि यन्त्रों द्वारा किसानों एवं मजदूरों को शारीरिक क्षति होने पर सहायता की योजना

14—श्री निरवेन्द्र कुमार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में संचालित मण्डी समितियों द्वारा किसानों एवं मजदूरों को कृषि यंत्रों द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचने पर उनकी सहायता की योजना लागू करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार [illegible] कब तक लागू कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (शंकर सिंह)—

जी हां।

प्रश्नगत योजना को नये सिरे से लागू करने का प्रयास किया [illegible] है।

1 —श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा—

[1 ले सोमवार के ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से विकासित करने की योजना

*16—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने गोरखपुर में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को सबसीडी देने का विचार किया है ? यदि हां, तो सरकार सबसीडी कब से देना शुरू करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) तथ जौनपुर में सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) की स्थापना हो चुकी है, तथा 1.4.90 से नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है जिसमें उद्योगों हेतु अनेक योजनाओं के अन्तर्गत सुविधायें अनुमन्य हैं।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी परिषद् उ0 प्र0 द्वारा कृषि कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों की कृषि यन्त्रों से दुर्घटनाग्रस्त होने पर अनुदान सहायता की योजना

*17—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि कार्यों में कार्यरत कृषि यंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए अनुदान सहायता की योजना संचालित की गयी है और उसकी चालू रहने की अवधि मार्च 90 तक थी ? यदि हां, तो क्या इसको और आगे चालू रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शंकर सिंह—

जी हां। प्रश्नगत योजना के चालू रहने की अवधि दिसम्बर, 1989 तक थी।

उक्त योजना को नये सिरे से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य विद्युत परिषद में घाटे को पूरा करने का प्रयास—

*18—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में सर्वाधिक घाटा राज्य विद्युत परिषद् में है' जिसका प्रमुख कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा बड़े उद्योगपतियों और विभिन्न सरकारी विभागों पर बकाये की लम्बी धनराशियां हैं ? यदि हां, तो बिजली की दरों में कड़े रुख अपनाकर स्थिति को सुधारने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रदेश के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे से सम्बन्धित आंकड़े विद्युत परिषद् के पास उपलब्ध नहीं हैं। दिनांक 31—3—90 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे अभी तैयार किये जा रहे हैं। वर्ष 31—3—89 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त तक वर्ष 1988—89 के असम्प्रेक्षित लेखों के अनुसार विद्युत परिषद् का कुल घाटा रु0 594.31 करोड़ है।

घाटे के प्रमुख कारणों में एक कारण बड़े उद्योगों तथा विभिन्न सरकारी विभागों पर विद्युत बकाये की बड़ी धनराशि होना है जिस कारण विद्युत परिषद् को अन्य स्त्रोतों से ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है।

घाटे को कम करने के लिए विद्युत परिषद् द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस कारण घाटे को कम करने के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

19—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

शासन की समितियों के अध्यक्षों की सुविधा हेतु आवंटित धन उपयोग विवरण

*20—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की समितियों के अध्यक्षों को मंत्री पद की सुविधा दिये जाने के लिये सरकार ने 16 लाख 60 हजार रुपये माह अक्टूबर, 89 में विद्युत अनुरक्षण खण्ड–2 को आवंटित किया था तथा माह दिसम्बर, 89 में नयी सरकार के आते ही सभी समितियों के अध्यक्षों के पद समाप्त कर दिये गये ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस रुपये को किन किन मदों पर या किन-किन आवासों पर खर्च किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

समितियों के अध्यक्षों के आवासों में सिविल/विद्युत साज-सज्जा के लिये माह अगस्त, 89 में 2.50 लाख रु0, माह अक्टूबर, 89 में 18.92 लाख रु0 तथा माह अक्टूबर, 89 में 0,86 लाख रु0 कुल 22.36 लाख रु0 स्वीकृत किया गया था।

जी हां।

माह दिसम्बर, 89 में गठित मंत्रिमण्डल के 14 माननीय मंत्रियों, माननीय अध्यक्ष/माननीय, उपाध्यक्ष, विधान सभा, माननीय सभापति, विधान परिषद तथा माननीय नेता, विरोधी दल के आवासों पर सिविल/विद्युत साज-सज्जा उपलब्ध कराया गया।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद के थाना अकबरपुर में दर्ज ए फ.आई. आर. के अन्तर्गत अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग

1—श्री विमल प्रसाद तिवारी तथा श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

क्या गृह मंत्री मु0 अ0 संख्या–528/85यू एस/120/408/201/218/167, आई0 पी0 सी0 थाना अकबरपुर जिला फैजाबाद की सम्पूर्ण एफ0 आई0 आर0 को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विवेचना कब समाप्त हुई ? कौन-कौन उपराधी अब तक किस-किस धारा में गिरफ्तार किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा दिनांक 10–10–89 को समाप्त की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सलग्न है।

अभियुक्त बाबूराम त्रिपाठी को धारा 409/201/120 बी भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। उक्त धाराओं में वांछित दो अभियुक्त अतहर हुसेन व रामजन्म श्रीवास्तव ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित शेष अभियुक्त श्री एस0 एन0 कटियार व एस0 के0 सिंह के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था अतः उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 82 पर)

निरीक्षक, सी बी0 सी0 आई0 डी0 गोरखपुर द्वारा उ0 प्र0 राज्य कताई मिल अकबरपुर में हुई चोरी की घटना की जांच रिपोर्ट तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

2—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—93 के उत्तर के संबंध में क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन व्यक्तियों के विरुद्ध सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 ने बाद जांच मुकदमा दर्ज कराया है और उन लोगों पर क्या-क्या अभियोग हैं ? क्या यह सही है कि श्री एस0 के0 सिंह मुख्य अधिशासी व श्री कटियार कारखाना प्रबन्धक पद पर मऊ कताई मिल में अभी भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कैसे ? सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 ने अपने आरोप-पत्र में श्री एस0 के0 सिंह पर क्या आरोप लगाया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा ए0 सी0 जे0 एम0 द्वितीय फैजाबाद के न्यायालय में यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की अकबरपुर इकाई के 1—श्री बाबूराम त्रिपाठी, सुरक्षा रक्षक, 2—श्री राम जनक श्रीवास्तव, रीलिंग वाइंडिंग इंचार्ज तथा 3—श्री अतहर हुसैन, सहायक प्रबन्धक (विपणन) के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये गये थे। इन व्यक्तियों पर यह अभियोग थे कि मे0 चूड़ीवाला ब्रदर्स मऊनाथ भंजन नामक पार्टी को दिनांक 10—2 84 को भेजे जाने वाले माल में (ट्रक पर) 125 बोरे के स्थान पर 126 बोरे लादे गये तथा अन्य बोरो में निर्धारित मात्रा से 2 से 2.5 किलोग्राम माल अधिक था। श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अधिशाषी तथा श्री कटियार कताई अधीक्षक मिल में कार्यरत हैं, क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र नहीं दाखिल किये गये थे। सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 द्वारा आरोप पत्र में श्री एस0 के0 सिंह के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

3—श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी—
[दिनांक 23—1—91 को अता0 प्र0 सं0—127 द्वारा उत्तरित]

श्री आर. पी. भटनागर जनरल मैनेजर हरदुआगंज, थर्मल पावर स्टेशन के अकुशलता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4—श्री कल्याणसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री आर0 पी0 भटनागर जनरल मैनेजर हरदुआगंज, थर्मल पावर स्टेशन कासिमपुर, जिला-अलीगढ़ की अकुशलता के कारण उनके कार्यकाल में धन के दुरुपयोग एवं विद्युत उत्पादन में भारी गिरावट के संबंध में मुख्य मंत्री को सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 31—5—90 का कोई ज्ञापन शासन को मिला है ? यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित जनरल मैनेजर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

ज्ञापन में उल्लिखित जिन आरोपों पर जांच पूर्ण हो गयी है उनमें जनरल मैनेजर के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए हैं। जहां तक दिनांक 22—4—90 को पावर स्टेशन में आग लगने का प्रश्न है, इस संबंध में यह सूचनीय है कि मामले में तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच जारी है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आग्नेयास्त्रों का लाइसेंस देने हेतु ग्राम प्रधानों को बी. आई. पी. श्रेणी में जोड़ने की मांग

5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स दिये जाने हेतु बनायी गयी बी0 आई0 पी0 श्रेणी में ग्राम प्रधानों को भी जोड़ने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

अपराधों में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण आग्नेयास्त्रों के नये लाइसेंस जारी करने पर दिनांक 16—12—1985 से प्रतिबन्ध लगाया गया है। वर्तमान में जिन 7 श्रेणी के आवेदकों को नये लाइसेंस स्वीकृत किये जा रहे हैं (संलग्नक) उससे न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अतः इसमें अन्य श्रेणी के आवेदकों को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 83 पर)

जनपद सीतापुर के विकास खंड खैराबाद के ग्राम परसेड़ी तथा ऐलिया में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराने की मांग

6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद, परसेड़ी तथा ऐलिया में वर्ष 1987—88, 1988—89 तथा 1989—90 में कौन-कौन ग्राम एल0 टी0 मेंन्स में विद्युतीकृत करने हेतु चयनित किए गये? इनमें अबा तक किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका? इसका क्या कारण है? विद्युतीकरण क कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत विकास खण्डों के निम्न ग्रामो का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया था :—

1—विकास खण्ड खैराबाद

1987—88	1988—89	1989—90
1—मेमरी	1—कासिमपुर	1—नगरा
2—रायपुर	2—मंसूरपुर	
3—करियामऊ	3—पकरिया कैमहरा	
4—हुमायूंपुर	4—परसेहरा खुर्द	
5—सरवरपुर	5—धनका जलालपुर	
6—जैती खेड़ा	6—निजामाबाद	
	7—नेवादा	
	8—मुलायमपुर	

2—विकास खण्ड परसेण्डी

1—रामनगर
2—उल्जापुर
3—गुराईपुर
4—दनियालपुर
5—खदनिया

1—नौव्वा महमूदपुर
2—बन्नी शहपुर
3—हमिलिहा
4—खजुरिया
5—देना
6—फत्तेपुर
7—उमरी
8—धनाग
9—सौरापुर
10—ढुलई खुर्द

1—अढ़ावल खुर्द
2—गढ़ी
3—शेरपुर सरावन

3—विकास खण्ड एलिया

1—ऊल्लीपुर
2—केशवपुर

1—पिपरीकला
2—भेलावां
3—सेमरहन
4—पीतपुर
5—अंगरासी
6—जगना

1—कुसमा
2—टीकर बहादुरपुर

इनमें से अब तक निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हो सका है:—

1—विकास खण्ड खैराबाद

1—विकास खण्ड खैराबाद

1—करियामऊ
2—कासिमपुर
3—नेवादा
4—मुलायमपुर

इन ग्रामों के लिए सामान उपलब्ध हो गया है और विद्युतीकरण शीघ्र हो जाने की आशा है।

2—विकास खण्ड परसेंडी

1—नौव्वा महमूदपुर
2—अढावल खुर्द
3—गढी
4—विकास खण्ड एलिया

इन ग्रामों के लिए पूरा सामान उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो सका है।

3—शेरपुर सरावन

1—कुसमा
2—टीकर बहादुरपुर

इन ग्रामों का विद्युतीकरण सामान की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आगरा (प) विधान सभा क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु कार्यवाही

7—श्री किशन गोपाल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी में है कि आगरा (प) विधान सभा क्षेत्र में डकैती, लूटमार, राहजनी, कत्ल, अवैध शराब, जुआ सट्टा जैसे अपराध हो रहे हैं तथा थाना-शाहगंज में अवैध

शराब पान व दूध की दुकानों पर तथा कुछ बस्तियों के घरों पर खुले आम बिक रही है ? क्या इससे जनता को राहत दिलायी जायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार आगरा (पश्चिम) विधान सभा क्षेत्र में हत्या, लूट व डकैती जैसे संगीन अपराधों में वर्ष 1989 की तुलना में वर्ष 1990 में कमी आयी है। उक्त अपराधों तथा आबकारी एवं जुआ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अपराधों के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्यवाही की जाती रही है। यह असत्य है कि थाना शाहगंज जनपद आगरा में खुलेआम कहीं भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। वर्ष 1989 में 19 की तुलना में वर्ष 1990 में 62 अपराध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये जिससे स्पष्ट है कि प्रवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजीकृत अभियोगों में तत्परता से वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लिखित अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही के साथ संदिग्ध स्थानों पर समय-समय पर दबिशें दी जा रही हैं। पिकेट्स एवं रात्रि गस्त कड़ाई के साथ किया जा रहा है जिससे जनता को निरन्तर राहत मिल रही है।

जनपद लखनऊ के थाना बक्शी तालाब के ग्राम सरकपुर सरैया के श्री शिव कुमार के विरुद्ध चोरी के मामले में कार्यवाही की मांग

8---श्री मिठाई लाल शास्त्री--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6-7-90 की रात्रि को ग्राम सरकपुर सरैयां, थाना-बक्शी तालाब, जनपद-लखनऊ में चोरी करते हुए पकड़े गये चोर शिवकुमार के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त रात्रि की घटना तथा थाने पर लिखायी गयी रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त घटना को छिपाया है ? यदि हां, तो उक्त घटना के लिए दोषी पुलिस कर्म0/अधि0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बन्धित अभियुक्त (चोरी करते समय पकड़े गये व्यक्ति) के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 7-7-90 को थाना बक्शी का तालाब पर श्री शिवकुमार ने समय 1.00 बजे अपरान्ह श्री छोटे लाल के विरुद्ध दिनांक 6-7-90 को लगभग 8.40 बजे शाम को ट्यूबवेल पर बिजली ठीक कराने हेतु ले जाकर शराब पी ली तथा बिजली ठीक न करने पर मारने पीटने तथा गाली गलौज की रिपोर्ट एन0 सी0 आर0 न0 135/90 धारा 323/504 भा0 द0 वि0 दर्ज करायी।

दिनांक 7-7-90 को ही समय 1.10 बजे अपरान्ह श्री छोटे लाल ने जबानी अंकित कराया कि श्री शिव कुमार ने उक्त तिथि व समय पर मेरे ट्यूबलेल के पास से नशे में गुजरे और गाली दी तथा पिटाई की। यह रिपोर्ट एन0 सी0 आर0 न0 136/90, 324/504 भा0 द0 वि0 दर्ज की गई।

दिनांक 27-7-90 को श्री छोटे लाल के बयान के आधार पर उपरोक्त एन0 सी0 आर0 136/90 को अपराध संख्या 71/90 धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना से चोरी की शिकायत असत्य व निराधार पाई जाने के कारण उक्त अभियोग में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चोरी का अपराध होना नहीं पाया गया। अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के थाना फूलपुर के ग्रामकरुआडीह के श्री श्रीनाथ द्विवेदी का आत्म सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों का लाइसेन्स देने की मांग

9---श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक 28 फरवरी, 1990 व 1 मार्च, 1990 की रात्रि में ग्राम करुआडीह, थाना-फूलपुर जिला इलाहाबाद में श्री श्रीनाथ द्विवेदी के घर पर डकैती पड़ी थी जिसमें एक डकैत को चोट भी लगी थी परन्तु दूसरे डकैतों ने अपने घायल साथी को एक कुए में डाल दिया जहां से उसकी लाश पुलिस ने बरामद की ? यदि हां, तो इस डकैती का पता लगाने में क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ग्राम करुआडीह में किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी आग्नेयास्त्र का लाइसेन्स नहीं है और गांव वाले तथा श्री श्रीनाथ द्विवेदी व उनके परिवार के लोग असुरक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या श्री द्विवेदी को आग्नेयास्त्र का लाइसेन्स दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

प्रश्नगत डकैती के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना से मृतक के अतिरिक्त 6 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया तथा शेष दो अभियुक्तों में से एक अभियुक्त की दिनांक 30-6-90 को हत्या कर दी गई व एक अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं। ग्राम करुवाडीह के सर्वश्री देवेन्द्र नाथ, राम नाथ एवं राजमणि पाण्डेय के पास आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स हैं तथा सुरक्षा हेतु पुलिस गश्त की व्यवस्था की गई है। श्री श्रीनाथ द्विवेदी के दो पुत्रों को आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स देने का मामला विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद के सिरसा थाना मेजा के भा0ज0पा0 अध्यक्ष श्री श्री गोपाल जी सेठ तथा उनके नौकर के साथ घटित घटना में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

10---श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-6-90 को सायं 8 बजे के करीब सिरसा थाना मेजा जिला इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी सिरसा मण्डल के अध्यक्ष श्री गोपाल जी सेठ तथा उनका नौकर छोटे लाल द्विवेदी को 5 बदमाशों ने बम तथा पिस्तौल मार कर घायल कर दिया ? क्या उक्त घटना में गोपाल जी सेठ का बायां पांव कट गया है और करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान तथा 32 हजार नकदी लूटी गयी ? यदि हां, तो इस लूट में बदमाशों को गिरफ्तार करने तथा सामान एवं नकदी की बरामदगी के लिए पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या कोई मुलजिम गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

प्राप्त सूचनानुसार बम से आई चोट के कारण गोपाल जी सेठ का बांया पैर अस्पताल में काट दिया गया तथा गवाह छोटे लाल द्विवेदी ने अपने बयान में 81 हजार के नकदी व जेवरात लूटना बताया है। इस घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। दो अभियुक्त हाजिर अदालत हुए तथा अभियुक्त बनवारी के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में ब्लाक-कड़ा के भा0 ज0 पा0 अध्यक्ष श्री शिव भूषण मिश्र के निवास स्थान पर पड़ी डकैती का मामला तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही

11—श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-3-90 को भारतीय जनता पार्टी के कड़ा ब्लाक के अध्यक्ष श्री शिव भूषण मिश्र निवासी ग्राम-भैरोपुर डोलची थाना-सैनी जिला-इलाहाबाद के निवास स्थान पर डकैतों ने डकैती डाली और उनकी लाइसेन्सी राइफल तथा बारह बोर बन्दूक एवं कुछ अन्य सामान उठा ले गये? यदि हां, तो इस मामले में पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या इस मामले में किसी मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 17-3-90 को एक राइफल, एक बन्दूक-12 बोर व 49 कारतूस तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा उठा ले जाने के संबंध में श्री शिव भूषण मिश्र के पुत्र श्री राजीव मिश्र की सूचना पर थाना सैनी, जनपद इलाहाबाद में मु. अ. सं. 78/90 धारा 394 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ।

उक्त अभियोग के संबंध में की गई अब तक की विवेचना से अभी तक न तो कोई अभियुक्त प्रकाश में आया और न ही लूट के सामान ही बरामद हुए। मामले की विवेचना प्रचलित है।

श्री नजमुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा, ब्लाक हरहर से उन्नाव रोड को जोड़ने विषयक प्रेषित पत्र की प्राप्ति स्वीकृति का उत्तर सामान्य पत्र द्वारा देने पर अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

12—श्री नजमउद्दीन—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन को प्रेषित पत्रों की प्राप्ति स्वीकृति मंत्री/अधिकारी द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से दी जाती है ? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-3-90 जो मण्डी समिति इलाहाबाद द्वारा ब्लाक हरहर से उन्नाव रोड को जोड़ने से सम्बन्धित है, की प्राप्ति स्वीकृति सामान्य पत्र से दी गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकार का आचरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध मुख्य मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह—

जी हां।

जी हां।

संबंधित अधिकारी, जो मण्डी परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित किये जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

जनपद बाराबंकी के थाना-दरियाबाद के ग्राम ओडार मजरे सराय शाह आलम के निवासी श्री सुखराम द्वारा पत्नी के अपहरण के संबंध में पंजीकृत रिपोर्ट पर जांच की मांग

13—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-4-90 को श्री सूखराम निवासी ग्राम ओड़ार मजरे सरायशाह आलम थाना, दरियाबाद जनपद-बाराबंकी ने पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को अपनी पत्नी धनपता के अपहरण के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र दस्ती तथा उसी की एक प्रति उसी दिनांक को पंजीकृत डाक द्वारा दिया था जिसमें रिपोर्ट अंकित कर जांच किये जाने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोप क्या और किन व्यक्तियों के विरुद्ध है ? क्या रिपोर्ट अंकित करके जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप यह था कि ग्राम पैंगवापुर, थाना उमरी बेगमगंज, जिला गोण्डा के लल्लू यादव, बहादुर यादव, सुन्दर यादव, हरिप्रसाद यादव एवं हरिद्वार यादव तथा पड़ोसी गांव मोहद्दीपुर मजरे श्यामनगर, थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के ठाकुर मोहन सिंह सेमऊ यादव, सुरेश यादव, फली यादव तथा गुरुसरन यादव के साथ सहयोग करके थाने के उपनिरीक्षक श्री बंशराज भारती कान्स0 नागेश्वर यादव, कान्स0 बलराम ने प्रार्थी सुखराम की पत्नी श्रीमती धनपता को ग्राम ओड़ार से घर से निकाल कर जबरदस्ती लल्लू यादव आदि के साथ भगाने में उनकी मदद की और ग्रामीणों को धमकाया।

प्रार्थना-पत्र के आधार पर जांच कराई गई। जांच के मध्य यह पाया गया कि श्रीमती धनपता को शादी हिन्दू रीति-रिवाज से लल्लू यादव निवासी ग्राम पैंगवापुर, थाना उमरी बेगमगंज, जिला गोन्डा से हुई थी। लल्लू यादव से उसके पास 3 साल का लड़का भी है धनपता अपने पिता दौलत यादव निवासी ग्राम असदा, थाना परसपुर, गोण्डा के यहां चली आई थी। करीब 2 साल पूर्व वह अपनी बहन के जेठ प्रार्थी श्री सुखराज के साथ बतौर पत्नी ग्राम ओड़ार थाना दरियाबाद, बाराबंकी में रह रही थी। श्रीमती धनपता श्री सुखराम की व्याहता पत्नी नहीं है और लल्लू से कोई तलाक भी नही हुआ है। श्रीमती धनपता ने एक शपथ-पत्र, नोटरी से तस्दीक कराकर डाक द्वारा भेजा है जिसमें उसने अंकित किया है कि वह अपनी मर्जी से अपने पति लल्लू यादव के साथ चल आयी है। लल्लू यादव उसे उसकी बहन कृष्णपता के ग्राम ओड़ार जहां वह रह रही थी से ले आये थे। परन्तु प्रार्थी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई है जिसका निर्णय होने पर ही कोई कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

जनपद जालौन के वर्ष 1989-90 में ग्रामों का विद्युतीकरण

14-श्री शिवराम सिंह कुशवाहा---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में जनपद जालौन में कितने ग्रामों तथा निजी ट्यूबवेलों को विद्युतीकरण करने हेतु धनराशि जमा की गई और उनमें कितने ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया? शेष ग्रामों तथा निजी नलकूपों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा? वर्ष 1989-90 में जनपद जालौन में प्रदेश से उपलब्ध सामग्री से क्या-क्या कार्य कराया गया? क्या इसकी जांच किसी सक्षम इकाई से कराकर अनियमितता सिद्ध होने पर सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दण्डित किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्ष 1989-90 में जनपद जालौन में 85 ग्रामों के 2527 उपभोक्ताओं ने अपने भवनों में विद्युत संयोजन हेतु एवं 74 निजी नलकूप उपभोक्ताओं ने नलकूप उर्जीकरण हेतु धन जमा किया था। उनमें से उक्त वर्ष में 15 ग्रामों एवं 60 नलकूपों को विद्युतीकृत किया गया।

वर्ष 90-91 में जिला विद्युत उपभोक्ता समिति ने 27 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इनका विद्युतीकरण मार्च, 1991 तक हो जाने की आशा है। जनवरी 10, 1991 तक 10 निज नलकूपों का और विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष बचे चार नलकूपों को भी मार्च, 1991 तक विद्युतीकृत कर दिया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त बचे हुए 43 ग्राम का विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव जिला विद्युत उपभोक्ता समिति के समक्ष वर्ष 91-92 में रखा जावेगा। तत्पश्चात् निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ऊर्जीकरण की कार्यवाही की जायेगी जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

वर्ष 1989-90 में उपलब्ध सामग्री से 15 ग्रामों 24 हरिजन बस्तियों तथा 60 निजी नलकूपों का ऊर्जन किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुरक्षण कार्य 11 के0 वी0 एवं निम्न विभव के कार्य प्रणाली सुधार कार्य एवं राजकीय नलकूपों को दोष-मुक्त कराने हेतु विविध कार्य कराये गये।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरिलिखित कार्यों में कोई अनियमितता नहीं प्रतीत होती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद जालौन की भूमि संरक्षण की इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान की व्यवस्था

15—श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन की भूमि संरक्षण की इकाइयों में कितने-कितने कर्मचारियों का वेतन अवशेष है? इनका वेतन अवशेष का क्या कारण है? क्या इनके अवशेष वेतन के भुगतान हेतु शासन शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेगा? यदि हां, तो कब तक? क्या शासन भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेगा कि किसी कर्मचारी का वेतन भविष्य में न रोका जावे?

श्री शंकर सिंह—

जालौन जनपद की इकाइयों में 46 कर्मचारियों का वेतन अवशेष है। डी0 पी0 ए0पी0 की भूमि संरक्षण इकाइयों में क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कर्मचारी कम किये जाने से कर्मचारी सरप्लस हो गये। पदों के अभाव में वेतन आहरण न हो सका।

अन्य स्थानों में उपलब्ध रिक्त समकक्ष पदों के विरुद्ध इन कर्मचारियों का वेतन आहरण करने के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

व्यवस्था की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर की नगरपालिका थाना जलालाबाद के निवासियों द्वारा की गयी अनैतिक धन्धों की शिकायत

16—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर के जलालाबाद नगरपालिका थाना में देह-व्यापार व गिरहकटी का धन्धा बहुत जोरों पर है जिस पर तत्काल कार्यवाही हेतु जलालाबाद के निवासियों ने 23-5-90 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखकर इस ओर ध्यान देने का अनुरोध किया है? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्न में उल्लिखित जलालाबाद के निवासियों का शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को प्राप्त नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील मीरानपुर कटरा में स्थापित विद्युत उपगृह के गिरते हुए खम्भे को ठीक किया जाना

17—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर में टाउन दरिया मीरानपुर कटरा के निवासियों ने दिनांक 11-9-89 तथा 31-12-89 को विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता को 66 के0 बी0 के उपगृह कटरा शाहजहांपुर के गिरते हुए बिजली के एक खम्भे को हटवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था? उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

खम्भे के चारों ओर एंगिल आयरन बेल्ड करवाकर उसको मजबूत कर दिया गया तथा सीमेंट द्वारा पूरी तरह से ग्राउटिंग भी करवा दी गयी खम्भे को हटाने की अब आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम खेड़ा बझेड़ा में हुई लूट के संबंध में कार्यवाही की मांग

18—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20 21—5—90 को ग्राम खेड़ा बझेड़ा थाना जैतीपुर जिला—शाहजहांपुर में दो जगह चोरी करके हजारों की सम्पत्ति लूटी गयी जिसकी सूचना 21—5—90 को प्रातःकाल ही थाना जैतीपुर को दी गयी ? यदि हां, तो उस पर तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में परगनाधिकारी सदर के कार्यालय के सामने हुए बम विस्फोट के सम्बन्ध में कार्यवाही

19—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि दिनांक 23—5—90 को रामपुर कलेक्ट्रेट में परगनाधिकारी सदर के कार्यालय के सामने भयानक बम विस्फोट हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23—5—90 को एस0डी0एम0 सदर के कोर्ट की बरसाती के बाहर ईंटों के खड़ंजे पर सुतली वाला पटाखा फटा था। इस संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 399/90 धारा 3 एक्सप्लोसिव पी0एल0डी0एस0 आई0पी0ई0एस0 ऐक्ट 25/25(4) ऐक्ट पंजीकृत हुआ था जिसमें विवेचनोपरांत अभियुक्तों का कोई पता नहीं चल सका है तथा मामले में दिनांक 28—8—90 को अंतिम रिपोर्ट लगाई जा चुकी है।

जनपद कानपुर देहात के कस्बा बिल्हौर के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति में बाधा

20—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 90 से अगस्त, 90 तक बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के कस्बा बिल्हौर व तहसील बिल्हौर के गांवों में लगातार बिजली नहीं मिली है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? वहां बिजली कब तक पहुंचने लगेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

गांवों में अज्ञात चोरों द्वारा 33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 के तारों को काट लिये जाने के कारण दिनांक 5—6—90, 16—6—90, 26—6—90, 27—6—90, 28—6—90, 8—7—90, 16—7—90, 17—7—90, 19—7—90, 20—7—90, 23—7—90, 24—7—90, 26—7—90 एवं 27—7—90 को विद्युत आपूर्ति बाधित रही।

बिजली के तार की चोरी में अब कमी होने से सामान्यतः विद्युत निर्बाध रूप से पहुंच रही है।

कानपुर देहात में आपराधिक स्थिति नियन्त्रित करने हेतु सुरक्षाबल की मांग

21—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक स्थिति नियंत्रित करने के लिए कितने थानेदारों व कितने सिपाहियों की कमी है और उसकी पूर्ति हेतु

कानपुर महानिरीक्षक ने शासन से कितने थानेदारों व सिपाहियों की आपूर्ति हेतु कब मांग की थी ? क्या मांग की पूर्ति की गयी ? यदि हां, तो कितने थानेदारों व कितने सिपाहियों की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद कानपुर देहात में एक निरीक्षक, 6 हेड कान्स0 तथा 89 कान्स0 नागरिक पुलिस से व आठ हेड कान्स0 सशस्त्र पुलिस में स्वीकृत नियतन से अधिक तैनात हैं। इस प्रकार इस जनपद में स्वीकृत नियतन से अधिक पुलिस बल नियुक्त है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आपूर्ति हेतु शासन को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के कस्बा व थाना-घाटमपुर में श्री रज्जन लाल सैनी की डकैती में हुई हत्या के सम्बन्ध मे अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

22-श्री राम आसरे अग्निहोत्री तथा श्री संगम लाल शुक्ल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना घाटमपुर कानपुर देहात में कस्बा घाटमपुर जो कि थाने से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित श्री रज्जन लाल सैनी के मकान पर दिनांक 2/3 अगस्त, 90 पर पड़ी डकैती के मामले में (जिसमें हत्या भी हुई है) अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 2/3 अगस्त, 90 को कस्बा घाटमपुर में श्री रज्जन लाल सैनी के मकान पर पड़ी डकैती जिसमें श्री रज्जन लाल सैनी की हत्या हुई थी। घटना के संबंध में वादी लाल बहादुर द्वारा थाना घाटमपुर पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराया गया। उक्त घटना की विवेचना से पांच अभियुक्त प्रकाश में आए, जिनमें से दो अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है, एक अभियुक्त द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। शेष दो अभियुक्त के विरुद्ध 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

जनपद लखनऊ की ऐशबाग राजकीय कालोनी के आवासों की मरम्मत मुजइक सिंक एवं चैनलगेट लगाने का प्रस्ताव

23-श्री हरबन्स कपूर--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐशबाग राजकीय कालोनी लखनऊ के आवासों की टूटी हुई छतों को ठीक कराये जाने हेतु कोई आगणन राज्य सम्पत्ति विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी की छतों की स्थिति कैसी है तथा उनकी मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। ऐशबाग राजकीय कालोनी के आवास की छतें निर्धारित अवधि से पहले ही खराब हो जाने के कारण मरम्मत की कार्यवाही आवास निर्माण संस्था, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है। प्रश्नगत आवासों में कुछ की छतों को लाइमटेरेसिंग आंशिक रूप से उखड़ गयी है। मरम्मत के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

24-श्री हरबन्स कपूर---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐशबाग राजकीय कालोनी लखनऊ में आवासों में मुजइक सिंक लगाये जाने का प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृत मुजइक सिंक कब तक लगा दिये जावेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मुजइक सिंक आवासों में इसी वित्तीय वर्ष में लगा दिये जायेंगे।

25---श्री हरबन्स कपूर--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सेक्टर के0 एस0 अलीगंज कालोनी, लखनऊ के अध्यासियों की सुविधा/सुरक्षा हेतु ऊपर की मंजिल में रहने वाले अध्यासियों क आवासों में नीचे चैनल गेट की सुविधा प्रदान की गयी है ? क्या इसी प्रकार की सुविधा ऐशबाग राजकीय कालोनी लखनऊ के अध्यासियों को प्रदान किए जाने केवल कोई आगणन राज्य सम्पत्ति विभाग के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तदनुसार अध्यासियों की सुरक्षा को देखते हुए ऐशबाग राजकीय कालोनी लखनऊ में कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सेक्टर के0 एस0 अलीगंज कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन नहीं है। बल्कि एल0 के0 एस0 नाम की कालोनी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निदेशालय में कार्यरत श्री मोती लाल के उत्पीड़न का मामला

26---श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि निदेशालय के एक कर्मचारी के उत्पीड़न संबंधी मामले में तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को जांच कराने तथा कर्मचारी का स्थानान्तरण रोकने के आदेश पारित किए गए थे जिसकी प्राप्ति श्री ललित मोहन सिंह, अनुसचिव कृषि अनुभाग--9 के अर्द्ध शा0 प0 सं0 एम0 एस0-38/12-9-88/1340/88, दिनांक 30 जून, 1988 से स्वीकार की गई थी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ? क्या यह सही है कि उक्त जांच में निर्दोष पाये जाने की स्थिति में कर्मचारी को योगदान कराने के संबंध में शा0 6 से अक्टूबर, 1988 में कृषि निदेशालय को आदेश प्रेषित किए गए थे ? यदि हां, तो क्या कथित आदेश का पालन सरकार ने कराया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह---

जी हां।

जांचोपरांत यह पाया गया कि किसी अधिकारी द्वारा श्री मोती लाल का उत्पीड़न नहीं किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के दुकानदार श्री लोकेश कुमार द्वारा आत्मदाह

27--श्री रविदास मेहरोत्रा---

क्या सरकार को यह जानकारी है कि अगस्त, 16, 90 को कानपुर के एक छोटे दुकानदार श्री लोकेश कुमार ने सार्वजनिक रूप से आत्मदाह कर लिया ? यदि हां, तो उसके आत्मदाह का क्या कारण था ? क्या श्री लोकेश कुमार को आत्मदाह करने से पूर्व स्थानीय पुलिस ने रोकने का प्रयास किया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 16 अगस्त, 1990 को नहीं बल्कि दिनांक 15 अगस्त, 1990 को श्री लोकेश कुमार, सब्जी विक्रेता द्वारा आर्थिक तंगी एवं पारिवारिक कलह के कारण टट्टर से बनी अपनी सब्जी की दूकान में अचानक शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो कयी। चूंकि श्री लोकेश कुमार द्वारा बिना किसी पूर्व घोषणा के आत्महत्या किया गया था, अतः पुलिस द्वारा उसे बचाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर तथा भोजपुर के थानाध्यक्षों द्वारा कुख्यात असलम उर्फ भौदा गिरोह को संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

28--श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्रक नं0-23202 दिनांक 9-10-89 पुलिस महानिदेशक को मिला है जिसमें जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर तथा भोजपुर के थानाध्यक्षों द्वारा कुख्यात असलम उर्फ भौदा गिरोह को संरक्षण देने की शिकायत की गयी थी और क्या कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में इन थानाध्यक्षों को पदावनत किया गया था ? यदि हां, तो इन दोषी थानाध्यक्षों को दोषमुक्त कर चार्ज देने क क्य कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। शिकायती पत्र की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद से कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

कृषि विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के श्री नरेन्द्र कुमार आजाद को श्रेणी-2 में पदोन्नति करने की मांग

29--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के श्री नरेन्द्र कुमार आजाद सदस्य, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-1 से कनिष्ठ कर्मचारियों की श्रेणी-2 में पदोन्नति वर्ष 1979-80 में तथा 81 में कर दी गयी है और श्री आजाद को पदोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या पदोन्नति में विद्यमान आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या यह सही है कि आजाद को पदोन्नति के संबंध में कृषि निदेशक, उ0 प्र0 का अ0 शा0 पत्र संख्या 735 दिनांक 22-4-88 तथा पत्रांक 1384 जो दिनांक 16 दिसम्बर, 88 को शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या श्री आजाद की श्रेणी-2 में पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौ0 शंकर सिंह--

जी हां।

पदोन्नति के लिए निर्धारित अर्हता पूरा न करने कारण श्री आजाद की पदोन्नति नहीं की गई थी।

आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

जी हां।

जी नहीं, विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अन्तर्गत ग्राम पर्वतपुर निवासी श्री राम आसरे के उत्पीड़न पर कार्यवाही

30—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अन्तर्गत ग्राम पर्वतपुर निवासी श्री राम आसरे ने उत्पीड़न की घटनाओं पर कार्यवाही के लिए दिनांक 16-4-90 को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ एवं मुख्य मंत्री को कोई पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अन्तर्गत ग्राम पर्वतपुर निवासी श्री राम आसरे का उत्पीड़न के संबंध में कार्यवाही हेतु दिनांक 16-4-90 का नहीं, बल्कि दिनांक 6-4-90 का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर धारा 324/323/506 भा. दं. वि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरांत उक्त अभियोग में नामित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन 'डी' में प्रोन्नति के पदों की जानकारी

31—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग के अन्तर्गत श्रेणी दो अभियंत्रण कोटे में लगभग 34 पद रिक्त होने के बावजूद भी विगत दो वर्ष से प्रोन्नति करके इनको न भरे जाने के क्या कारण हैं? क्या जनहित को ध्यान में रखकर इनको अविलम्ब प्रोन्नति करके भरा जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ0 प्र0 कृषि सेवा श्रेणी-2 सेक्शन "डी" में प्रोन्नति कोटे के पद रिक्त नहीं हैं।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव के ग्राम मुरदेवा बाजार में थाना स्थापित करने की मांग

32—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र बासगांव के अन्तर्गत लगभग 5 थाने आते हैं, जिसका क्षेत्र लम्बा पड़ता है और जनता को परेशानी भी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक खजनी न्याय पंचायत तामा स्थित ग्राम मुरदेवा बाजार में एक और थाना खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, जनपद गोरखपुर के विधानसभा क्षेत्र बांसगांव के अन्तर्गत बांसगांव, खजनी, सिकरीगंज, उरुवाबाजार तथा हरपुर बुद्दहट पांच थाने आते हैं।

इसका क्षेत्र कोई विस्तृत नहीं है और इन थानों पर जनता को आपराधिक सूचना आदि देने में कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है।

जी नहीं। ग्राम मुरदेवा बाजार की भौगोलिक एवं अपराधिक आंकड़ों की स्थिति के अनुसार वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है। अतः उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त थाना खोलने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

जनपद सीतापुर की नगरपालिका के कतिपय मुहल्लों में शहरी फीडर से विद्युत देने की मांग

33—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका सीतापुर की सीमा के भीतर भी ऐसे कई मोहल्ले हैं, जहां बिजली बाहरी फीडर अर्थात् नगरीय मानक के अनुसार नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो इन मोहल्लों के नाम क्या हैं तथा वहां शहरी फीडर से बिजली कब तक देना प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

शासनादेश दिनांक 7–6–90 के अनुपालन में नगरपालिका सीतापुर की सीमा के अन्दर आये निम्नलिखित मोहल्लों को विद्युत आपूर्ति नगरीय फीडर से नहीं दी जा रही है परन्तु ऐसे फीडरों से जुड़े हैं जिन पर पम्प कैनाल है जिसके कारण इनको आपूर्ति औसतन 18 घंटे दी जाती है :—

1—आनन्द नगर
2—सराय मलूही
3—बिजनार
4—नैपालपुर मुख्य मार्ग
5—पचंग पुरवा,

इन मोहल्लों को शहरी फीडरों से जोड़ने के लिए एच0टी/एल0टी0 लाइन तथा ट्रांसफार्मर अलग से लगाने पड़ेंगे जिस पर लगभग 25 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। इसके अलावा नैपालापुर आनन्द नगर, पचंग पुरवा को शहरी फीडरों से जोड़ने के लिए रेलवे क्रासिंग को पार करना पड़ेगा। उपरोक्त कार्यों को करने के लिए आवश्यक वित्त एवं सामानों का प्राविधान वित्तीय वर्ष 1991–92 में ही किया जा सकेगा तथा कार्य सम्पादन रेलवे क्रासिंग, करने की स्वीकृति रेलवे अधिकारियों से मिलने के उपरांत ही किया जायेगा।

जनपद बदायूं के निजी नलकूपों को वर्षवार विद्युत देने का लक्ष्य

34—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जनपद के निजी नलकूपों को विद्युत देने के लिए शासन ने कोई कोटा निश्चित किया है ? यदि हां, तो वर्ष 89–90 एवं 90–91 का कोटा क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जनपद बदायूं के लिए वर्ष 1989–90 एवं 90–91 के लिए निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का निम्नलिखित लक्ष्य है :

वर्ष 89–90	455
वर्ष 90–91	381

जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा अन्तर्गत देवीगंज के श्री राम औतार पुत्र श्री महेश्वरी द्वारा अपने भाई श्री चन्दी प्रसाद की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की जांच की मांग

35—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद हमीरपुर के थाना कुरारा अन्तर्गत ग्राम देवीगंज के रामऔतार पुत्र महेश्वरी ने दिनांक 13–6–90 को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ को सम्बोधित पत्र में यह जानकारी दी है कि उसके भाई चन्दी प्रसाद को पुलिस कुरारा द्वारा

दिनांक 23-5-90 को दस बजे घर से पकड़ कर ले जाकर एवं पीटकर मार डाला गया ? यदि हां, तो इसमें अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सूचनाओं के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर एवं पुलिस कप्तान द्वारा समय से कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस घटना का कोई मुकदमा कायम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कुरारा पर पंजीकृत अ0सं0-89/90 धारा 365/395/302 भा0 दं0 वि0 की विवेचना के दौरान श्री चन्द्री प्रसाद से पुलिस द्वारा पूछताछ की गयी थी। पूछताछ के समय चन्दी प्रसाद की तबियत खराब होने पर उसे दिनांक 23-5-90 को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिनांक 4-6-90 को उसे अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया। दिनांक 7-6-90 तक वह अपने रिश्तेदारी में रहा तथा उसी दिन घर वापस आने के लिए जब वह बस अड्डे पर आया तो उसकी मृत्यु हो गयी।

घटना के संबंध में चन्दी प्रसाद के भाई द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि उसके भाई को पुलिस घर से पकड़कर ले गयी और थाने में बन्दकर मारा पीटा। फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गयी। इस सूचना पर अ0सं0 145/90 धारा 147/342/304/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मैजिस्ट्रीरियल जांच के आदेश दे दिये गये जो प्रचलित है।

36-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

[3 रे गुरु के अता0 प्र0 सं0 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज के निचलौल रेंज में नियुक्त वन दरोगा श्री रामदेव को पीटकर सामान छीनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

37-श्री नजमउद्दीन---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निचलौल जनपद महराजगंज वन विभाग में अनुसूचित जाति के दरोगा कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या कुछ लोगों द्वारा उनको दिनांक 8-6-90 को लाठी से पीटा गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

निचलौल रेंज में नियुक्त उक्त वन दरोगा श्री रामदेव द्वारा थाना कोठीभार, जनपद महराजगंज में दिनांक 8-6-90 नहीं अपितु दिनांक 3-6-90 को मारपीट कर सामान छीनने के संबंध में दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर अप0 सं0 82/90 अन्तर्गत धारा 147/308/332 379/384 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरांत प्रश्नगत मुकदमा धारा 147/323/332/379/384 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तन कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

श्री महबूब हुसैन प्रबन्धक वित्त ग्रेड-4 के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

38-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक---

क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सं0 क0 नं0 23204 माह दिसम्बर, 89 में जो प्रबन्ध निदेशक पी0 सी0 डी0 एफ0 सी0 महबूब हुसैन प्रबन्धक वित्त चतुर्थ एफ0 एच0 सी0 बल्लपतपुर मुरादाबाद को विगत 18 वर्षों से फर्जी टी0 ए0

बिल के भुगतान का आरोप सिद्ध हो जाने के बावजूद भी एक ही स्थान पर नियुक्त रखने के संबंध में था, मिला है ? यदि हां, तो क्या इस भूल को सुधारते हुए इनका स्थानान्तरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री चन्द्रपाल सिंह)

जी हां। श्री महबूब हुसैन को प्रबंधक (वित्त) ग्रेड 4 के पद पर दिनांक 19-8-86 से पदोन्नत कर आगरा में तैनात किया गया था तथा उन्हें प्रथम बार उक्त पद पर मुरादाबाद में दिनांक 20-8-88 को तैनात किया गया था, सम्प्रति श्री हुसैन उक्त पद पर दिनांक 14-6-86 से मुरादाबाद में निरन्तर कार्यरत हैं। श्री महबूब हुसैन के विरुद्ध फर्जी टी0 ए0 बिल के आहरण का आरोप सिद्ध नहीं पाया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड सरसवा के ग्राम डशाशरीरा व लौगवां में विद्युत आपूर्ति

39—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डशाशरीरा तथा ग्राम लौगवां विकास खंड सरसवा जनपद इलाहाबाद में बिजली के खंभे हैं और तार नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो इन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कब तक शुरू हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं। प्रश्नगत दोनों ग्रामों के विद्युतीकरण खम्भे व तार लग कर पूर्ण हो चुका है।

इन ग्रामों में विद्युत आपूर्ति चालू है।

जनपद इलाहाबाद के मुख्यालय में लम्बित आग्नेयास्त्र के लाइसेन्सों के नवीनीकरण का निस्तारण

40—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद के मुख्यालय में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्सों के नवीनीकरण संबंधी कितने आवेदन-पत्र 31 अगस्त, 1990 तक लंबित हैं ? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जिला मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में आग्नेयास्त्र लाइसेन्सों के नवीनीकरण सम्बन्धी कोई अवेदन-पत्र इलाहाबाद जनपद के मुख्यालय में लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नारायण राम पुत्र श्री मोती राम ग्राम झिरोली पोस्ट जमोटी पाल्डी पट्टी खरही तहसील बागेश्वर जि0अल्मोड़ा का मकान अल्मोड़ा मैग्नासाइड लि0 कैम्प बिलौरी द्वारा तोड़े जाने का मामला

41—श्री बलवीर सिंह नेगी तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के क्रम में क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा मैग्नीसाइड लिमिटेड कैम्प बिलौरी कंपनी द्वारा तोड़ी गयी प्रश्नगत सम्पत्ति (खाता संख्या—67) के खेत संख्या 608 की चार मुट्ठी भूमि में बना बन्दोबस्त दो मंजिल चार कमरों का मकान व खाता संख्या—67 के खेत नम्बर—610 के मध्य दो मुट्ठी भूमि में बना बन्दोबस्त दो मंजिला चार कमरों का मकान व खेत संख्या 613 मध्य 3 मुट्ठी भूमि अंगन का मूल्यांकन परगना-धिकारी, बागेश्वर द्वारा लोक नि0 वि0 बागेश्वर से करवाया गया था और जिसका उन्होंने

मूल्यांकन रु0 61000 मात्र किया था ? यदि हां, तो प्रभावित व्यक्ति को मात्र रु0 18,175.81 पै0 का ही भुगतान क्यों किया गया ? क्या अवशेष धनराशि का भुगतान ब्याज सहित नियमानुसार प्रभावित काश्तकार को किया जायेगा अथवा नहीं ? उक्त बिलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि0 कैम्प बिलौरी द्वारा प्रश्नगत कोई सम्पत्ति तोड़ी नहीं गई है। अपितु उक्त कम्पनी द्वारा दिनांक 22-2-80 को रु0 18,175.81 मूल्य अदा कर ग्राम झिरोली, तहसील बागेश्वर के खाता सं0 67 के खेत सं0 608 की 4 मुट्ठी भूमि व इसमें स्थित एक दो मंजिला चार कमरों का मकान तथा खाता सं0 67 के खेत सं0 613 की दो मुट्ठी भूमि श्री नारायण राम पुत्र श्री मोतीराम से क्रय की गई थी। दिनांक 2-12-88 को श्री नारायण राम द्वारा उक्त मकान को ग्राम के प्रतिनिधियों के समक्ष स्वयं गिराकर उसका मलवा, इमारती लकड़ी व स्लेट अन्यत्र मकान निर्माण हेतु ले जाये गये हैं।

परगनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा लोक नि0 वि0, बागेश्वर से रु0 61,000 का जो आगणन बनवाया गया था, वह केवल खेत सं0 610 व 613 में बने भवन व आंगन का है। यह भूमि व मकान/आंगन श्री नारायण राम के चचेरे भाई श्री दनीराम के कब्जे में है जिसमें अभी भी मकान स्थित है और उसमें वह सपरिवार रह रहा है। यह सम्पत्ति अल्मोड़ा मैग्नेसाइट कं0 लि0 द्वारा नहीं खरीदी गयी है।

अतः रु0 61,000 के आगणन के अनु धनराशि के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है और न इसमें किसी का दोष है।

जनपद जौनपुर के थाना कोतवाली शाहगंज के ग्राम बद्दोपुर में हुए गोली कांड से सम्बन्धित जांच आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण

42---श्री कल्यान सिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 6-1-1985 को ग्राम बद्दोपुर, थाना कोतवाली शाहगंज जिला जौनपुर पुलिस द्वारा निहत्थी जनता पर गोली चलाने और हत्या करने के कारण की जांच हेतु श्री जे0 पी0 अग्रवाल सेवा निवृत्त न्यायालय की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी जांच आख्या दिनांक 1-5-87 को गृह विभाग के अनुभाग-11 को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? उसमें किस-किस को दोषी ठहराया गया है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

ग्राम बद्दोपुर, थाना कोतवाली शाहगंज जिला जौनपुर में दिनांक 6 जनवरी, 1985 को हुए गोली काण्ड से संबंधित जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 1-5-87 को शासन में प्राप्त नहीं हुआ वरन् 3-6-88 को प्राप्त हुआ है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

43---श्री सत्य प्रकाश विकल---

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्डों के ग्रामों में विद्युत आपूर्ति

44---श्री महेन्द्र सिंह माहरा---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में किन-किन विकास खण्डों में कितने गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? ऐसे कितने गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण हेतु खम्भे खड़े कर दिये गये हैं किन्तु तार नहीं खींचे गये हैं ? अब तक तार न खींचे जाने का क्या कारण है ? इन गांवों में कब तक विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जनपद पिथौरागढ़ में अविद्युतीकृत ग्रामों तथा ऐसे ग्राम जहां खम्भे खड़े हैं किन्तु तार नहीं खींचे गये हैं, की विकास खण्डवार संख्या निम्नवत् है:---

विकास खण्ड	अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या---	जिन ग्रामों में खम्भे खड़े हैं किन्तु तार नहीं खींचे गये, हैं उनकी संख्या ---
1	2	3
1---मुनस्यारी	125	1
2---धारचूला	55	1
3---बेरी नाग	135	2
4---डीडीहाट	82	5
5---कनाली छीना	55	4
6---गंगोली हाट	166	3
7---बिण	36	---
8---मूनाकोट	37	2
9---बाराकोट	34	---
10---लोहाघाट	80	8
11---चम्पावत	142	1
12---पाटी	84	---

संसाधनों की कमी के कारण अब तक तार नहीं खींचा जा सका है।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के ग्राम सुमिलाबाजार के निवासी श्री दया चौरसिया के मकान का विद्युतीकरण तथा संशोधित बिल का बनाया जाना

45--श्री मिठाई लाल शास्त्री---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार में ग्राम झूमिलाबाजार में श्री दया चौरसिया के मकान में विद्युतीकरण नहीं किया गया है परन्तु विद्युत बिल विगत माह 12/89 से बिल संख्या 905/608 द्वारा भुगतान हेतु भेजा जा रहा है जबकि विद्युत विभाग द्वारा केवल पोल खड़े किये गये हैं और पोल पर तार तक नहीं खींचे गये हैं? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी तथा जांच के बाद दोषी कर्मचारियों को दंड देने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार ग्राम-झुमिला बाजार में श्री दया चौरसिया का विद्युत संयोजन 12/89 में किया गया था परन्तु आपसी झगड़े में उपरोक्त कनेक्शन गांव के लोगों ने काट दिया था। तदोपरांत न्यायालय के आदेश पर उन्हें दूसरे रास्ते से तार लगाकर दिनांक 6-9-90 को विद्युत संबंध पुनः संयोजित कर दिया गया और तद्नुसार उपभोक्ता का बिल भी सुधार कर 6-9-90 से ही बना दिया गया है।

पूरे प्रकरण की जांच की गयी तथा किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।

46—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद सीतापुर में लहरपुर पुलिस चौकी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

48—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लहरपुर जिला सीतापुर पुलिस चौकी की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं ? उक्त कब्जा हटवाने हेतु पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पुलिस चौकी पर सर्वश्री नन्हें बेग पुत्र श्री मुन्ने बेग व अली अहमद पुत्र श्री सुब्राती निवासीगण बागवानी टोला कस्बा व थाना लहरपुर जिला सीतापुर का कब्जा है। इस संबंध में भूलेख निरीक्षक द्वारा अभिलेखों में गलत इन्द्राज किये जाने के संबंध में धारा 33/39 के अन्तर्गत एक वाद तहसील लहरपुर में दायर किया गया जो विचाराधीन है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में वपक्षीगणों द्वारा भी एक वाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट सीतापुर की अदालत में दायर किया गया जो विचाराधीन है।

49—श्री मोतीलाल देहलवी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कानपुर देहात के थाना बिल्हौर में जनवरी 1990 से अगस्त—1990 तक घटित घटनाओं का विवरण

50—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत जनवरी, 1990 से अगस्त, 1990 तक किन-किन लोगों के अपहरण व हत्यायें हुयी हैं ? अपहृत व्यक्तियों के नाम व पते क्या हैं तथा उनके अपहरण किनके द्वारा हुए हैं और उनमें कौन-कौन व्यक्ति जीवित हैं ? क्या मंत्री जी कृपयायह भी बतायेंगे कि अपहृत लोगों में से कौन-कौन व्यक्ति अभी लापता हैं और कौन-कौन व्यक्ति मार दये गये हैं ? मारे गये लोगों के शव विच्छेदन किन-किन तिथियों में हुए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत जनवरी, 1990 से अगस्त, 1990 तक अपहरण व हत्याओं से संबंधित घटनाओं के विवरण की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ. 84 पर)

जनपद कानपुर देहात में वर्ष 1986 तक सीमान्तक लघु सीमान्त कृषकों द्वारा लिए गये ऋण पर सब्सिडी दिया जाना।

51—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात में वर्ष 1986तक सीमान्त व लघु सीमान्त कृषकों द्वारा लिये गये ऋण पर क्रमशः 25 व 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती रही है और उसे अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किस शासनादेश के तहत ? ह

श्री शंकर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सहतवार निवासी स्व0 वैदनाथ सिंह के हत्या के संबंध में, सी0 आई0 डी0 जांच की मांग पर कृत कार्यवाही

52 श्रीमती विजयलक्ष्मी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 अप्रैल, 1987 को बलिया जनपद के अन्तर्गत सहतवार निवासी स्व0 वैदनाथ सिंह, हत्याकांड के संबंध में विधायक श्री रविन्द्रनाथ तिवारी (फैजाबाद) ने 11 जुलाई, 1987 को नियम 51 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में उठाया था तथा जिसमें सी0आई0डी0 जांच की मांग को गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था? क्या शासन को इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है? यदि हां, तो इन रिपोर्ट के आधार पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा पूर्ण की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार केवल एक अभियुक्त उदय सिंह के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 147/148/149/302 तथा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया गया, जिसकी अभियोग दैनिकियां न्यायालय प्रेषित की जा रही हैं।

अन्य के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो सका, अतः उनके विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा वापस लिए जाने की संस्तुति अपराध शाखा ने की है, जो शासन के विचाराधीन है।

प्रश्नगत मामले में अपराध शाखा ने उप निरीक्षक श्री कैलाश नाथ तथा मो0 शमीम सिद्दीकी को साक्षियों के फर्जी कथन अंकित किए जाने एवं स्वयं निर्मित कहानी के आधार पर निर्दोष व्यक्तियों का चालान करने के लिए दोषी पाया है।

जनपद देहरादून की तहसील चकराता के ऐतिहासिक ग्राम लाखा मंडल में शिव मंदिर का पाया जाना

53–श्री सुरेन्द्र विक्रम–

क्या सरकार को ज्ञात है कि देहरादून की तहसील चकराता का ऐतिहासिक ग्राम लाखा मंडल है जहां पुरातत्व के अनेक सबूत हैं? यदि हां, तो पुरातत्व विभाग द्वारा उक्त ऐतिहासिक ग्राम से पुरातात्विक महत्व की क्या-क्या जानकारी प्राप्त की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सांस्कृतिक कार्य एवं खेल-कूद मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

जी हां।

ग्राम लाखा मण्डल के मध्य में 8–9 वीं श0ई0 का एक प्राचीन शिव मंदिर है तथा एक अन्य मंदिर भी है जिसका चबूतरा शेष रह गया है। यह मंदिर केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। शिव मंदिर के आंतरिक दीवारों को शिव, दुर्गा, सप्तमातृका कुबेर, कार्तिकेय, सूर्य, आदि की प्रतिमायें अलंकृत करती हैं और इसके बाह्य भाग में गंगा, लक्ष्मी और महिषमर्दिनी की प्रतिमायें हैं। इस मंदिर में छठी शती ई0 की दो काय प्रतिमायें भी हैं जो जय और विजय की कही जाती हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न आकार के शिवलिंग अधिक संख्या में मिले हैं। ये मूर्तियां और शिव लिंग छठी से बारहवीं शती ई0 के हैं। यहां एक महत्वपूर्ण शिला-लेख भी मिला है जो केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाये गये मूर्ति भंडार में संग्रहीत है। केन्द्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस शिव मंदिर की मरम्मत समय-समय पर की जाती है तथा मंदिर के परिसर का उचित रख-रखाव किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के ग्राम सभा बरी प्रसिद्धपुर के अल्पसंख्यक नवयुवक की हत्या की जानकारी

54–श्री सुरेन्द्र विक्रम–

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बरी प्रसिद्धपुर थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में दिनांक 19–5–90 को एक अल्पसंख्यक नवयुवक की हत्या कर दी गयी और पुलिस को सूचना के बाद भी नवयुवक की लाश तीन दिन तक गांव में सड़ती रही उसके बाद पोस्टमार्टम को भेजी गयी और इस घटना से क्षेत्र में घोर रोष व असंतोष व्याप्त है ? उसको समाप्त करने हेतु शासन ने तत्काल क्या कार्यवाही की ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की पुलिस चौकी कुरसठ पर महिला के साथ कथित बलात्कार की घटना

55–श्री सुरेन्द्र विक्रम–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई की पुलिस चौकी कुरसठ पर तैनात पुलिस दरोगा व सिपाहियों ने 25–4–90 को एक महिला के साथ बलात्कार किया जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराने महिला थाना माधोगंज पहुंची किन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी ? क्या महिला ने 26–4–90 को प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक हरदोई को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कान्ती देवी द्वारा दिनांक 26–4–90 को दिये गये प्रार्थना-पत्र के आधार पर श्री रविन्द्र सिंह कान्स0 अरुण कुमार दूबे व कान्स0 पुष्पेन्द्र कुमार यादव के विरुद्ध थाना माधोगंज पर अ0 सं0 116/90 अन्तर्गत धारा 376/342 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से मामला झूंठा पाया गया। फलस्वरूप विवेचना अन्तिम रिपोर्ट मय जुर्म खारिज रिपोर्ट के साथ प्रेषित की गयी जो विचाराधीन न्यायालय है।

जनपद अल्मोड़ा के ग्राम दानपुर में मुंहपका रोग से ग्रसित पशुओं का उपचार

56–श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा के सदूरवर्ती इलाका दानपुर में 1 जून, 1990 तक लगभग 1 हजार पशु मुंहपका रोग से मर चुके हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में तत्काल क्या कार्यवाही की और वेकसीन के इन्जेक्शन क्यों नहीं लगवाये ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री––(श्री जमुनाप्रसाद बोस)––

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अल्मोड़ा के ग्राम दानपुर में 1 जून, 90 तक मुंहपका रोग से 18 पशुओं की मृत्यु हुई।

इस रोग के फैलने की सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित ग्राम में 595 पशुओं को खुरपका रोग के टीके लगाये गये तथा निकटवर्ती ग्रामों में 3905 टीके लगाये गये।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवांया के कस्बा बड़ागांव में स्थापित विद्युत टाउन पर लाइनमैन की नियुक्ति की मांग

57–श्री सुरेन्द्र विक्रम––

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर की तहसील पुवांया के कस्बा बड़ागांव में बिजली का टाउन है उस पर 6 वर्षों से कोई लाइनमैन नहीं है ? यदि हां, तो दुर्घटना रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त स्थान पर लाइन मैन की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, कस्बा बड़ागांव में भड़खेरा फीडर पर तैनात लाइनमैन के द्वारा विद्युत का रख-रखाव कराया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार 150 उपभोक्ताओं से कम पर स्टाफ की नियुक्ति आवश्यक नहीं है । कस्बा बड़ागांव में उपभोक्ताओं की संख्या 150 से कम है । अतः वहां अलग से लाइनमैन की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

जनपद मऊ के थाना घोसी के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

58 · अकबर हुसैन बाबर--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-1-90 को का0 मकबूल अशरफ तहसील मंत्री मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी घोसी जनपद मऊ ने थाना कोतवाल घोसी व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या थाना कोतवाली घोसी व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की निष्पक्ष जांच की गयी तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

मामले की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा करायी गयी । जांच में कोतवाल थाना घोसी दोषी नहीं पाये गये । दोषी पाये गये तीन आरक्षियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है ।

जनपद हमीरपुर की तहसील सदर एवं चिकासी माराकांदर और बेरी घाटों से तथा जालौन जनपद की भेड़ी और कानघाटों से बालू के पट्टाधारकों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा तथा पट्टे की देयता का आधार

59 ·श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर की तहसील सदर एवं चिकासी तथा माराकांदर, बेरी एवं जालौन जनपद की भेड़ी और कान घाट के बालू के पट्टा धारकों से शासन को 1 जनवरी, 1990 से 20 अगस्त, 1990 तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? क्या पट्टा धारकों से राजस्व के नुकसान को देखते हुए बालू के पट्टों की सरकार पुनः नीलामी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद जालौन में कान घाट नामक कोई खनन क्षेत्र नहीं है । शेष क्षेत्रों से 1 जनवरी, 1990 से 20 अगस्त, 1990 तक कुल अनुमानित रु0 44,14,216 का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

इन क्षेत्रों से चूंकि नियमानुसार राजस्व प्राप्त हो रहा है, अतः राजस्व का कोई नुकसान नहीं है । उक्त क्षेत्रों में से न्यायालयों में विवादित क्षेत्रों के संबंध में पारित स्थगनादेश तथा शेष क्षेत्रों के स्वीकृत परिहारों की अवधि की समाप्ति तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60--श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर की तहसील सदर, चिकासी तथा मौराकादर, बेरी एवं जालौन जनपद की भेड़ी और काम घाट के बालू के पट्टे की देयता का आधार क्या है ? क्या पट्टों से प्राप्त राजस्व से अधिक के पट्टों का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जनपद हमीरपुर की तहसील सदर जिसमें मोराकादर एवं बेरी सम्मिलित है की नीलामी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10-5-1989 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26-2-90 द्वारा अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित है। यह क्षेत्र आजकल उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 को परमिट पर स्वीकृत किया जा रहा है।

चिकासी घाट (तहसील राठ) के केवल 2 एकड़ क्षेत्र का परिहार नीलामी प्रणाली से स्वीकृत किया गया है। शेष समस्त बालू मौरम क्षेत्र की नीलामी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4-10-1985 द्वारा स्थगित है।

जालौन जनपद के भेड़ी घाट के बालू का परिहार पट्टा एवं नीलामी प्रणाली से स्वीकृत है। जालौन जनपद में काटा घाट नाम का कोई खनन क्षेत्र नहीं है।

जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर के लिये वर्तमान पट्टों से प्राप्त राजस्व से अधिक-के दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो नियमानुसार नहीं हैं। अतः इन आवेदन पत्रों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं नियमावली के प्राविधानों के प्रतिकूल विचार नहीं किया जा सकता

ऊर्जा विभाग में विद्युत दुर्घटना के लम्बित मामलों का निस्तारण तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

61-श्री अनिल कुमार भारद्वाज--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत दुर्घटना में लगभग दस हजार मामले ऊर्जा विभाग में लगभग कई वर्षों से लम्बित हैं? क्या मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1990 अध्यक्ष, विद्युत परिषद् को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने मामलों का निस्तारण किया गया तथा कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि वितरित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

सही संख्या का आंकलन किया जा रहा है।

जी हां।

निस्तारित किये गये मामले एवं वितरित की गयी धनराशि संबंधी आंकड़े क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त कर संकलित किये जा रहे हैं। कार्य को तत्परता से करने के लिए समुचित कार्यवाही की जा रही है।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध परीक्षणोपरांत उत्तरदायित्व निर्धारित कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम आगापुर में विद्युत दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायलों को अनुग्रह राशि का स्वीकार किया जाना

62-श्री अनिल कुमार भारद्वाज---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24 मई, 1990 सचिव ऊर्जा को ग्राम आगापुर में विद्युत दुर्घटना में बस जलने के संबंध में 7 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 22 लोगों के घायल होने वालों को राहत देने के संबंध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो व्यक्तिवार कितनी राशि राहत में प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रश्नगत पत्र दिनांक 24 मई, 1990 का नहीं वरन् दिनांक 2 मई, 1990 का प्राप्त हुआ है।

दुर्घटना में मृत प्रत्येक व्यक्ति के आश्रितों को दस-दस हजार रुपये की अनुग्रह राशि परिषद् द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 1990 को स्वीकृत कर दी गयी है। घायलों के संबंध में चिकित्सा आख्या प्राप्त होने पर उनकी अर्जन शक्ति में हुए ह्रास के अनुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद सिद्धार्थ नगर के थानों को जीप की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

63–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कानून व्यवस्था को चुस्त बनाये रखने एवं अपराधों पर और अंकुश लगाने की दृष्टि से कितने पुलिस थानों पर जीपें उपलब्ध करा दी गयी हैं। शेष पुलिस थानों पर कब तक जीपें उपलब्ध करा दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त 20 थानों को जीपें उपलब्ध करा दी गई हैं। किसी थाने को जीप उपलब्ध कराना शेष नहीं है।

कृषि विपणन विभाग द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार लेने के बाद नियुक्त न किया जाना

64–श्री राम स्वरूप वर्मा––

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम बुध0 के लिए निर्धारित अतारां0 प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का गठन 15–2–88 को हो गया था तब 28–8–88 को वर्ग–3 के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा लेना और 29 व 30 दिसम्बर, 1988 को साक्षात्कार लेने का क्या औचित्य था? परीक्षा कराने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह––

दिनांक 28–8–88 को वर्ग–3 के पदों पर नियुक्ति हेतु न तो कोई परीक्षा ली गयी थी और न ही दिनांक 29 व 30 दिसम्बर, 88 को कोई साक्षात्कार ही लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के लंका थाने में घटित अपराधों की जांच

6 ऊदल––

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना लंका जिला वाराणसी में सन् 85 से लेकर जून, 1990 तक कितने इनकाउण्टर, कितनी वाहनों की चोरी, (कार, स्कूटर, बुलेट) तथा कितनी हत्यायें हुयीं? कितने की जांच की गयी कितने में चार्जशीट लगाया गया और सन् 1985 से 1990 तक कितने मुकदमें में कार्यवाही हुयी? क्या 88 व 89 में दो इनकाउन्टर भी पुलिस ने किये थे वे कहां के रहने वाले थे उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

श्री मुलायम सिंह यादव––

थाना लंका जनपद वाराणसी में सन् 85 से लेकर जून, 1990 तक 4 इनकाउण्टर की घटनायें घटित हुयीं। 82 वाहनों की चोरी उक्त अवधि में हुयी जिसमें से 6 कार चोरी के मामले हैं तथा 76 स्कूटर चोरी के मामले हैं। बुलेट चोरी की कोई घटना घटित नहीं हुयी। कार चोरी की 6 घटनाओं में अभियुक्तों के अज्ञात होने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। इसी प्रकार स्कूटर चोरी की घटनाओं से सम्बद्ध 63 अभियुक्तों के अज्ञात होने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा 12 अभियोग न्यायालय में विचाराधीन एवं एक मामले में सजा हुई

है। प्रश्नगत अवधि में 17 लोगों की हत्याएं की गयीं। जहां तक हत्याओं के मामलों में कार्यवाही किए जाने का प्रश्न है 17 मामलों में से 10 मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं, 4 मामलों में सजा हुयी है तथा 1 मामला विवेचनाधीन है। शेष 2 मामलों में अभियुक्तों का नाम तथा पता अज्ञात होने के कारण अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। थाना लंका, जनपद वाराणसी में सन् 85 से लेकर जून, 90 तक 4 इनकाउण्टर की घटनाएं घटित हुयीं जिनको पंजीकृत करके विवेचना की गयी तथा विवेचनोपरांत अंतिम आख्या प्रेषित की गयी।

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 88 में लंका की पुलिस ने श्री राम मिलन शर्मा, निवासी आलूपुर, थाना मकदूमपुर, जिला जहानाबाद (बिहार) का इनकाउण्टर किया था।

मामले में विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। वर्ष 89 में लंका की पुलिस ने इनकाउण्टर नहीं किया था।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा लोदीपुर मौजा ताहिरापुरा के विद्युतीकरण की मांग

66—श्री राम लखन वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लोदीपुर मौजा ताहिरपुर तहसील अकबरपुर जनपद फैजाबाद में वर्ष 1969 में गांधी शताब्दी के शुभावसर पर मौजा ताहिरपुरा के विद्युतीकरण का प्रस्ताव हुआ था तथा क्या यह सही है कि उक्त विद्युतीकरण प्रक्रिया के तहत उक्त मौजे में विद्युत विभाग द्वारा बिजली के कुछ खम्भे गाड़े गये थे ? क्या यह सत्य है कि उक्त चार खम्भों में से एक खम्भा बिजली विभाग द्वारा ही उखाड़ लिया गया है ? यदि हाँ तो उक्त मौजे में अब तक विद्युतीकरण न हो पाने का क्या कारण है ? उक्त के लिए कौन दोषी है एवं उक्त मौजे का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गांधी शताब्दी के अवसर पर प्रश्नगत मौजे की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण प्रस्तावित हुआ था और उसी उद्देश्य से वहाँ चार खम्भे गाड़े गये थे।

जी हाँ, यह समीप के ही एक 11 के0 वी0 फीडर के आकस्मिक रख रखाव हतु इस्तेमाल किया गया।

ग्राम बासियों के आपसी झगड़े के कारण गाड़े गये खम्भों पर तार खीचना सम्भव नहीं हो सका।

कोई विभागीय कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है। कतिपय ग्राम वासियों द्वारा उत्पन्न किये गये अवरोध के समाप्त होने पर विद्युतीकरण का कार्य सम्भव हो सकेगा।

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के स्थान सतपुली में विद्युत वितरण उप खण्ड की स्थापना करने की मांग

67—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान सतपुली में विद्युत वितरण खण्ड की स्थापना किये जाने के संबंध में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के पत्र संख्या ई/4095/सी0 एम02/87 दिनॉक 9—9—87, पत्र संख्या ई/4528/सी0 एम0 7/88 दिनॉक 5—9—88, पत्रसंख्या ई/2228।सी0 एम0-2 88 आदि द्वारा आवश्यक कार्यवाही किए जान का आश्वासन दिया गया था यदि हाँ, तो अभी तक सतपुली में उस खण्ड की स्थापन न किये जाने के कारण क्या है ? तथा कब तक उपखण्ड की स्थापना किये जाने की सम्भावना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

राज्य विद्युत् परिषद् की सूचना के अनुसार सदर्भित पत्र परिषद् में प्राप्त नहीं हुए।

राज्य विद्युत् परिषद् ने देहरादन क्षेत्र के विद्युत् वितरण संगठन के पुर्नगठन के आदेश पारित करते समय सतपुली में विद्युत् वितरण उपखण्ड की स्वीकृति दी थी किन्तुक्षेत्र की विस्तारता को देखते हुए मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, देहरादून द्वारा इस उपखण्ड के मुख्यालय को स्थ्सी कर दिया गया क्योंकि इसकी भौगोलिक परिस्थिति वश उपयोगिता अधिक समझी गयी।

जनपद आजमगढ़ पो0 भोपालपुर के ग्राम अहिरौली में आवेदकों को विद्युत कनेक्शन देने की मांग

68--श्री दीप नारायण---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अहिरौली पो0 भोपालपुर जिला--आजमगढ़ के 21 लोगों ने 25 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से बिजली की लाइन हेतु विभाग में जून, 1989 में जमा किया था? यदि हां, तो क्या उन्हें बिजली दे दी गई? यदि नहीं, तो कब तक उक्त लोगों को बिजली कनेक्शन दे दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

जी नहीं।

जब प्रश्नगत ग्राम में इतने व्यक्तियों द्वारा आवेदन पत्र देकर वांछित धनराशि जमा कर दी जाय कि 15 प्रतिशत प्रतिलाभ उपलब्ध हो जाये, तभी ग्राम का विद्युतीकरण करके आवेदकों को कनेक्शन दिया जा सकेगा। यह राज्य सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य के निर्धारण और संसाधनों की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा।

जनपद चमोली में अपर निदेशक पशुपालन के कार्यालय हेतु भवनों का निर्माण

69--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में अपर निदेशक पशुपालन के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु शासन क्या कदम उठा रहा है? भवन निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? कब तक भवन निर्माण कर दिए जायेंगे?

श्री जमुना प्रसाद बोस---

जनपद चमोली में अपर निदेशक (पर्वतीय), पशुपालन के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु अभी उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। इसके लिए प्रयास जारी हैं और उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो जाने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

जनपद अलीगढ़ के क्वारसी थानाध्यक्ष के विरुद्ध अभियोग चलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

70--श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 22-5-90 अथवा उसके आस-पास की तिथि के पत्र के साथ श्रीराम गोपालपुत्र कंवल सिंह निवासी मुहल्ला ज्वालामुखी थाना-क्वारसी जिला--अलीगढ़ का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला है जिसमें थानाध्यक्ष क्वारसी जिला--अलीगढ के विरुद्ध धारा--197 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोग चलाने की

अनुमति प्रदान करने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

इस संबंध में जांच कराकर यथोचित कार्यवाही कराने हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद लखनऊ के हुसैनगंज में स्थित स्टेन्जर्स होम के पादरी जेवियर डिसूजा द्वारा श्री शम्भूनाथ कनौजिया के विरुद्ध दायर मुकदमा

71-श्री कल्याण सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री शम्भूनाथ 2, स्टेशन रोड, हुसैनगंज, लखनऊ का कोई पत्र दिनांक 27-6-88 का प्राप्त हुआ जिसमें स्टेन्जर्स होम में पादरी जेवियर डिसूजा द्वारा अकारण परेशान करने तथा इनकी जमीन पर बलात कब्जा करने और झूठे मकदमा कायम करने का जिक्र है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि पादरी जेवियर द्वारा श्री शम्भूनाथ तथा उनके परिवार के सदस्यों को ईसाई धर्म स्वीकार करने हेतु दबाव डाला जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए शासन द्वारा उक्त पादरी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

प्राप्त सूचनानसार श्री शम्भूनाथ कनौजिया स्टेन्जर्स होम के अन्दर गेट के किनारे सर्वेन्ट क्वार्टर में वर्तमान समय में वह अपने परिवार सहित रह रहा है। वर्ष 1986 से स्टेन्जर्स होम में पादरी श्री जेवियर डिसूजा की नियुक्ति अधीक्षक पद पर हुई थी। श्री डिसूजा ने श्री शम्भूनाथ कनौजिया से सर्वेन्ट क्वार्टर खाली कराने के लिये सम्बन्धित दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जो न्यायालय में अभी विचाराधीन है। दिनांक 17-6-88 श्री डिसूजा ने हुसैनगंज थाने में अ0सं0 211/88 धारा 298/471/451/504/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत श्री शम्भूनाथ कनौजिया तथा इनके दो लड़के राजन व अजय के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। अभियोग में आरोप पत्र संख्या-141 दिनांक 8-7-88 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में स्थित जायसवाल कोल्ड स्टोरेज में काश्तकारों के सड़े आलू का क्षतिपूर्ति दिये जाने का मामला

72-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या सरकार को जानकारी है कि जायसवाल कोल्ड स्टोरेज कुर्सी रोड, जिला बाराबंकी में जो आलू वर्ष 89 में भरा गया था वह यांत्रिक गड़बड़ी के कारण सड़ गया है ? यदि हां, तो जिन काश्तकारों ने आलू रखा था उन्हें कोई क्षतिपूर्ति न दिये जाने का क्या कारण है ?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण-मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)---

प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज में वर्ष 1989 में आलू सड़ तो गया था, किन्तु यह यांत्रिक गड़बड़ी के कारण सड़ गया था ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जिन काश्तकारों का आलू सड़ गया था उन्हें क्षतिपूर्ति किये जाने का मामला न्यायालय में चल रहा है।

जनपद सोनभद्र के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने की मांग

73--श्री तीरथ राज--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्युत उत्पादन में, सोनभद्र जनपद में विद्युत उत्पादन का प्रतिशत कितना है ? और उक्त जनपद के ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रतिशत क्या है ? सोनभद्र जनपद में समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत गृहों की उत्पादन क्षमता सोनभद्र जनपद में प्रदेश की उत्पादन क्षमता की 49.6 प्रतिशत है ।

सोनभद्र जनपद में दिसम्बर, 1990 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 34.9 प्रतिशत तथा एल0टी0 लाइन बिछाकर 31.7 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है ।

यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक हलिया के थाना डमण्डगज की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करने की मांग

74--श्री मंजूर अहमद तथा श्री तीरथ राज--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के ब्लाक हलिया, थाना डमण्डगंज की हरिजन बस्ती वाले ग्राम दुर्जनीपुर का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है । जबकि उसके पड़ोस के अन्य गांवों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हां, तो हरिजन आबादी के उक्त गांव का विद्युतीकरण सरकार कब तक करेगी ? क्या सरकार उक्त गांव का विद्युतीकरण इसी वित्तीय वर्ष में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, प्रश्नगत ग्राम दुर्जनीपुर का विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ।

विकास खण्ड हलिया का स्वीकृत योजना में सम्मिलित न होने के कारण इस ग्राम का विद्युतीकरण अभी सभव नहीं है ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड आराजी लाईन के ग्राम धानापुर में स्थित हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करने की मांग

75--श्री राम ललित--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-धानापुर विकास खण्ड-आराजी लाईन, जनपद वाराणसी, स्थित हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उक्त हरिजन ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं ।

चूंकि विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन न होने के कारण ग्राम धानापुर का विद्युतीकरण नहीं हो सका है, अतः इसकी हरिजन बस्ती का भी विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है । विद्युत सलाहकार समिति द्वारा ग्राम का चयन होने पर विद्युतीकरण की कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

जनपद जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम कछवन का विद्युतीकरण करने की मांग

76--श्री राम ललित--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कछवन (पूर्व) तहसील केराकत, जनपद-जौनपुर का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

ग्राम कठवन (कोड सं0 414) तहसील केराकत, जनपद जौनपुर का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेंस द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मृतक श्री ज्ञानदेव के परिवार को आर्थिक सहायता तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

77-श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-5-90 को प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र जो ज्ञानदेव आत्मदाह करने वाले व्यक्ति के परिवारवालों को आर्थिक सहायता दिए जाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-306 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मुकदमा चलाये जाने के संबंध में था क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन नगर मैजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर एवं पुलिस उपनिरीक्षकों को निलम्बित कर दिया गया था। नगर मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त बरेली मण्डल इसके जांच अधिकारी हैं। जांचोपरांत दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर कार्यवाही की जायेगी।

मृतक के आश्रितों को जिला प्रशासन द्वारा 2000 रु0 तथा शासन स्तर से 10,000 रु0 की धनराशि की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है।

जनपद बरेली के थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियुक्त श्री शमशुल हसन के विरुद्ध विचाराधीन मामला

78-श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में थाना-कोतवाली के अन्तर्गत अ0 स0 543/89 धारा 223/224 आई0 पी0 सी0 में अभियुक्त शमशुल हसन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। विवेचनोपरांत अभियोग में आरोप पत्र दि0 5-11-89 को प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है।

जनपद वाराणसी में संक्रामक रोगों से हुई पशुओं की मृत्यु तथा रोकथाम हेतु प्रभावी उपाय

79-श्री श्याम देव राय चौधरी दादा--

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई तथा अगस्त, 1990 में वाराणसी जिले में गलाघोंटू तथा अन्य संक्रामक रोगों के कारण किन-किन तहसील क्षेत्रों में कितने पशु मर गये तथा कितने की क्षति हुई ? इस रोग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस--

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जुलाई तथा अगस्त, 90 में वाराणसी जनपद के तहसील भदोही में 19 ज्ञानपुर में 25, तहसील सदर में 14 तथा चन्दौली में 15 पशुओं की मृत्यु गला घोंटू बीमारी से हुई। इसके अतिरिक्त खुरपका-मुंहपका बीमारी से तहसील चन्दौली में एक पशु की मृत्य हुई।

बीमारी फैलने की सूचना प्राप्त होते ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा रोग नियंत्रण की कार्यवाही की गयी और इस जनपद की विभिन्न तहसीलों में माह जुलाई एवं अगस्त, 90 में एच0एस0 के 2,08,332, बी0क्यू0 के 20,997 एफ0एम0डी0 के 2,640 टीके लगाये गये।

चूंकि इस मामले में किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद की तहसील व वि0 ख0 अकबरपुर के ग्राम अहलादा का विद्युतीकरण

80—श्री लालता प्रसाद यादव—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-अहलादा (अहिरौली) वि0 खं0-अकबरपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद-फैजाबाद के ग्रामवासियों ने वर्ष 1985–86 में विद्युतीकरण हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी थी? यदि हां, तो अब तक उक्त गांव का विद्युतीकरण न होने का क्या कारण है? इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उक्त गांव का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

ग्राम अहिरौली राजस्व ग्राम अहलादा का एक पुरवा है ग्राम अहलादा का विद्युतीकरण वर्ष 1968 में हो चुका है। वर्तमान में जनपद फैजाबाद में पुरवों के विद्युतीकरण हेतु कोई योजना नहीं है।

किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता।

यह अभी संभव नहीं है।

कानपुर में लक्ष्मीपुरवा निवासिनी श्रीमती चन्द्रावती के साथ घटित घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग

81—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कानपुर में लक्ष्मीपुरवा की निवासिनी श्रीमती चन्द्रावती के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 11/12 जून, 1990 की रात्रि में बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट थाना-रायपुरवा में दिनांक 13-6-90 को दर्ज करायी गई? यदि हां, तो क्या कानपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

प्रश्नगत घटना के संबंध में थाना रायपुरवा पर अभियुक्त राजू बिजली वाला व जगदीश प्रसाद के विरुद्ध धारा 376/323/504/506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त जगदीश प्रसाद दिनांक 20-6-90 को न्यायालय हाजिर हुआ तथा राजू बिजली वाला को पुलिस द्वारा दिनांक 22-10-90 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

82—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

(2 रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद वाराणसी के थाना-दशाश्वमेध के रामापुरा के श्री विजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री जगत नारायण सिंह डी0–41/5 का न्यायालय में विचाराधीन मामला

83—श्री छोटे लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री विजेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री जगत नारायण सिंह डी0–41/5, रामापुरा, थाना-दशाश्वमेध, जनपद वाराणसी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13–8–90

जो जान-माल की सुरक्षा की मांग विषयक है, शासन पुलिस महानिदेशालय स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर शासन महानिदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराये जाने के फलस्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया कि मकान के प्रकरण को लेकर श्री विजेन्द्र कुमार सिंह तथा उनके चाचा श्री नारायण सिंह, जो एक ही मकान में साथ-साथ रह रहे हैं, के मध्य भवन के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है । दोनों पक्षों के मध्य विद्यमान तनाव को दृष्टि में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/116 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट दिनांक 16-5-90 को न्यायालय भेजी जा चुकी है । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

84-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी----

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

85-86-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी----

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत थाना-बिल्हौर की चौकी पर भू0पू0 चौकी इंचार्ज को स्थानान्तरण के एक माह पश्चात् पुनः नियुक्त किये जाने का औचित्य

87-श्री मोती लाल देहलवी----

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन को जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत थाना-बिल्हौर से संबंधित चौकी बिल्हौर के भूतपूर्व चौकी इंचार्ज को स्थानान्तरित करके एक माह के पश्चात् ही उन्हें अगस्त, 1990 में पुनः चौकी बिल्हौर का चौकी इंचार्ज नियुक्त करने के उपरांत दिनांक 20/21 अगस्त, 1990 को एक ही दिन में अपहरण व 3 (तीन) हत्यायें होने की जानकारी है ? यदि हां, तो इस चौकी इंचार्ज के पहले वाले कार्यकाल में होने वाले अपहरण व हत्याओं तथा चोरियों की घटनाओं को देखते हुए पुनः इसी चौकी में नियुक्त करने व इनके पूर्व के चौकी इंचार्ज के केवल दो माह के कार्यकाल में आपराधिक नियंत्रण को देखते हुए उसे दो माह पश्चात् ही स्थानान्तरित कर देने के क्या-क्या आधार व क्या-क्या कारण हैं ? शासन को इस गम्भीर विषय की जांच सी0आई0डी0 के किसी विश्वसनीय अधिकारी से कराने में क्या आपत्ति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव----

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार श्री ओंकार सिंह, उप निरीक्षक प्रभारी चौकी बिल्हौर कानपुर देहात के पद पर दिनांक 17-9-88 से दिनांक 19-7-90 तक नियुक्त रहे । दिनांक 20/21-8-90 को घटित अपहरण/हत्या व चोरी की घटना श्री सिंह के कार्यकाल की नहीं है । श्री ओंकार सिंह, उप निरीक्षक की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए पुनः उनका स्थानान्तरण दिनांक 18-10-90 को सीमित अवधि के लिये बिल्हौर थाने में किया गया है, जहां उन्हें किसी पुलिस चौकी का प्रभारी नहीं बनाया गया है । इनके स्थानान्तरण के प्रकरण में जांच का कोई बिन्दु निहित नहीं है ।

जनपद गोरखपुर के विकास खंड चरगांवा के ग्राम सभा बेलवारामपुर की आबादी पर श्री चन्द्रजीत यादव पुत्र श्री बहादुर यादव के अवैध कब्जे को बेदखल करने हेतु न्यायालय के आदेश की जानकारी

88-श्री केदार नाथ सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा बेलवारामपुर विकास खंड चरगांवा थाना-गुलरिया जिला गोरखपुर की आबादी की भूमि पर स्थित श्री चन्द्रजीत यादव पुत्र श्री

बहादुर यादव की झोपड़ी किसी न्यायालय के निर्देश पर थानाध्यक्ष गुलरिया ने उजड़वा दी ? यदि हां, तो न्यायालय के आदेश क्या थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम बेलवारायपुर में ग्राम सभा की भूमि आराजी सं0 181/61 पर श्री चन्द्रजीत यादव पुत्र श्री बहादुर यादव द्वारा किये गये अवैध कब्जे को अपर तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट तहसील, सदर, गोरखपुर के आदेश दिनांक 25/07/90 से भू-निरीक्षक द्वारा थाना से बल प्राप्त कर हटाया गया।

थानाध्यक्ष, गुलरिया को यह आदेश दिये गये थे कि "उपरोक्त ग्राम में अवैध कब्जे को तुरन्त बेदखल करने हेतु भूमि निरीक्षक के साथ पुलिस बल भेजें। कृत कार्यवाही से मुझे वायरलेस द्वारा सूचित करें।"

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड हरैया में विद्युतीकरण की मांग

89-श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के संबंध में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित 148 गांवों के विद्युतीकरण हेतु संसाधन कब तक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

आजमगढ़ जनपद के हरैया विकास खण्ड के संदर्भित 148 ग्रामों में से अब तक 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह बता पाना कठिन है कि शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु संसाधन कब तक उपलब्ध हो सकेंगे।

90-श्री पंचानन राय---

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ में टी0 एन्ड वी0 योजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि

91-श्री पंचानन राय--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अजमतगढ़ विकास खंड में टी0 एन्ड वी0 योजना कब से लागू है ? इस योजना के लागू होने के बाद कृषि उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री शंकर सिंह--

(क) टी0 एन्ड वी0 योजना पूरे आजमगढ़ में वर्ष 1985-86 से लागू है जिसमें आजमतगढ़ विकास खंड भी शामिल है।

(ख) क्राप कटिंग के आंकड़े विकास खंडवार नहीं रखे जाते बल्कि जनपदवार रखे जाते हैं। आजमगढ़ जनपद में वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1988-89 में चावल की उत्पादकता में 21.2 प्रतिशत तथा गेहूं की उत्पादकता में 19.8 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

जनपद आजमगढ़ में कृषि विभाग में नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रमुख शिकायतों की जांच

92-श्री पंचानन राय---

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में नियुक्त किन-किन सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में विभाग और शासन को वर्ष 1988-89 में शिकायतें प्राप्त हुईं ? प्रमुख शिकायतें क्या हैं और इनकी जांच किन अधिकारियों द्वारा करायी गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शंकर सिंह---

जी हां, एक शिकायती पत्र जो कथित रूप से श्री एस. एन. श्रीवास्तवा महामंत्री उत्तर प्रदेश राजकीय कृषि एवं निर्माण शाला कर्मचारी संघ व लखनऊ की ओर से भेजा गया था मिला, यह श्री के. एम. शुक्ला सहायक कृषि अभियन्ता आजमगढ़ के विरुद्ध है।

शिकायतें वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं शिकायती पत्र की जांच कृषि अभियन्ता, जौनपुर से कराई गई।

कृषि अभियन्ता जौनपुर से जांच आख्या प्राप्त हो गई है, जिसमें उन्होंने यह सूचित किया है कि शिकायत कर्ता ने शिकायती पत्र पर अपने हस्ताक्षर न होने का लिखित पुष्टि की है। इसलिए कोई अग्रिम कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद सिद्धार्थ नगर के थाना भवानीगंज के थानाध्यक्ष श्री टिकैतराम के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

93—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी---

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का गृह सचिव को सम्बोधित कोई पत्र मार्च 1990 में प्राप्त हुआ था जो श्री टिकैतराम थानाध्यक्ष भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर के, विरुद्ध गम्भीर शिकायतों से संबंधित था और जिसकी प्राप्ति सूचना श्री के0 डी0 श्रीवास्तव संयुक्त सचिव द्वारा उ0 शा0 पत्रांक--2083/90 गो0-7, दिनांक 9--3--90 के माध्यम से प्रेषित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में डी0 जी0 द्वारा करायी जा रही जांच के परिणाम क्या रहे ? दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

मामले की जांच करायी गयी। जांच से श्री टेकई राम, थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ को 4 विद्युत उपकरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

94—श्री दयाराम भास्कर---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 12--7--90 व 16--8--90 ई0 को प्रश्नकर्ता का इस आशय का प्रार्थना-पत्र उनको मिला है कि आजमगढ़ जनपद में विद्युत उपकरण तार, खम्भा, ट्रान्सफार्मर आदि कोई सामान नहीं है जिससे किसानों को विद्युत कनेक्शन और विद्युतीकरण का कार्य ठप्प है ? यदि हां, तो विद्युत उपकरण पर्याप्त मात्रा में आजमगढ़ जनपद को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

आजमगढ़ जनपद में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विद्युत सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है और विद्युतीकरण कार्य प्रगति में है।

विद्युत परिषद् में अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति का मामला तथा उनका निस्तारण

95—श्री कृष्ण कुमार नवमान---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह सितम्बर, 88 में विद्युत परिषद् के अधिशासी अभियन्ताओं की अधीक्षण अभियन्ताओं के पद पर पदोन्नति में कुछ अधिशासी अभि-

यन्ताओं की पदोन्नति नहीं की गई थी ? यदि हां, तो उक्त पदोन्नति के विरुद्ध कितने अधिशासी अभियन्ताओं ने पुनर्विचार के लिए ज्ञापन दिया है और परिषद् द्वारा ऐसे कितने ज्ञापनों का निपटारा किया जाना है ? क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छोड़े गये अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति न किये जाने के क्या आरण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। उक्त पदोन्नति के विरुद्ध 4 (चार) अधिशासी अभियन्ताओं ने ज्ञापन दिया था जिनका निपटारा किया जा चुका है। परिषद् द्वारा निर्धारित "श्रेष्ठता एवं सर्वथा उपयुक्तता" के मापदण्ड के आधार पर अनुपयुक्त पाये जाने के कारण छोड़े गए अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति नहीं की गई है।

96--99--श्री रवीन्द्र नाथ तिवरी--

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जिलाधिकारी अलीगढ़ द्वारा आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स स्वीकृत करने हेतु की गयी संस्तुतियों का विवरण तथा शासन द्वारा स्वीकार न किये जाने का कारण

100--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माह जनवरी, 1990 से जून, 1990 तक की अवधि में जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने किस-किस व्यक्ति के नाम आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स स्वीकार करने की संस्तुति गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रस्तुत की है और शासन ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? ऐसे व्यक्तियों को शासन द्वारा लाइसेन्स स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ? उसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और उक्त लाइसेंस कब तक स्वीकार कर दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जिला अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति सहित निम्नलिखित सात व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र के लाइसेंस स्वीकार किये जाने के मामले शासन को भेजे गये :--

सर्वश्री--

(1) अमर सिंह
(2) सलीम अख्तर फारूकी
(3) भरत सिंह
(4) साजिद अली खां
(5) राम खिलाड़ी
(6) राजवीर सिंह
(7) मुजीबुर्रहमान

उपरोक्त सभी मामलों में जिलाधिकारी, अलीगढ़ को अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। तदनुसार जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने उपरोक्त सभी व्यक्तियों के आवेदन-पत्र निरस्तारित कर दिये हैं।

प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्र के नये लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबन्ध है। इस प्रतिबन्ध से वर्तमान में सात श्रेणी के आवेदकों को मुक्त रखा गया है, जिनको अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु जिला मैजिस्ट्रेट स्वयं सक्षम हैं। तदनुसार जिला मैजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 पर अंकित व्यक्तियों को शास्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं। शेष क्रमांक 5, 6 एवं 7 पर अंकित व्यक्तियों के आवेदन-पत्र, उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त आवेदकों की श्रेणी में न आने के कारण अस्वीकृत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद चमोली में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकाप्टर की जांच

101—श्री कृष्ण स्वरूप वैद्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 12 जून, 90 के आसपास राज्य सरकार का हेलीकाप्टर चमोली के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो क्या दुर्घटना की जांच कराई जा रही है ? यदि हां, तो किस एजेंसी के माध्यम से यह जांच हो रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। दुर्घटना की जांच भारत सरकार के नागर विमानन विभाग द्वारा की जा रही है।

जनपद सहारनपुर के थाना रामपुर के असलम के अपहरण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

102—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 अ0 संख्या—240/धारा 363 आई0 पी0 सी0 थाना रामपुर, जिला-सहारनपुर में 14-11-89 को असलम के अपहरण के संबंध में 15-11-89 को रिपोर्ट लिखकर मुकदमा कायम किया गया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 2-7-90 को सभी प्रार्थना-पत्रों व रिपोर्ट की नकल के साथ मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

जी हां।

जांच हेतु मामला अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 22-2-1990 को सुपुर्द कर दिया गया है। विवेचना प्रचलित है।

फतेहगंज पूर्वी गठिया सार्व0 सड़क से लगे खेड़ारठ व बझेड़ा भगवानपुर सम्पर्क मार्ग पर बीच सड़क पर लगे बिजली के खम्भे को हटाया जाना

103—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा खेड़ारठ व बझेड़ा भगवानपुर की जो फतेहगंज पूर्वी गठिया सार्व0 सड़क से सम्पर्क मार्ग बना है उस पर ग्राम खेड़ारठ में बीच सड़क पर ही बिजली का खंभा लगा है जिसमें पिछले दो वर्षों में अनेक दुर्घटनायें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्काल उक्त बिजली का खंभा बीच सड़क से हटवाकर तार ऊंचे कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग पर ग्राम खेड़ारठ में बीच सड़क पर कोई बिजली का खंभा नहीं लगा है, और न ही किसी दुर्घटना की सूचना है।

चूंकि सड़क पर कोई खंभा नहीं है अतः हटाने का प्रश्न नहीं उठता। सड़क पर गुजरने वाले तार ऊंचे कर दिये गए हैं जिससे कोई दुर्घटना न हो।

जनपद लखनऊ की न्यू ऐशबाग राजकीय कालोनी के आवासों में महत्वपूर्ण कार्य कराने के संबंध में सांसद श्री मान्धाता सिंह के पत्र पर कार्यवाही

104—श्रीमती शशि मित्तल—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यू ऐशबाग राजकीय कालोनी, लखनऊ के आवासों में महत्वपूर्ण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री मान्धाता सिंह, सदस्य, लोक सभा के पत्र दिनांक 17 मार्च एवं 11 मई, 1990 संलग्नक सहित उनको प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्र एवं संलग्नक के प्रमुख बिन्दुओं पर अब तक (दिनांक 24 अगस्त, 1990 तक) क्या कार्यवाही की गई तथा सम्पूर्ण बिन्दुओं पर कार्यवाही कब [illegible] ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से आख्या मांगी गयी

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अनुबन्ध कार्य कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा क्षेत्रान्तर्गत के कतिपय ग्रामों में हरे पेड़ों की कटान

105—श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में थाना मीरानपुर कटरा क्षेत्रान्तर्गत विगत 4 माह में ग्राम खिरिया सकट, फोलकपुर उसलनि-रामपुर अपर रायपुर, सलेमपुर, सहमापुर, नगरिया और झगड़ापुर तथा पिपरी में हरे पेड़ों का कटान हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त पेड़ों की कटाई में वहां के थानाध्यक्ष का हाथ था? यदि हां, तो थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामपुर, अपर रायपुर, सलेमपुर तथा झगड़ापुर को छोड़कर अन्य में उल्लिखित शेष ग्रामों से हरे पेड़ काटे जाने की सूचना स्थानीय थाने पर उल्लिखित अवधि में प्राप्त हुई जिसके संबंध में नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कराये गये। यह कथन सही नहीं है कि हरे पेड़ों की कटान में किसी प्रकार संबंधित थानाध्यक्ष का हाथ रहा है।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खण्ड बिल्हौर में किसानों को विद्युत बिलों में छूट देने का प्राविधान

106—श्री मोती लाल देहलवी---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1986-87 में नलकूप के मालिक सूखा-पीड़ित किसानों को उसी वर्ष उनके बिजली बिलों में लगायी गयी धनराशि में से आधी छूट दी गयी थी? यदि हां, तो उसी वर्ष के जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत विकास खंड बिल्हौर के उक्त प्रकार के किसानों को उनके बिजली बिलों की धनराशि में वैसी ही छूट अभी तक न देने का क्या कारण है? उक्त छूट कब तक दे दी जायेगी?

श्री मुलायम सिंह यादव---

विद्युत वितरण मण्डल फर्रुखाबाद के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को वर्ष 86-87 के विद्युत बिलों की धनराशि में कोई छूट नहीं प्रदान की गयी थी, क्योंकि वर्ष 86-87 के बिलों की धनराशि में छूट का कोई प्राविधान नहीं है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थित डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री मडोरा के खुलने के कारण भारी वाहनों के आवागमन में अधिक वृद्धि को देखते हुए यातायात को नियमित करने की मांग

107—श्री रतन लाल अहिरवार---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री मडोरा, जनपद झांसी में खुलने के कारण 20 कि0 मी0 की दूरी पर भारी वाहन का आवागमन अधिक हो गया है और भारी वाहनों के रफ्तार से चलने के कारण तीन व्यक्तियों की जानें दिगारा में, दो व्यक्तियों की गोरा मछिया में एवं दो व्यक्तियों की जानें बड़ागांव में जा चुकी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार भारी वाहनों का यातायात नियमित करने हेतु कोई कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

डायमण्ड सीमेंट फैक्ट्री मडोरा, जनपद झांसी में खुलने के कारण 20 कि0 मी0 की दूरी पर भारी वाहन के आवागमन में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। झांसी से सीमेंट फैक्ट्री तक के मार्ग पर वर्ष 1990 में 6 वाहन दुर्घटना हुई हैं जिसमें 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा एक व्यक्ति घायल हुआ है।

भारी वाहनों के यातायात नियमित करने हेतु परिवहन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर चेकिंग व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री में अधिगृहीत की गई भूमि के एवज में बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग

108—श्री रतन लाल अहिरवार—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री के खुलने से कितने किसान जिनकी भूमि अधिगृहीत कर ली गयी है, बेरोजगार हो गये हैं? कितनों को डायमण्ड सीमेन्ट फैक्ट्री के मालिक ने रोजगार दिया है? क्या सरकार शेष रह गये किसानों के जीविकोपार्जन हेतु कदम उठायेगी? यदि हां, तो क्या और कब तक?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मेसर्स डायमण्ड सीमेंट, झांसी की फैक्ट्री हेतु किसी भी किसान की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है वरन् इकाई द्वारा 45 किसानों से सीधे भूमि क्रय की गई है।

वर्तमान समय में उपर्युक्त किसानों के 26 परिवारों के सदस्य इस फैक्ट्री में कार्यरत हैं। चूंकि शासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है अतः इसका प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पुलिस सेवा में आरक्षित अधिकारियों का प्रतिशत

109—श्री रतन लाल अहिरवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 पुलिस सेवा 1988—89 तथा 1990 की अधिकारियों की चयनित सूची में कितने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं नवबौद्ध भारतीय पुलिस सेवाओं में प्रोन्नत किए गए हैं? उनका प्रतिशत क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

वर्ष 1988—89 की भारतीय पुलिस सेवा की प्रवरण सूची नहीं बनाई गई है। वर्ष 1990 की भारतीय पुलिस सेवा की प्रवरण सूची में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के अनुसूचित जाति के 2 अधिकारियों का चयन किया गया है जिनमें से अनुसूचित जाति के एक अधिकारी को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त कर दिया गया है। इस सूची में अनुसूचित जन जाति तथा बौद्ध अधिकारियों के नाम नहीं हैं। प्रश्नगत सूची में अनुसूचित जाति के अधिकारियों का प्रतिशत 5.8 है।

जनपद झांसी में ऊर्जीकृत हरिजन बस्तियों की संख्या एवं प्रतिशत

110—श्री रतन लाल अहिरवार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में ऊर्जीकृत ग्रामों में कितने ग्राम हरिजन बस्तियों के हैं और उनका प्रतिशत कितना है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

झांसी जनपद में 431 ऊर्जीकृत ग्रामों में से 403 हरिजन बस्तियों के हैं तथा उनका प्रतिशत 93.5 प्रतिशत है।

जनपद आजमगढ़ में 1 जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1990 तक हुये विभिन्न अपराधों का विवरण

111—श्री पंचानन राय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में 1 जनवरी, 90 से 31 अगस्त, 90 तक कितनी हत्यायें, डकैती, बलात्कार तथा चोरी के अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं ? उनमें से कितने मामलों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए तथा कितनों में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई है ? वर्ष 1989 में इसी अवधि में उक्त श्रेणियों के कितने अपराध पंजीकृत हुए और उनमें कितने में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए गए और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में 1 जनवरी, 1990 से 31 अगस्त, 1990 तक की अवधि में हत्या के 37, डकैती के 30, बलात्कार के 5 व चोरी के 174 अभियोग पंजीकृत हुए। हत्या के 37 अभियोगों में से 32 में आरोप पत्र न्यायालय में व 4 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा एक अभियोग विवेचनाधीन है। डकैती के 30 अभियोगों में से 20 में आरोप पत्र व 1 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा 9 अभियोग विवेचनाधीन हैं। बलात्कार के 5 अभियोगों में से 4 में आरोप पत्र व 1 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा चोरी के 174 अभियोगों में से 62 में आरोप पत्र व 106 अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई तथा 6 अभियोग विवेचनाधीन हैं।

वर्ष 1989 में इसी अवधि में दिनांक 01-01-89 से 31-08-89 तक हत्या के 54 अभियोगों में से 46 में आरोप पत्र व 6 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। डकैती के 23 अभियोगों में से 20 में आरोप पत्र व 3 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। बलात्कार के 13 अभियोगों में से 11 में आरोप पत्र व 2 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा चोरी के 209 अभियोगों में से 84 में आरोप पत्र व 125 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

जनपद बाराबंकी में मसौली, सफदरगंज, जैदपुर, सतरिख तथा कोठी थानों में पंजीकृत अपराध

112—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के मसौली, सफदरगंज, जैदपुर सतरिख तथा कोठी थानों में 15 दिसम्बर, 89 से 23 अगस्त, 90 तक एल0 डी0 फीस अधिनियम के अन्तर्गत कितने अपराध पंजीकृत किए गए थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद बाराबंकी के प्रश्न में उल्लिखित थानों में एल0 डी0 फीस अधिनियम नहीं बल्कि एम0 डी0 पी0 एस0 अधिनियम के अन्तर्गत 15 दिसम्बर, 89 से 23 अगस्त, 90 तक की अवधि में निम्नानुसार अपराध पंजीकृत किए गए:—

मसौली	शून्य
सफदरगंज	6 अभियोग
जैदपुर	8 अभियोग
सतरिख	1 अभियोग
कोठी	5 अभियोग

जनपद बांदा के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय रामनगर में कार्यरत पशु चिकित्सक श्री राज बहादुर की विधवा श्रीमती लालती देवी को पेंशन एवं सामूहिक बीमा का भुगतान

113—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक रामनगर के

अन्तर्गत पशु चिकित्सालय रामनगर में कार्यरत तत्कालीन पशु चिकित्सक (कम्पाण्डर) राज बहादुर सिंह की सेवा काल के दौरान दिनांक 13-9-87 को मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उनकी विधवा लालती देवी की पारिवारिक पेंशन एवं सामूहिक बीमा के मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? कब तक उन्हें उसका पूर्ण भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान में विलम्ब का क्या कारण है ? इसके लिए कौन कर्मचारी दोषी है ? क्या उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जमुना प्रसाद बोस--

जी हां। सामूहिक बीमा की धनराशि का चेक बीमा निदेशालय से दिनांक 3-1-91 को प्राप्त हुआ जिसे स्टेट बैंक के विभागीय खाते में जमा कर दिया गया। धनराशि प्राप्त होते ही श्रीमती लालती देवी को नियमानुसार पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा

पेशन प्रपत्र अपूर्ण व देर से प्राप्त होने के कारण व बीमा का चेक विलम्ब से प्राप्त होने के कारण भुगतान में बिलम्ब हुआ। इसके लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कर्वी सम्भाग में भूमि संरक्षण यूनिटों की स्थापना की मांग

114-श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी संभाग में भूमि संरक्षण इकाई डी0 पी0 ए0 पी0 कर्वी एक है जिसका अधिकारी भूमि संरक्षण अधिकारी है ? यदि हां, तो अकेले एक इकाई के लिए परियोजना अधिकारी उप निदेशक (भूमि संरक्षण) की नियुक्ति का क्या औचित्य है ? क्या एक उप निदेशक मानक के हिसाब से 6 भूमि संरक्षण इकाईयों के ऊपर नियंत्रक अधिकारी है ? यदि हां, तो क्या वहां और भूमि संरक्षण यूनिटों की स्थापना की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह--

जी नहीं। कर्वी में क्षेत्रीय विकास विभाग के नियंत्रण में डी0 पी0 ए0 पी0 की एक बहु-अनुशासनिक इकाई कार्यरत है जिसमें अन्य पदों के अतिरिक्त भूमि संरक्षण अधिकरी का भी एक पद है ।

डी0 पी0 ए0 पी0 बहु-अनुशासनिक इकाई के पद क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। चूंकि इन इकाईयों द्वारा जल समेट क्षेत्र के आधार पर भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई एवं वनीकरण कार्य समन्वित रूप से कराये जाते हैं अतः इन कार्यों के सम्पादन हेतु भूमि संरक्षण अधिकारी, सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई) एवं रेन्जर के पद, उनके सहायक पदों के साथ, स्वीकृत किये गये हैं जिनका नियंत्रण अधिकारी परियोजना अधिकारी-कम-उप निदेशक (भू0 सं0) हैं।

जी नहीं। डी0 पी0 ए0 पी0 में ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं है।

ऐसी व्यवस्था डी0 पी0 ए0 पी0 अन्तर्गत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत पदों की स्वीकृति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।

जनपद देहरादून में सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण देने की मांग

115-श्री शिवकरन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1980 में तत्कालीन सरकार द्वारा लघु सीमेन्ट परियोजना हेतु देहरादून में फैक्ट्री लगाने के लिए 5.13 करोड़ रु0 स्वीकृत किया गया था ? बाद में प्रदूषण का कारण दिखाकर उक्त परियोजना को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा 1982

में बन्द कर दिया गया ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी कि किन कारणों से उक्त सरकारी परियोजना को बन्द किया गया जबकि उसी क्षेत्र में दो प्राइवेट उद्योगों मेसर्स बेनस सीमेंट तथा मेसर्स टा0 आर0 सी0 को लाइसेन्स दिये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

देहरादून में लखवाड़ ब्यासी डैम परियोजना की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 1980-81 में यह निर्णय लिया गया कि उ0 प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम सिंचाई विभाग के लिए एक 200 टन क्षमता वाला लघु सीमेण्ट संयंत्र गुनिवल गांव देहरादून में स्थापित करें। इस संयंत्र की करीब 5 करोड़ रु0 की लागत अनुमानित थी।

उ0 प्र0 सीमेण्ट कारपोरेशन के द्वारा प्रस्तावित स्थल औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं थे तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की स्वीकृति भी नहीं प्राप्त की गई थी अतएव इस इकाई को उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया जिसके कारण उक्त परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका।

मे0 वीनस सीमेण्ट तथा मे0 ए0 आर0 सी0 सीमेण्ट (न कि मे0 टा0आर0सी0 सीमेण्ट) को भारत सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद लाइसेंस दिये गये थे अतः इस प्रकरण में जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता।

116--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

(मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया)

जनपद कानपुर देहात के घाटमपुर के विधायक श्री राम आसरे अग्निहोत्री के परिवार की सुरक्षा की मांग

117--श्री मोती लाल देहलवी---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें एक भूतपूर्व राज्य मंत्री व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात द्वारा श्री राम आसरे अग्निहोत्री विधायक घाटमपुर जनपद कानपुर देहात व उनके परिवार को जान से मरवा देने का षड़यंत्र रचने विषयक उनका पत्र दिनांक 31 जुलाई, 90 प्राप्त हुआ ? क्या इस पत्र में उन्होंने पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात पर थानेदारों से धन लेकर वांछित थाना/चौकी पर नियुक्त करने का आरोप लगाने के कारण पुलिस अधीक्षक की नाराजगी के कारण अपनी व अपने परिवार की जान बचाने का आग्रह किया है यदि हां, तो विधायक व उनके परिवार की जान बचाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

जांच से पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए, बल्कि जांच से यह पाया गया कि मा0 सदस्य राम आसरे अग्निहोत्री एवं पूर्व राज्य मंत्री श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा के बीच राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण उत्पन्न असुरक्षा की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए श्री अग्निहोत्री एवं उनके परिवार की सुरक्षा हेतु घर पर गार्द लगा दी गयी है। इसके अतिरिक्त संबंधित थानाध्यक्षों को भी इस संबंध में समुचित निर्देश दे दिए गए हैं।

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती में समान नीति अपनाने की मांग

118--श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री राम आसरे अग्निहोत्री---

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई आई0 पी0 एस0 अधिकारी अपने गृह जनपद के निकटवर्ती जनपद में रह सकते हैं ? यदि हां, तो इसी प्राविधान के अनुसार किसी

सिपाही या हेड कान्सिटेबिल को उसके गृह जनपद के निकटवर्ती जनपद में न जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस बारे में समान नीति अपनाये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

गृह जनपद के निकटवर्ती जनपद में किसी आई0 पी0 एस0 अधिकारी को तैनात करने में कोई नैत्यिक प्रतिबन्ध नहीं है। सिपाही व हेड कान्सटेबिल को गृह जनपद के निकटवर्ती जनपद में न रखने की नीति जनहित में निर्धारित की गयी है।

आई0 पी0 एस0 अधिकारी का कार्यक्षेत्र एवं दायित्व अपेक्षाकृत अत्यन्त विस्तृत होने यथा उच्चतम स्तर पर आई0 पी0 एस0 अधिकारी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश होने के फलस्वरूप इनकी तैनाती तथा कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल की तैनाती में समान नीति अपनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद सिद्धार्थनगर के थाना त्रिलोकपुर के ग्राम सिकन्दरपुर के स्व0 राम संवारे पाण्डे पुत्र श्री विनोद कुमार पाण्डे एवं श्री जगदम्बा पाण्डे को बन्दूक का लाइसेन्स देने की मांग

119—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिकन्दरपुर थाना-त्रिलोकपुर जिला-सिद्धार्थनगर में दिनांक 23—24 दिसम्बर, 1989 की रात में डकैतों द्वारा छः घर लूटे गये तथा श्री राम संवारे पाण्डेय सहित तीन व्यक्तियों की हत्याएं कर दी गई ? क्या स्व0 राम संवारे पाण्डेय के पुत्र श्री विनोद कुमार पाण्डेय एवं श्री जगदम्बा पाण्डेय को अपने जान माल के सुरक्षा हेतु अब तक बन्दूक का लाइसेन्स दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि गांव की जनता की सुरक्षा के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किये गये हैं ? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में की गयी सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पुलिस द्वारा घटना के तुरन्त बाद डेढ़ सेक्शन पी. ए. सी. की व्यवस्था की गयी। स्थानीय पुलिस इस संबंध में जागरूक है। पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

120—श्री अशोक कुमार सिंह---

(3रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उ0 प्र0 में कार्यरत आई. पी. एस. अधिकारियों की संख्या

121—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 में कुल कितने आई0 पी0 एस0 अधिकारी कार्यरत हैं ? कितने पुलिस उपाधीक्षक, कितने उप पुलिस महानिरीक्षक कितने पुलिस महानिरीक्षक हैं ? क्या गृह मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सन् 1967 में उपरोक्त अधिकारियों की अपने राज्य में कुल कितनी-कितनी संख्या थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 279 आई0पी0एस0 अधिकारी कार्यरत हैं (जिसमें पश्चिम बंगाल

संवर्ग के वर्ष 1973 बैच के एक आई.0पी.0एस0 अधिकारी भी सम्मिलित हैं) सम्प्रति 44 पुलिस उप महानिरीक्षक एवं 24 पुलिस महानिरीक्षक हैं।

वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश में कार्यरत आई0 पी0एस0 अधिकारियों की संख्य 115 थी जिसमें एक पुलिस महानिरीक्षक, एक अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, 14 पुलिस उप महानिरीक्षक थे।

पुलिस उपाधीक्षक का पद आई0 पी0 एस0 संवर्ग का नहीं है।

प्रदेश में सन् 1967 व 1990 में पुलिस बल की संख्या

122—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1967 में राज्य में उप पुलिस अधीक्षकों, निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों तथा कान्सटेबिल की कुल कितनी संख्या थी तथा उपरोक्त पुलिस कर्मियों की जनवरी, 1990 में कुल संख्या अलग-अलग कितनी थी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार सन् 1967 में राज्य में पुलिस बल की संख्या निम्नवत् थी:—

1—पुलिस उपाधीक्षक	376
2—निरीक्षक	565
3—उप निरीक्षक	4,535
4—कान्सटेबिल	67,401

जनवरी 1990 में उक्त पुलिस बल की संख्या निम्नवत् रही है:—

1—पुलिस उपाधीक्षक	665
2—निरीक्षक	1,593
3—उप निरीक्षक	11,902
4—कान्सटेबिल	1,21,986

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में औद्योगिक विधि सहायक का वेतनमान

123—श्री बसन्त लाल गुप्त—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं 13 श्रम संगठनों से दिनांक 21-7-1986 को हुए समझौते के बिन्दु 2 के संलग्नक-1 (क) में औद्योगिक विधि सहायक जो कि परिषद् में मात्र 2 हैं को समझौते के अनुसार वेतनमान प्रदान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें कब तक उक्त वेतनमान प्रदान किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त आख्या के अनुसार औद्योगिक विधि सहायक के पद के वेतनमान को समझौते के अनुसार उच्चीकरण किये जाने से अन्य वर्गों के समकक्ष वेतन के पदों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा एवं विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों की आपसी पारस्परिकता तथा संतुलन बिगड़ जायगा जिसके फलस्वरूप परिषद् के वेतन ढांचे पर घोर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अनेक प्रशासनिक व वित्तीय जटिलतायें उत्पन्न होंगी।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम कुम्भ के निवासी श्री नन्द लाल राय शर्मा को प्रेषित गलत विद्युत डिमाण्ड नोटिस को सही करने हेतु कार्यवाही

124—श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री बसन्त लाल गुप्त तथा श्री राम कुमार वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद व जौनपुर जनपद में कृषि ट्यूबवेल विद्युत उपभोक्ताओं को सम्बन्धित वितरण खण्डों द्वारा गलत डिमाण्ड नोटिसें भेजकर

बाद में उन्हें सही कराया जाता है ? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ ने अपने पत्रांक दिनांक 24–2–90 द्वारा श्री नन्द लाल राय शर्मा, ग्राम-कुम्भ, पो0–भिरा, जिला–आजमगढ़ के संबंध में रु0 32,458.94 की डिमाण्ड नोटिस के सम्बन्ध में पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी नहीं। परन्तु यदि किन्हीं कारणवश कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे सही किया जाता है।

जी हां। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 8–6–90 को आदेश कर दिए गए थे तथा उपभोक्ता को भी सूचित कर दिया गया था।

उपरोक्त मामलों में विलम्ब के कारणों की जांच के आदेश पारित कर दिये गये हैं।

जनपद सोनभद्र उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत फर्मों के अधीन श्रमिकों के वेतन का भुगतान सक्षम अधिकारी के समक्ष करने की मांग

125–श्री सुरेश कुमार खन्ना––

क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की अनपरा तापीय परियोजना, जनपद सोनभद्र के अन्तर्गत मेसर्स परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्कस व मेसर्स इंस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा परियोजना की वाटर सप्लाई व्यवस्था का कार्य किस तिथि से प्रारम्भ किया गया तथा अब तक उक्त दोनों फर्मों को कार्य करते हुए कुल कितना समय व्यतीत हुआ ? उनके मालिकों के नाम व पते क्या हैं ? अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत उक्त दोनों फर्मों के अधीन उनके कार्य प्रारम्भ की तिथि से अब तक कुल कितने श्रमिक कार्यरत थे तथा वर्तमान में कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? उनके नाम, पिता का नाम तथा पदनाम क्या है तथा उन श्रमिकों को कुल कितने वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है ? क्या परिषद्/शासन द्वारा किसी सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में उनके वेतन के भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक तथा उस अधिकारी का पदनाम क्या होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अनपरा तापीय परियोजना जनपद–सोनभद्र के अन्तर्गत मै0 परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को दिनांक 1–9–85 से 31–1–88 तक अस्थाई जल शोधक संस्थान का परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य एवं दिनांक 1–2–88 से 31–12–90 तक कालोनी की जलापूर्ति व्यवस्था का कार्य दिया गया तथा मै0 इस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन को दिनांक 1–9–85 से 31–1·88 तक स्थाई जल शोधक संस्थान के परिचालन एवं अनुरक्षण तथा 23–1–89 से अस्थायी जल शोधक संस्थान का परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य दिया गया है। इसका अनुबन्ध दिनांक 31–1–91 को समाप्त हो जायेगा। उनके मालिकों के नाम व पता निम्नवत् हैं:––

(क) मैसर्स परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स––

1––श्रीमती जामीना खातून पत्नी श्री जरीमुद्दीन

2––श्रीमती अनबरी खातून पत्नी श्री रजीउद्दीन

3––श्रीमती मीरजावान पत्नी श्री गुलामखानी

4––श्री सकील बरकत।

पता:––सेक्टर नं–8, गीता मंदिर के पास, ओबरा मिर्जापुर (अब सोनभद्र)

(ख) मैसर्स ईस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन–
1––श्री भूपेन्द्र कुमार राय पुत्र श्री दया प्रकाश राय
2––श्री सुनील कुमार राय पुत्र श्री दया प्रकाश राय
3––श्रीमती मीरा राय पत्नी श्री शशिकांत राय
4––श्रीमती श्याम प्यारी राय पत्नी श्री दया प्रकाश राय ।
पता:––सी–7/158, सैनपुरा, वाराणसी (उ0 प्र0) ।

अनपरा तापीय परियोजना के अन्तर्गत मै0 परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स ने दिनांक 1–9–85 से 31–1–88 तक 34 एवं 1–2–88 से 23 श्रमिक लगाये गये हैं। वर्तमान में कार्यरत 23 श्रमिकों का विवरण संलग्न "क" में दिया गया है।

इसके पूर्व कार्य पर लगाये गये श्रमिकों की सूची दे पाना संभव नहीं है क्योंकि श्रमिक आवश्यकतानुसार बदलते भी रहते हैं। इसी प्रकार मेसर्स ईस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा 1–9–85 से 31–1–88 तक कुल 36 श्रमिक अनुबंध के अनुसार लगे थे जिसका विवरण दे पाना संभव नहीं है। 23–1–89 से इन्हें कम से कम 12 श्रमिक काम पर लगाने थे। माह सितम्बर, 90 में कार्यरत श्रमिकों के नाम, पिता का नाम पदनाम सहित संलग्न "ख" में दिया गया है। कार्यरत श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर रु0 27.10 प्रतिदिन के अनुसार भुगतान किया जाता है।

जी हां।

विभागीय अधिकारी की उपस्थिति में प्रत्येक ठेकेदार के प्रत्येक श्रमिक का भुगतान कराना संभव नहीं है क्योंकि संबंधित ठेकेदार श्रमिकों को भिन्न-भिन्न जगहों पर निर्धारित दिनों में श्रमिकों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर भुगतान करते हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. 85–86 पर)

जनपद बुलन्दशहर के माया त्यागी हत्याकांड से सम्बन्धित दण्डित पुलिस कर्मियों की सेवाएं

126–श्री मोहम्मद रिजवानुलहक––
क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर ने सात वर्ष पुराने माया त्यागी हत्याकांड में जनवरी, 88 में जिन पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई है क्या उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव––
जी हां।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की नरैनी तहसील मुख्यालय में अग्निशामक उपकेन्द्र स्थापित करने की मांग

127–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––
क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी तहसील मुख्यालय में अग्निशामक उपकेन्द्र स्थापित करने पर शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव––
तहसील नरैनी जनपद बांदा में अग्निशामक केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव पर शासन ने विचार किया। सम्यक विचारोपरांत वर्तमान में प्रस्तावित स्थान पर अग्निशामक केन्द्र अथवा उपकेन्द्र खोले जाने का औचित्य, सीमित वित्तीय संसाधनों एवं अन्य बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नहीं पाया गया है।

128–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––
(2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत थाना चौबेपुर में बढ़ते हुए अपराधों पर नियन्त्रण की मांग

129–श्री अमरनाथ यादव––
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत चौबेपुर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, डकैती के अपराधों पर नियन्त्रण हेतु शासन कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––
जनपद वाराणसी के थाना चौबेपुर के अन्तर्गत वर्ष 1990 में डकैती की तीन तथा चोरी की 15 घटनायें घटित हुईं जबकि इससे पूर्व वर्ष 1989 में डकैती की 5 तथा चोरी की 20 घटनायें घटित हुईं। इस प्रकार से वर्ष 1990 में पूर्व वर्ष की तुलना में अपराधों में कमी हुई है। फिर भी अपराधों पर और अधिक नियंत्रण रखने के लिए थाना चौबेपुर पर तैनात पुलिस बल द्वारा गश्त डियूटी दी जा रही है तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अपराध गोष्ठी में उन्हें निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर एवं सूरतगंज के किसानों को कीटनाशक दवाइयों का वितरण

130–श्री शिवकरन सिंह––
क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 कृषि रक्षा इकाई द्वारा कितने रुपये की कीटनाशक दवाइयां वर्ष 1989–90 में खरीदी गईं तथा किन-किन जिलों को कितनी दवा दी गयी? जनपद बाराबंकी के वि0खं0 रामनगर एवं सूरतगंज में कितने किसानों को उसका लाभ मिला ?

श्री शंकर सिंह––
सूचना एकत्रित की जा रही है।

पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस निरीक्षकों व उप अधीक्षकों का मानक के आधार पर स्थानान्तरण प्रक्रिया अपनाने की मांग

131–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल––
क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस निरीक्षकों और उप अधीक्षकों के स्थानान्तरण के क्या मानक हैं ? क्या निर्धारित मानकों के अनुरूप पुलिस विभाग में स्थानान्तरण किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निर्धारित मानक के आधार पर स्थानान्तरण की प्रक्रिया चालू करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव––
शासनादेश संख्या–500/आठ–1–86, दिनांक 11–7–86 के अनुसार पुलिस कार्यकारी दल के निरीक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में नीति निर्धारित की गयी है, तदनुसार इनके स्थानान्तरण किये जाते हैं। पुलिस उपाधीक्षकों के स्थानान्तरण के संबंध में शासन स्तर से कोई सर्वकालिक मानक निर्धारित नहीं है।

जी हां,

अन्य के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठते।

132–श्री ऊदल––
(दिनांक 23–1–91 को अता0 प्र0सं0 109 द्वारा उत्तरित)

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक ठेकमा पो0 बेलउन के ग्राम गोसाईपुर के श्री सलटन व पलटन पुत्रगण श्री छट्टू राम को विद्युत कनेक्शन का दिया जाना

133—श्री दीप नारायण—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री सलटन व पलटन पुत्रगण श्री छट्टू राम, ग्राम गोसाईपुर पो0 बेलउन, ब्लाक ठेकमा, जिला—आजमगढ़ में 3 हार्स पावर की लाइन का कनेक्शन लेने हेतु स्टीमेट के अनुसार 720 रु0 जिसकी रसीद संख्या 3145311 है दिनांक 8—11—89 को जमा कर दिया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अविलम्ब उनको विद्युत लाइन का कनेक्शन देने की कृपा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

वरीयता सूची के अनुसार उनका क्रम आने पर उन्हें दिनांक 21—12—90 को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत मुख्यालय व मण्डलीय कर्मचारियों के वेतनमान में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने का औचित्य

134—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय मुख्यालय सहित अन्य खंड/मंडल/मुख्य अभियन्ता कार्यालय में असिस्टेंट कैशियर का पद नाम और वेतन भिन्न-भिन्न है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या परिषदीय मुख्यालय के उक्त कर्मचारियों एवं मण्डलीय कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति दायित्व और पद स्तर में कोई भिन्नता है ? यदि नहीं, तो वेतन निर्धारण में भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन को छोड़कर अन्य किसी कार्यालय में असिस्टेंट कैशियर का पद स्वीकृत नहीं है। परिषद् मुख्यालय पर भी इस नाम का कोई पद नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पद के मुख्यालय और अन्य इकाईयों में कार्य की प्रकृति, दायित्व, स्तर तथा वेतनमान आदि की तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् 4 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ के कार्यालय में दैनिक श्रेणी लिपिक की अवैध नियुक्तियों को रद्द किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

135—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के द्वितीय बुधवार के अता0 प्र0 प्रश्न संख्या—32 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी ? पत्र में उल्लिखित बिन्दु क्या थे तथा बिन्दुशः क्या आख्या प्रस्तुत की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा जांच की गयी।

पत्र में उल्लिखित बिन्दु तथा उन पर प्रस्तुत बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है :—

(1) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा परिषद् के आदेशों की अवहेलना करके दैनिक श्रेणी लिपिक के कतिपय पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्तियां की गयीं।

प्रश्नगत नियुक्तियां राज्य विद्युत परिषद् की अनुमति से परिषद् के हित में आवश्यक होने के कारण की गयी थीं।

(2) सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से उक्त नियुक्तयां नहीं की गयी और न ही समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया। नियुक्तियों के लिये कोई चयन समिति गठित नहीं की गयी और न ही परीक्षा साक्षात्कार आयोजित हुआ। विद्युत सेवा आयोग द्वारा भी चयन नहीं कया गया।

यह सही है, परन्तु चूंकि संबंधित नियुक्तियां तदर्थ व्यवस्था में एक निर्धारित अवधि को लिये थी और चयन की प्रक्रिया में विलम्ब होने की संभावना थी, अतः परिषद् हित में नियुक्तियां की गयीं।

(3) तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा भ्रष्टाचार करके प्रत्येक नियुक्तियों में 10–15 हजार रुपये के लिये गये एवं नियुक्त किये गये अधिकांश व्यक्ति मुख्य अभियन्ता कार्यालय कर्मचारियों के रिश्तेदार/संबंधी हैं।

यह आरोप निराधार पाया गया है। मुख्य अभियन्ता कार्यालय के अधीक्षक की पुत्री की नियुक्ति अवश्य की गयी थी जो कि उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता रखती थी एवं उन्हें अन्य कर्मचारियों की भांति नियुक्त किया गया था।

(4) उक्त संबंध में निष्पक्ष जांच कराके संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

प्रश्नगत मामले में मुख्य अभियन्ता जल विद्युत द्वारा जांच की गयी एवं भ्रष्टाचार का आरोप निराधार पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम सभा लोदीपुर के मौजा तहिरापुर में वर्ष 1988–89 में गांधी शताब्दी पर घोषित विद्युतीकरण की योजना

136–श्री राम लखन वर्मा––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लोदीपुर मौजा तहिरापुर, तहसील अकबरपुर जिला-फैजाबाद में वर्ष 1988–89में गांधी शताब्दी के अवसर पर विद्युतीकरण का निश्चय किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त विद्युतीकरण हुआ? यदि नहीं, तो विद्युतीकरण कब तक हो जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी नहीं।

जी नहीं।

मौजा तहिरापुर ग्राम लोदीपुर का एक पुरवा है। जनपद फैजाबाद में पुरवों के विद्युतीकरण की कोई योजना न होने के कारण इसका विद्युतीकरण अभी संभव नहीं है।

प्रदेश में पशु चिकित्सालयों में रिक्त पशु चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति की मांग

137–श्री राम लखन वर्मा––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने सरकारी पशु चिकित्सालय हैं? उनमें से कितने चिकित्सालय पशु चिकित्सक विहीन चल रहे हैं? प्रदेश के समस्त पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न हो पाने के क्या कारण हैं? उनमें नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी?

श्री जमुना प्रसाद बोस––

प्रदेश में इस समय 1924 पशु चिकित्सालय हैं।

उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 138 पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सक विहीन चल रहे हैं।

लोक सेवा आयोग से चयनित पशु चिकित्साधिकारी उपलब्ध न हो पाने के कारण तथा जो चयनित पशु चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध कराये गये हैं उनमें से कुछ की नियुक्ति से पूर्व अपनाई जाने वाली औपचारिकताओं चरित्र सत्यापन इत्यादि में विलम्ब होने के कारण उनकी नियुक्ति अभी नहीं हो सकी है।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर तथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व अपनाई जाने वाली औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या तथा शेष ग्रामों म विद्युतीकरण पूरा करने का मांग

138—श्री राम लखन वर्मा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उ0 प्र0 में कुल कितने गांव हैं और उनमें से कितने गांवों का 31 मार्च, 90 तक विद्युतीकरण हो चुका है? प्रदेश में शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा कर देने का लक्ष्य है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

1981 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 1,12,566 ग्राम हैं जिनमें से 31 मार्च, 1990 तक 80358 ग्रामों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकरण हो चुका है। शेष ग्रामों का संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत नैनीताल क्लब में मई व जून 90 में ठहरने वाले विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों की सूची तथा ठहरने की अवधि

139—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई व जून, 90 में नैनीताल क्लब, नैनीताल में कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारी कितने समय तक किन-किन श्रेणी के कक्षों में ठहरे और कितने कक्ष उक्त अवधि में उनके अध्यासन में रहे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि एक समय में एक कक्ष एक व्यक्ति को कितने समय के लिए दिया जा सकता है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

नैनीताल क्लब में मई व जून 90 की अवधि में 81 आई0 ए0 एस0 अधिकारी भिन्न अवधियों में अध्यासित रहे हैं, जिनका विवरण संलग्न है? नैनीताल क्लब में एक व्यक्ति को एक कक्ष नियमानुसार एक सप्ताह तक के लिए आवंटित किया जा सकता है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. . . . . पर)

जनपद बाराबंकी के विकास खंड सूरतगंज में विधान परिषद् मतदान केन्द्र पर हुए मतदान के संबंध में जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी पुलिस फतेहपुर की रिपोर्ट का प्रतिफल

140—श्री असगर अली—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-118 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना-मोहम्मदपुर खाला के दोषी पाये गये थानाध्यक्ष तथा कान्सिटेबिल को उक्त थाने से कहां स्थानान्तरित किया गया? उन्हें बाराबंकी से बाहर स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण हैं? जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी से पुनः मांगी गयी तथ्यात्मक आख्या किस प्रक्रम पर है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

संयुक्त रिपोर्ट में इंगित किए गए थाना मोहम्मदपुर खाला के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री

नरेन्द्र सिंह यादव का स्थानान्तरण थानाध्यक्ष, थाना–सुदेहा के पद पर एवं कान्स0 श्री वीरेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण थाना असन्द्रा में बीट पर कर दिया गया था।

संयुक्त रिपोर्ट में उक्त दोनों पुलिस कर्मियों के जनपद से बाहर स्थानान्तरण में संबंध में कोई संस्तुति नहीं की गई थी। अतः उनका स्थानान्तरण जनपद से बाहर नहीं किया गया।

संयुक्त आख्या पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से तथ्यात्मक आख्या प्रश्नगत संयुक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों के संबंध में मांगी गई थी।

जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक मानिकपुर के गांवों का विद्युतीकरण

141–श्री राम प्रसाद सिंह––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत ब्लाक मानिकपुर के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है? क्या इनमें से कुछ गांवों में खंभे एवं तार नहीं हैं? यदि हां, तो किस-किस में तथा इनमें खम्भा एवं तार न होने का क्या कारण है? इनमें कब तक खम्भे एवं तार खींचकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी नहीं, जनपद बांदा के अन्तर्गत विकास खंड मानिकपुर में दिसम्बर 1990 तक 28 ग्रामों का एल0 टी0 मेंस बिछाकर विद्युतीकरण किया गया है और इन सभी में खम्भे तथा तार लगे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखंड में टी0 एण्ड वी0 योजना लागू करने की मांग

142–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड में टी0 एण्ड वी0 योजना लागू करने की शासन की कोई नीति है? यदि हां, तो वह कब से लागू की जायगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शंकर सिंह––

प्रदेश के तीस मैदानी जनपदों में (टी0 एण्ड वी0) प्रशिक्षण एवं सम्पर्क योजना दिनांक 1–4–90 से लागू कर दी गयी है, जिसमें बुन्देलखंड भी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक नरैनी के किसानों की सुविधा हेतु रंज तथा बागे नदी के किनारों का विद्युतीकरण शासकीय खर्चे पर कराने की मांग

143–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए रंज तथा बागे नदी के किनारों का विद्युतीकरण शासकीय खर्चे पर कराया जायगा ताकि किसान वहां अपनी विद्युत मोटर रखकर सिंचाई कर सकें? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव––

इस कार्य के लिये अभी योजना स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में 220 के0 वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाने का प्रस्ताव

144–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में 220 के0 वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह प्रस्ताव कब से विचाराधीन है और कब तक उक्त विद्युत उपकेन्द्र बांदा में बन जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

यह उपकेन्द्र सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ। 220 के0 वी0 बांदा विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 15 एकड़ भूमि जो वहां से 3 किलोमीटर तिदवारी–फतेहपुर मार्ग पर स्थित है, का चयन सितम्बर, 1990 में कर लिया गया है तथा भूमिअर्जन हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, बांदा को प्रस्तुत किया जा चुका है।

भूमि अर्जन के पश्चात् इसका निर्माण एवं ऊर्जीकरण संसाधनों की उपलब्धता की दशा में अगस्त, 1994 तक पूर्ण होने की आशा है।

जनपद इलाहाबाद के 279 मंझनपुर क्षेत्र के विकास खण्डों में भूमि संरक्षण के अवशेष कार्य को पूरा कराने की मांग

145—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के 279 मंझनपुर क्षेत्र के विकास खण्डों के अन्तर्गत वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में भूमि संरक्षण से संबंधित कितना कार्य किन-किन स्थानों पर किया गया? प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी? उक्त विकास खण्ड में कार्य कहां-कहां पर पूर्ण हो चुका है तथा किन-किन स्थानों पर कितना कार्य किया जाना शेष है? शेष कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री शंकर सिंह—

जनपद इलाहाबाद के 279 मंझनपुर क्षेत्र के विकास खण्डों के अन्तर्गत वर्ष 1987–88, 1988–89 एवं 1989–90 में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।

संलग्न विवरण में अंकित है।

कोई कार्य शेष नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. 90 पर)

जनपद फैजाबाद में स्थित नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्तियां करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

146—डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 1987 में लेखाकार के पद पर जिनकी तदर्थ नियुक्ति हुई है क्या वे विश्वविद्यालय द्वारा लेखाकार के पद हेतु जारी नवीनतम विज्ञापन में अंकित अर्हता पूर्ण करते हैं? यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की तदर्थ नियुक्ति किये जाने का क्या कारण है और उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शंकर सिंह—

जी नहीं।

प्रथम दृष्टया ये तदर्थ नियुक्तियां गलत प्रतीत होती हैं, अतः विश्वविद्यालय को इनको निरस्त करने के लिए तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

147—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद मऊ के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण करने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

148—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, व फरवरी, 90 में प्रश्नकर्ता द्वारा

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, मऊ, राज्य विद्युत परिषद्, उ0 प्र0 को दो पत्र दिए थे ? यदि हां, तो उसमें किन-किन ग्रामों में विद्युतीकरण की मांग की गयी थी ? क्या इस संबंध में वर्ष 1990 के बजट से उन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माह जनवरी व फरवरी, 1990 में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड मऊ को मा0 विधायक का ग्रामों में विद्युतीकरण के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वैसे मा0 विधायक ने अधिशासी अभियन्ता को ग्राम अहिलपुर कमरौली एवं लोकया के विद्युतीकरण हेतु मौखिक रूप से नोट कराया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त ग्राम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत है और परिषद् की वर्तमान नीति के अनुसार एल0 टी0 मेन्स बिछाकर उन्हीं ग्रामों के विद्युतीकरण का प्राविधान है जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकृत न हो

149—श्री मोती लाल देहलवी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद कानपुर देहात के थाना-बिल्हौर के ग्राम सिघौली में श्री सोनेलाल व भईया जी उर्फ दीप कुमार कटियार की हत्या तथा स्थल का निरीक्षण

150—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 14 अगस्त, 1990 को गांव सिघौली थाना बिल्हौर जनपद कानपुर, देहात में जिन 2 लोगों की हत्यायें हुई हैं उन मृतकों के नाम क्या हैं और क्या दोनों मृतकों की शव विच्छेदन क्रिया हुई है, तथा क्या दोनों मृतकों के परिवार के सदस्यों द्वारा थाने में रिपोर्ट करायी गयी है ? यदि हां तो, शव विच्छेदन क्रिया के अनुसार दोनों मृतकों की किन-किन कारणों व किन-किन अस्त्रों द्वारा मौतें हुई हैं और थाने में किन-किन लोगों द्वारा उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसी परिपेक्ष्य में क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात थाना बिल्हौर इन दोनों हत्याओं की सूचना पाकर घटना स्थल पर कब गए थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 14 अगस्त, 1990 को ग्राम सिघौली थाना बिल्हौर जनपद कानपुर देहात में सोने लाल व भईया जी उर्फ दीप कुमार कटियार की हत्या हुई थी। मृतक सोने लाल के भाई प्रभुदयाल व मृतक भईया जी उर्फ दीप कुमार कटियार के पिता राम औतार कटियार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई थी। शव विच्छेदन से मृतक सोने लाल की मृत्यु अग्नेयास्त्र से पहुंचायी गयी चोट से व भईया जी उर्फ दीप कुमार कटियार की मृत्यु धारदार हथियार से पहुंचायी गयी चोट से हुई। उक्त घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात द्वारा दिनांक 15-8-90 को घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।

पुलिस थाने के रजिस्टर नं0 8 (निगरानी रजिस्टर) में व्यक्ति का नाम दर्ज कराने व निगरानी खोलने हेतु निर्धारित आधार

151—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी व्यक्ति का नाम पुलिस थाने के रजिस्टर नं0—8 (निगरानी रजिस्टर) में दर्ज करने और उनकी निगरानी खोलने के क्या-क्या आधार निर्धारित हैं ? इसी प्रसंग में क्या कृपया यह भी बतायेंगे कि निगरानी वाले व्यक्ति की निगरानी किन-किन आधारों पर किस प्रक्रिया एवं विधि द्वारा बंद कर दी जाती है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 के अन्तर्गत रजिस्टर नं0-8 के भाग-5 में हिस्ट्रीशीट का समावेश होता है। यह निगरानी के अधीन अपराधियों का व्यक्तिगत अभिलेख होता है। हिस्ट्रीशीट केवल उन व्यक्तियों की खोली जाती है जो अभ्यासिक अपराधी या ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरक हों या उनका ऐसा हो जाना संभव हो।

निगरानी शुदा व्यक्तियों की निगरानी बन्द किये जाने के आधार, प्रक्रिया एवं विधि निम्न प्रकार है:--

हिस्ट्रीशीट दो प्रकार की होती है--
"क" और "ख"

पुलिस रेगुलेशन के पैरा-231 के अन्तर्गत वर्ग "क" हिस्ट्रीशीट के अधीन व्यक्ति जब तक कि वह तारांकित न किये गये हों कम से कम दो वर्ष के लिए संज्ञेय अपराध के लिए दोष सिद्ध न ठहराया गया हो, जेल में न रहा हो या उस पर किसी अपराध के करने पर संदेह न हो या संदिग्ध परिस्थितियों में अपने आपको अनुपस्थित न रखा हो, उसकी निगरानी बन्द की जा सकती है जब तक कि थाने की निरीक्षण पुस्तिका में अभिलिखित विशेष कारणों से पुलिस अधीक्षक विनिश्चय न करें कि वह जारी रखा जावे।

जब वर्ग "क" हिस्ट्रीशीट का व्यक्ति तारांकित किया गया है। वह कम से कम दो वर्षों, जिसमें वह जेल में न रहा हो, संज्ञेय अपराध में संदिग्ध न हो, संदिग्ध रूप से अनुपस्थित न रहा हो, के लिए तारांकित रहेगा। इस अवधि की समाप्ति पर उसके सुधर जाने का विश्वास हो तो उसका तारांकित किया जाना बन्द कर दिया जायेगा। परन्तु दो वर्ष के लिए निगरानी के अधीन रहेगा, जिसकी समाप्ति पर उसकी निगरानी बन्द कर दी जायेगी। यदि इस अवधि के दौरान उसके विरुद्ध कोई शिकायत न लिखाई गई हो।

पुलिस रेगुलेशन के पैरा 23 के अन्तर्गत "ख" वर्ग को हिस्ट्रीशीट निरन्तर रूप से खुला रहने वाला अभिलेख है इसके अन्तर्गत व्यक्ति मृत्यु तक निगरानी के अधीन रहते हैं। ऐसा होने के कारण इस वर्ग के संदिग्ध व्यक्तियों को तारांकित करना आवश्यक है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नैनीताल क्लब के आवासों के आवंटन का आधार

152--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नैनीताल क्लब नैनीताल में कुल कितने कक्ष कितनी श्रेणियों के हैं? उन कक्षों के दैनिक किराये की दर क्या है? उनका आवंटन किस-किस को किस आधार पर किया जाता है?

श्री मुलायम सिंह यादव--

नैनीताल क्लब नैनीताल में कुल 11 काटेज 16 डबल रूम, 32 सिंगिल रूम सूट तथा 3 डारमेट्री हैं। उक्त कक्षों के दैनिक किराये की दरों का विवरण संलग्न हैं। कक्षों का आवंटन राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नैनीताल स्थित आवासों में ठहरने के लिये बनी नियमावली में निहित प्राविधान के अनुसार किया जाता है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 91 पर)

राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रेमियों के उत्पीड़न के संबंध में विधायक श्री राम कुमार वर्मा के पत्र पर कृत कार्यवाही

153--श्री बसन्त लाल गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्रीराम कुमार वर्मा, विधायक के पत्र दिनांक 25-5-90 जो राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रेमियों के उत्पीड़न के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव

उक्त पत्र में यह शिकायत की गयी कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के एक राष्ट्र भाषा प्रेमी कर्मचारी श्री नन्द लाल जायसवाल दैनिक श्रेणी लिपिक को अंग्रेजी में प्रेषित एक कार्यालय ज्ञाप का उनके द्वारा हिन्दी अनुवाद मांगे जानेपर उनका उत्पीड़न किया गया और मनगढ़न्त आरोपों से युक्त विभागीय जांच में उन्हें फंसाने का असफल प्रयास किया गया एवं अन्ततः निर्दोष पाये जाने पर उनके समस्त भुगतान/स्थाईकरण तो देय तिथि से कर दिये गये किन्तु प्रोन्नति अब भी अवरुद्ध है जब कि उनके कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नत किया जा चुका है। मा0 सदस्य ने मामले में न्यायोचित कार्यवाही की मांग की थी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से प्राप्त आख्यानुसार उपर्युक्त पत्र में उल्लिखित यह कथन सही नह है कि श्री जायसवाल द्वारा कार्यालय ज्ञाप का हिन्दी अनुवाद मांगे जाने के कारण उनका उत्पीड़न और मनगढ़न्त आरोपों पर विभागीय जांच में उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। श्री जायसवाल द्वारा अपने कर्तव्यों तथा अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और कार्यस्थल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गयी थी।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत चिकित्सकों की वरिष्ठता का निर्धारण

154--श्री बसन्त लाल गुप्त--

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्दलाल जायसवाल, प्रान्तीय मंत्री, उ0प्र0 विद्युत् मजदूर संघ, सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का उ0प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् में कार्यरत चिकित्सकों क वरिष्ठता निर्धारण में की गई धांधली विषयक पत्र सं0-551/उ0प्र0 विम0 सं0/शिविर, दिनांक 3-7-90 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, प्रश्नगत पत्र में श्री जायसवाल ने डा0 (श्रीमती) नलिनी टन्डन की चिकित्साधिकारी पद पर वरिष्ठता निर्धारण का मामला उठाया है। चूंकि डा0 नलिनी टन्डन की चिकित्साधिकारी संवर्ग में वरिष्ठता नियमानुसार ही निर्धारित की गयी है अतः श्री जायसवाल के पत्र के संदर्भ में कोई अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ओबरा परियोजना के अन्तर्गत रिहन्द विद्युत गृह पिपरी में कार्यरत गाइड की प्रोन्नति में भेदभाव

155--श्री बसन्त लाल गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्दलाल जायसवाल, प्रदेश मंत्री उ0प्र0 विद्युत् मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र संख्या-1571/उ0प्र0 विद्युत् मजदूर संघ, दिनांक 12-6-90 जो कि ओबरा परियोजना के अन्तर्गत रिहन्द विद्युत गृह पिपरी में कार्यरत गाइड की प्रोन्नति में भेदभाव अपनाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के जलालपुर के लाइन मैन श्री राज बहादुर का स्थानान्तरण

156--श्री राम लखन वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर के लाइन मैन श्री राज बहादुर के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं हरिजनों व बुनकरों को सुविधायें प्रदान करने के संबंध में इनकर्ता के दिनांक 16-1-90 के मुख्य मंत्री को संबोधित पत्र तथा तत्संबंध में श्री श्याम रत्न रस्तोगी अनु विव उ0प्र0 शासन ऊर्जा अनुभाग-2 के पत्रांक-236 सी0एम0पी 2/90-23, दिनांक 3-3-90 के पवना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पत्र में अंकित शिकायतों की विद्युत परिषद् द्वारा जांच कराई गयी जिसमें लाइनमैन श्री राज बहादुर के विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए। वैसे भी उनका स्थानान्तरण 6-9-90 को कर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की विद्युत विभाग में व्याप्त अनियमिततगों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

157—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले को विद्युत विभाग की अनियमितताओं और उससे उत्पन्न जनरोष की समस्याओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का सचिव ऊर्जा को सम्बोधित 28-8-90 का पत्र मिला है? यदि हां, तो पत्र की जांच किसने की? क्या मुख्य मंत्री को कांग्रेस (आई0) द्वारा उन्नाव जिले के खण्ड कार्यालय में दिए गए धरना के ज्ञापन व अन्य बिन्दुओं सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-8-90 भी मिला है? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि उक्त दोनों पत्रों व मुख्य मंत्री को प्रेषित सांसद सरजू प्रसाद सरोज तथा प्रश्नकर्ता के इसी विषयक अगस्त, 90 के दूसरे सप्ताह में भी प्रेषित पत्रों के जांच निष्कर्ष क्या है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। इन पर विद्युत परिषद् से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

जनपद उन्नाव के कतिपय विद्युत् कर्मियों का शिकायतों के आधार पर स्थानान्तरण

158—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कुछ विद्युत् कर्मियों को सतर्कता विभाग की शिकायतों के आधार पर माह जून, 90 में स्थानान्तरण किया गया था? यदि हां, तो क्या उनमें से एक विद्युतकर्मी बांदा के लिए स्थानान्तरित किए गए थे? यदि हां तो क्या यह सच है कि उन्नाव से माह जून, 90 में कार्यमुक्त होने के बावजूद वे माह अगस्त, 90 तक उन्नाव खण्ड कार्यालय में ही बैठते रहे हैं? स्थानान्तरण आदेश का पालन कार्यमुक्त होने के बावजूद न करने के लिए उक्त कर्मी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, माह अप्रैल, मई जून 1990 में तीन विद्युत कर्मियों के स्थानान्तरण किए गए थे।

जी हां।

जी नहीं। उक्त विद्युत कर्मी को कार्यमुक्त करने के पश्चात् विद्युत वितरण मंडल बांदा में कार्यभार ग्रहण ही नहीं करने दिया गया क्योंकि कर्मी का पदनाम स्थानान्तरण आदेश में गलत हो गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत

159—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में अद्यतन हुई विद्युत् तारों, खम्भों की चोरियों से क्षतिग्रस्त विद्युत् लाइनों की रिपेयरिंग नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत खम्भों तारों की चोरी की घटना के कितने माह बाद सामान्यतया लाइन रिपेयर हो जानी चाहिए? क्या सरकार ने समय के भीतर रिपेयर न करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में लगभग सभी चोरियों से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की मरम्मत कर दी गयी है। केवल 11 के0वी0 जोरावरगंज लाइन की मरम्मत शेष है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

संसाधनों की कमी के कारण उक्त लाइन की मरम्मत नहीं की जा सकी।

चोरी की घटना के बाद मरम्मत का समय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में विद्युत देयों की वसूली

160—श्री हृदय नारायण—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जिले में विद्युत देयों की वसूली में वास्तविक धनराशि से ज्यादा धनराशि के रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं और बाद में वापस हो जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 90 के माह जून, जुलाई, अगस्त में कुल कितने रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी हुए? कितने बाद में वापिस कर लिए गए? वास्तविक से अधिक धनराशि के रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी करने का क्या औचित्य है इसके लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव में उपभोक्ता लेजरों में अंकित बकाया राशि के आधार पर वसूली प्रमाणापत्र जारी किए जाते हैं।

माह जून, जुलाई व अगस्त 1990 की अवधि में कोई रिकवरी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए और न ही उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित कोई रिकवरी प्रमाण पत्र वापस लिए गए।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विद्युत सब स्टेशन पर अवर अभियन्तायों की तैनाती

161—श्री हृदय नारायण—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि उन्नाव जिले का विद्युत विभाग का कोई भी एस0 डी0 ओ0/सहायक अभियन्ता अवर अभियन्ता अपने तैनाती केन्द्र के मुख्यालय में नहीं रहता है? क्या सरकार कृपया बताएगी कि किले के किसी भी सब स्टेशन पर अवर अभियन्ता न रहने का क्या औचित्य है? मुख्यालय पर न रहने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उन्नाव जिले के विद्युत विभाग के एस0डी0ओ0/सहायक अभियन्ता (राजस्व) अवर अभियन्ता अपने तैनाती केन्द्र के मुख्यालय में ही रहते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना परौरे में दिनांक 21-1-90 को दर्ज घटना की सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग

162—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

तृतीय सत्र 1990 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जो जांच की गई उसमें क्या तथ्य सामने आये?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना प्रचलित है।

जनपद बांदा के थाना कोतवाली नरैनी के ग्राम हड़हा के श्री बिल्ला पुत्र श्री अब्दुल रहमान के साथ मारपीट करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

163—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना-कोतवाली नरैनी के ग्राम हड़हा के

श्री बिल्ला पुत्र श्री अब्दुल रहमान का पत्र जो अराजक तत्वों द्वारा मारपीट आदि के सम्बन्ध में था दिनांक 5-4-90 के प्रश्नकर्ता के परिपत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या श्री बिल्ला पुत्र श्री अब्दुल रहमान का बयान लिया गया ? यदि हां, तो उनका बयान क्या है और मारपीट करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच करायी गयी। जांच से श्री सिद्दीक निवासी ग्राम हड़हा थाना नरैनी जनपद बांदा के लड़कों के खतना में निमंत्रण न देने के मामले लेकर श्री बिल्ला द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिया जाना पाया गया। इस संबंध में प्रार्थी का मौखिक बयान लेकर जांच की गयी थी। जांच से दोनों पक्षों में उपरोक्त कारणों को लेकर पार्टी बन्दी मन मुटाव एवं तनाव होना ज्ञात हुआ। शांति भंग की सम्भावना को देखते हुए धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गयी जो विचाराधीन न्यायालय है।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक श्री गोरखनाथ राय की अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

164--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 24-4-90 का पत्र बांदा जनपद, नरैनी तहसील के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक श्री गोरखनाथ राय की अनियमितताओं के संबंध में सी0बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सी0बी0, सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कर्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। आरोपों की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा की गयी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है।

जनपद बांदा के थाना गिरवां के ग्राम हुसैनपुर कलां मजरा दरगाहीपुर के निवासी श्री नत्थू प्रसाद पुत्र श्री कल्लू द्वारा कोतवाली नरैनी में दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर कार्यवाही की जानकारी

165--श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद थाना गिरवां के ग्राम हुसैनपुर कलां मजरा दरगाहीपुर के निवासी श्री नत्थू प्रसाद पुत्र श्री कल्लू ने नरैनी कोतवाली जनपद बांदा में दिनांक एक जुलाई, सन् 1989 को कोई रिपोर्ट धारा 323/584/506, 7 में दर्ज कराई थी ? यदि हां तो रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? उसमें कितने लोग दोषी पाये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां :

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-7-89 को श्री नत्थू पुत्र कल्लू लोधी, निवास ग्राम हुसैनपुर कलां, मजरा दरगाहीपुर, थाना गिरवा, जनपद बांदा ने, अभियुक्त घनश्याम द्विवेदी व राजा बाबू द्वारा उसको व गिलिया हरिजन को गाली-गलौज व मारपीट करने के सम्बन्ध में, एक लिखित सूचना थाना-नरैनी पर दी थी। इस सूचना पर मु0 अ0 सं0 113/89 धारा 323/504/506 भ0 द0वि0 व 7 पी0 सी आर0 ऐक्ट घटना से सम्बन्धित थाना गिरवा पर पंजीकृत किया गया।

विवेचना से उक्त अपराध 323/504/506 भा0 दं0 वि0 का पाया गया, जिसमें विवेचनोपरान्त अभियुक्त राधेश्याम व राजाबाबू के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर के ग्राम चकनारा थाना मंझनपुर में हिस्ट्रीशीटर के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों का विवरण

166--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद इलाहाबाद तहसील-मंझनपुर ग्राम-चकनारा के

के कितने लोग थाना–मंझनपुर में किन-किन श्रेणियों में हिस्ट्रीशीटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं और किन किन धाराओं के अन्तर्गत उन हिस्ट्रीशीटरों पर जनपद इलाहाबाद के किन किन थानों में कितने मुकदमें (अभियोग) पंजीकृत हुए हैं ? कितने मुकदमें अभी तक किन किन हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? क्या यह सही है कि कुछ पंजीकृत हिस्ट्रीशीटरों के विरुद्ध चल रहे अभियोग न्यायालयों से वापस लेने तथा कुछ हिस्ट्रीशीटरों की हिस्ट्रीशीट रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

ग्राम चकनारा तहसील मंझनपुर जनपद इलाहाबाद के थाना मंझनपुर में 11 लोग हिस्ट्रीशीटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं जो सभी श्रेणी "अ" के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं उक्त हिस्ट्रीशीटर पर जनपद इलाहाबाद में थानावार पंजीकृत अभियोग एवं उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न† है।

जी नहीं।

167––डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी––

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

जनपद फैजाबाद में स्थित टांडा तापीय शक्ति परियोजना में आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान की मांग

168–श्री राम लखन वर्मा––

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जनपद स्थित टांडा तापीय शक्ति परियोजना में किये गये कार्यों व सामानों की आपूर्ति का कितना धन किन-किन ठेकेदारों का कब से बकाया पड़ा हुआ है ? अभी तक उक्त भुगतान न होने का क्या कारण है ? क्या विद्युत परिषद् ब्याज सहित उसका भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

फैजाबाद जनपद स्थित टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना में किये गये कार्यों व सामानों की आपूर्ति का दिनांक 31–1–1991 तक संलग्न सूची के अनुसार ठेकेदारों/फर्मों का कुल धन रु0 232.81 लाख बकाया है। धन की कमी के कारण इस धनराशि का भुगतान लंबित है।

जी नही, संबंधित ठेकेदारों एवं फर्मों के साथ किये गये अनुबंध एवं क्रय आदेशों के प्राविधान के अन्तर्गत बिलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज के भुगतान का कोई प्राविधान नहीं है, उक्त अवशेष बकाया का भुगतान धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 92 पर)

जनपद फैजाबाद के ब्लाक जलालपुर के कतिपत ग्रामों में हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण

169––श्री राम लखन वर्मा––

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के जलालपुर ब्लाक के ग्राम बुधई, सोहगूपुर, गौसपुर, ककरहिया तथा भियांव ब्लाक के लवइया प्रतापपुर आदि गांवों की हरिजन बस्तियों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन हरिजन बस्तियों का कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

जी हां।

ग्राम सोहगूपुर तथा प्रतापुर खुर्द का विद्युतीकरण हेतु जिला विद्युत उपभोक्ता समिति द्वारा क्रमशः वर्ष 1988 एवं 1989 में चयन किया जा चुका है और संसाधन उपलब्ध होने पर हरिजन बस्ती सहित नियमानुसार विद्युतीकरण किया जा सकेगा। प्रश्नगत शेष ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु जिला विद्युत् उपभोक्ता समिति द्वारा अभी तक चयन नही किया गया है। अतएवं इन ग्रामों तथा इनकी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण अभी सम्भव नही है।

---

† छापा नहीं गया।

जनपद मऊ में स्थापित विद्युत् 132 के0 वी0 सब स्टेशन सेमरी जमालपुर से उपकेन्द्रों को विद्युत् प्रेषण

170—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में स्थापित 132 के0 वी0 सब स्टेशन समरी जमालपुर से किन-किन 33/11 के0 वी0 सब स्टेशनों को बिजली दी जाती है क्या उन सब स्टेशनों पर जा रही लाइन के पोलों को सीमेन्ट द्वारा बांधा गया है ? क्या सरकार इस प्रकार की गयी धांधली की जांच कराने की कृपा करेगी ? इस वर्ष बरसात में कितने पोल उखड़ कर गिर गये जिससे किसानों को समय से बिजली नहीं मिल पायी ? क्या सरकार इसकी जाँच कराकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जनपद मऊ में स्थापित 132 के0 वी0 सब स्टेशन सेमरी जमालपुर से निम्नलिखित 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों को बिजली दी जाती है—

(1) सेमरी जमालपुर
(2) मधुवन
(3) मोलनापुर
(4) बिलौली
(5) कोपागंज

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि लाइनों का निर्माण नियमानुसार हुआ है ।

इस वर्ष भारी वर्षा में 33 के0 वी0 सेमरी मधुबन लाइन के चार खम्भे दिनांक 22-7-90 को गिर गये परन्तु किसानों को बिजली 132 के0 वी0 दोहरीघाट सब स्टेशन से जोड़कर शीघ्र दे दी गयी थी। बाद में उन खम्भों को भी ठीक कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

171—श्री हृदय नारायण—

(3रे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद चमोली के लघु जल विद्युत् परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप विद्युत् उत्पाद को नियमित करने की मांग

172—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गुप्त काशी, तिलवाड़ा, कोठियाल सैंण, पाण्डुकेश्वर, तपोवन एवं धराली लघुजल विद्युत परियोजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विद्युत उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जनपद चमोली में गुप्तकाशी, तिलवाड़ा कोटियाल सैंण पाण्डुकेश्वर, तपोबन एवं धरानी लघु जल विद्युत् परियोजनायें अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप विद्युत् उत्पादन कर रहीं है परन्तु गुप्तकाशी, तिलवाड़ा, कोठियाल सैंण एवं पाण्डुकेश्वर के विद्युत् गृहों की टरबाइन पुरानी हो जाने के कारण उनसे विद्युत् उत्पादन में कमी आयी है। इन विद्युत् गृहों की मशीनों की मरम्मत करने हेतु रेनोवेशन मद में परिषद् द्वारा धन आवंटित किया जा रहा है। उक्त मशीनों की मरम्मत कर, लक्ष्य के अनुरूप विद्युत् उत्पादन हेतु बनाये जाने के प्रयत्न किये जायेंगे।

इन मशीनों की स्थिति निम्नवत् है :--

1--कोठियालसैण--इस विद्युत् गृह में एक मशीन के आटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर खराब है तथा दो मशीनों के कोंसिग गल चुके हैं ।

2--पाण्डुकेश्वर--इस विद्युत् गृह की दो मशीनों की टरबाइन की कोंसिग गल चुकी है ।

3--गुप्तकाशी--इस विद्युत् गृह का क्षतिग्रस्त ट्रांसफारमर अगस्त, 1990 में बदल दिया गया है । अब नहर क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्त का कार्य चल रहा है ।

4--तिलवाड़ा--इस विद्युत् गृह की एक मशीन की टरबाइन के ब्लेड खराब है और दूसरी मशीन चालू है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम किन्तूर का विद्युतीकरण

173--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी जनपद अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर के ग्राम किन्तूर का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस गांव में घरों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने घरों का विद्युतीकरण किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

ग्राम किन्तूर में आवासीय मकानों की संख्या 861 और उनमें से 561 मकानों में पंखा बत्ती के कनेक्शन हैं ।

जनपद फैजाबाद में स्थित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा आशुलिपिक कैडर में की गयी नियुक्तियों में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को ठीक करने का आदेश

17 --डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में कुछ आशुलिपिक के कैडर में नियुक्त व्यक्तियों को लेखा संवर्ग में ज्येष्ठता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो किस नियम और शासनादेश के अनुसार उन आशुलिपिकों को लेखा संवर्ग में ज्येष्ठता का लाभ दिया गया है ?

श्री शंकर सिंह--

जी हां ।

विश्वविद्यालय द्वारा की गई यह कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है जिसे ठीक करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

जनपद फैजाबाद में स्थित नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशों का पालन न करना

175--डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी--

क्या कृषि मंत्री यह बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 1449/12-8-89/400/24/88, दिनांक 24 जून, 1989 के प्रस्तर (ग) में अंकित निर्देशों का पालन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उसका पालन न करने से वित्तीय अनियमितता हो रही है ? यदि हां, तो उसके लिए जिम्मेदारी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शंकर सिंह--

शासन द्वारा शासनादेश संख्या-1449/12-8-89-400(24)/88, दिनांक 24 जून, 1989 निर्गत नहीं किया गया है। अपितु अधिसूचना संख्या-1849/12-8-89-400(24)/88, दिनांक 24 जून, 1989 निर्गत की गयी है। इसके प्रस्तर (ग) में दिये गये निर्देशों का पालन नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण नहीं किया गया है। इसके पालन न होने से कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के थाना नानपारा के मु0 चिकवा टोला के निवासी श्री राकेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री कुमार के अपहरण के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

176-श्री राज किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 मार्च, 1989 को मु0 चिकवा टोला, थाना नानपारा, जनपद बहराइच के निवासी श्री राकेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री कुमार, उम्र 2 2 वर्ष के अपहरण के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7-4-1989 को थाना नानपारा जनपद बहराइच में मु0 अ0 सं0-63/89 धारा-364 आई0 पी0 सी0 नामजद दर्ज है? यदि हां, तो अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या घटना के सम्बन्ध में कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी गई। जांच से अभियुक्त रवि कुमार रस्तोगी तथा एखलाख अहमद के विरुद्ध धारा 364 भा0 दं0 वि0 का अपराध सिद्ध होना पाया गया और आरोप-पत्र शीघ्र ही न्यायालय में भेजा जा रहा है।

कानपुर में स्थित चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के चावल मिल क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र के संयुक्त निदेशक श्री टी0 सी0 मिश्र द्वारा प्रदेशीय प्रशासनिक सेवा के श्री एस0 के0 निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

177-श्री राज किशोर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के चावल मिल क्षेत्रीय प्रसार सेवा केन्द्र के संयुक्त निदेशक श्री टी0 सी0 मिश्र ने प्रदेशीय प्रशासनिक सेवा के श्री एस0 के0 निगम के विरुद्ध नियुक्ति विभाग के सचिव को दिनांक 9 जनवरी, 1990 को पत्र भेजा है जिसमें श्री निगम के विरुद्ध जातिवाद वगैर पद के नियुक्तियां करने तथा वित्तीय घोटालों के आरोप हैं? क्या इसकी जांच शासन द्वारा करायी गयी हैं? यदि हां, तो जांचोपरांत शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शंकर सिंह--

जी हां।

छानबीन करायी जा रही है।

जनपद बाराबंकी में दुग्ध उत्पादन संघ लि0 द्वारा ली गई भूमि का मूल्य ग्राम सभा सुल्तानपुर को उपलब्ध कराने की मांग

178-श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड बाराबंकी के गांव सभा सुल्तानपुर जनपद बाराबंकी की भूमि नं0-920 में 5-4-0 भूमि रुपये 39,596 में अपर जिलाधिकारी (राजस्व) बाराबंकी के आदेशानुसार दी गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि संघ

ने चालान संख्या-बी/70, दिनांक 20-3-87 द्वारा स्टेट बैंक में जमा कर दिया है ? यदि हां, तो यह धनराशि गांव सभा को अभी तक उपलब्ध न होने का क्या कारण है ? गांव सभा को धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री चन्द्रपाल सिंह---

जी हां ।

जी हां ।

दुग्ध उत्पादक संघ लि0 बाराबंकी के पक्ष में गांव सभा सुल्तानपुर को पुनर्ग्रहीत की गयी प्रश्नगत भूमि पर राज्य सरकार का स्वामित्व होने के कारण इस गांव सभा को भूमि का मूल्य न तो अनुमन्य है और न ही गांव सभा को उपलब्ध कराया जा सकता है ।

जनपद इलाहाबाद के समस्त थाने में कार्यरत प्रभारी निरीक्षकों में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की संख्या

179—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थानों में कार्यरत प्रभारी निरीक्षकों व थानाध्यक्षों में से कितने-कितने व्यक्ति सवर्ण जाति के हैं ? कितने पिछड़ी जाति के, कितने अनुसूचित जाति के और कितने अल्पसंख्यक जाति के हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद के थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के कितने थाना इंचार्ज बनाये गये हैं और वे किन-किन थानों में कार्यरत हैं ? क्या यह सच है कि इलाहाबाद में थानाध्यक्षों प्रभारी निरीक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति के कोटे की उपेक्षा की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचनानुसार जनपद इलाहाबाद के थानों में कार्यरत प्रभारी निरीक्षकों एवं थानाध्यक्षों का विवरण निम्नवत है :--

	प्रभारी निरीक्षक	थानाध्यक्ष
सामान्य जाति	9	24
पिछड़ी जाति	..	5
अनुसूचित जाति	1	5
अल्पसंख्यक	..	1

थानाध्यक्ष का एक पद रिक्त है ।

जनपद इलाहाबाद में अनुसूचित जाति के नियमानुसार 5 थानाध्यक्ष नियुक्त हैं जो थाना होलागढ़ बारिया, मऊआइमा उतरांव एवं मोहब्बतपुर पइन्सा में नियुक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के थाना रोहनिया के एस0ओ0 व पुलिस कर्मियों द्वारा गंगा व लल्लू का इनकाउन्टर करने के सम्बन्ध में जांच के आदेश

183—श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रोहनिया, वाराणसी के एस0ओ0 व पुलिस कर्मियों द्वारा 20-6-90 को दिन में गंगा व लल्लू का टोडरपुर में इनकाउन्टर के सम्बन्ध में 30-7-90 का ज्ञापन व 14-8-90 का राजा तालाब को सभा की चार पेज की नोटिस मुख्य मंत्री को 18-8-90 को दी गयी है और उसकी अपराध अनुसंधान शाखा से जांच कराने की मांग की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी के पर्यवेक्षण में जांच कराए जाने के आदेश दिए गये हैं ।

जनपद वाराणसी के फीडर बाबतपुर क्षेत्र फूलपुर सब विद्युत् स्टेशन पिंडरा में जले ट्रन्सफार्मर को बदलने की कार्यवाही

181-श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फीडर बाबतपुर क्षेत्र फूलपुर सब विद्युत स्टेशन पिडरा जिला वाराणसी का ट्रान्सफार्मर 1-7-90 को जल गया है ? इस ट्रांसफार्मर का अब तक न लगाये जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र अगस्त, 1990 में जोनल चीफ वाराणसी को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

ट्रांसफार्मर की अनुपलब्धता के कारण इसे बदलने में विलम्ब हुआ ।

ट्रांसफार्मर उपलब्ध होते ही जले हुए ट्रांसफार्मर को दिनांक 27-9-90 को बदल दिया गया ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के क्षेत्र दवेचुआ में फीडर फूलपर के जले ट्रांसफार्मर का मामला

182-श्री ऊदल--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फीडर फूलपुर क्षेत्र दवेचुआ ब्लाक बड़ागांव जिला वाराणसी का ट्रांसफार्मर 30-6-90को जल गया और 3-7-90 को उतारा गया और 26-7-90 को लगा दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त मामला विद्युत विभाग के कागजात में दर्ज नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी भी जॉच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

ट्रांसफार्मर दिनांक 30-7-90 को बदला गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता की पदोन्नति में की गई अनियमितताएं

183-श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद ने पत्र संख्या-2100-के-ए(7)एस0ए0 बी0/81 दिनांक 7 मई, 1981 एवं पत्र--संख्या-2101-के-ए(7) एस0 ई0 बी0/81-29 जी0 ई0-11/80 दिनांक 8 मई 1981 द्वारा अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर की गई पदोन्नति में हुई अनियमितता के संबंध में उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति ने दिनांक 21 जुलाई, 1990 को अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को एक पत्र द्वारा अवगत कराते हुए उक्त संबंध में बरती गई अनियमितताओं को दूर करने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति ने अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य विद्युत् परिषद् को सम्बोधित अपने पत्र संख्या 150 दिनांक 21-7-90

में अवर अभियन्ता से सहायक अभियंता पद पर की गयी पदोन्नति के संबंध में न तो किसी अनियमितता का उल्लेख किया है और न ही किसी अनियमितता को दूर करने की मांग की है। उक्त पत्र में समिति ने एक व्यक्ति विशेष की अवर अभियंता (वि0 श्रे0) से सहायक अभियन्ता क पद पर पदोन्नति की मांग की है जो परिषद् के विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद में स्थित यमुना सिंह जनसेवा शिक्षा प्रसार विद्यालय मवैया पहलवान शंकरगढ़ के प्रबन्धक श्री उदयभान सिंह के विरुद्ध गबन की अंकित रिपोर्ट की जांच

184—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वर्गीय यमुनासिंह जनसेवा शिक्षा प्रसार विद्यालय मवैया पहलवान शंकरगढ़, जिला इलाहाबाद के प्रबन्धक श्री उदयभानु सिंह के खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद ने सरकारी धन के गबन की एक रिपोर्ट दिनांक 30—5—1990 को थाना शंकरगढ़ जिला इलाहाबाद में लिखायी थी ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां।

मुकदमें की विवेचना उपनिरीक्षक द्वारा की जा रही है।

जनपद रामपुर के गन्ना विकास परिषद् के अध्यक्ष श्री बाबर अली खाँ द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर उपनिरीक्षक श्री राजपाल सिंह के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

185—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना गंज, जिला रामपुर में तैनात उप निरीक्षक श्री रणपाल सिंह के विरुद्ध उसी थाने में दिनांक 24—3—90 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी जिसमें सूचनादाता श्री बाबर अली खाँ, अध्यक्ष गन्ना विकास परिषद् रामपुर ने उक्त उप निरीक्षक द्वारा उन्हें जान से मार देने की धमकी दिये जाने व अन्य संगीन शिकायतों की बात कही है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर दिनांक 20—6—90 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सच है कि उक्त उप निरीक्षक अभी भी उसी थाने पर तैनात है ? यदि ह, तो सूचनादाता की शिकायत पर निष्पक्ष छानबीन व कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, उक्त रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा, मुरादाबाद द्वारा प्रचलित है। उप निरीक्षक रणपाल सिंह का स्थानान्तरण थाना गंज से थाना मिलक को किया जा चुका है।

जनपद गाजीपुर के नन्दगांव में स्थापित पी0 के0 बी0 डिस्टिलरी को दिये गये कर्ज की वसूली

186—श्री ऊदल तथा श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 बी0 डिस्टलरी नन्दगंज जनपद गाजीपुर को उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा कर्ज दिया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने करोड़ रुपये का ? क्या यह सही है कि इस कम्पनी ने अपना नाम बदल दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और करोड़ों रुपये के कर्जे को वसूल करने की कार्यवाही करेगी यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मेसर्स पी0 के0 बी0 डिस्टलरी, नन्दगंज, गाजीपुर जिसका पूर्ववत् सही नाम मे0 पी0 बी0 के0 डिस्टलरी लि0 है, को उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा ऋण दिया गया था।

निगम द्वारा दिनॉक 30-4-76 को रु0 25.00 लाख तथा दिनॉक 27-1-79 को रू0 5.00 लाख, कुल 30 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। उसके विपरीत रु0 29,71,437.00 का वितरण जून 78 से मार्च 80 के मध्य किया गया।

रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के अनुमोदन के पश्चात् इस इकाई का नाम मे0 पी0 वी0 के0 डिस्टलरी लि0 से बदलकर मे0 मुनाफ डिस्टलरी लि0 कर दिया गया है।

इकाई द्वारा अपना नाम बदलने के पश्चात् भी उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा अपने देयों की वसूली करने में कोई वैधानिक बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इकाई को दिये गये ऋण की वसूली हेतु उ0 प्र0 वित्तीय निगम ने राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत इकाई के अधिग्रहण हेतु जनवरी, 89 में नोटिस जारी किया था किन्तु अक्टूबर, 89 से इकाई का प्रकरण बी0 आई0 एफ0 आर0 नई दिल्ली के समक्ष है। अतः इकाई के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही बी0 आई0 एफ0 आर0 के निर्णय तक स्थगित है।

उ0 प्र0 सरकार के भाषा विभाग द्वारा 'भाषा विधि' से भुवनवाणी ट्रस्ट को धन दिया जाना

18.--श्री मिठाई लाल शास्त्री--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के भाषा विभाग के अन्तर्गत कोई "भाषा निधि" स्थापित है? यदि हां, तो उसके क्या कार्य हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भाषा निधि के 10 करोड़ रुपये के ब्याज से कितनी धनराशि अब तक मिली है? उक्त धनराशि का कितना पैसा किसे और क्यों तथा किस मापदण्ड पर दिया गया है? क्या यह सही है कि भुवनवाणी ट्रस्ट को प्रिंटिंग प्रेस क्रय करने हेतु उक्त निधि से कोई धनराशि दी गयी? यदि हां, तो उसके लिए क्या कोई विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया गया? यदि नहीं तो क्यों? इसके लिये कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी व्यक्ति को दण्डित करेगी तथा भविष्य में भुवनवाणी ट्रस्ट को मिलने वाले धन पर रोक लगायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

जी हां। प्रमुख कार्य/उद्देश्य संबंधित नियमावली के नियम 4 (उद्धरण संलग्न-1)† में में निर्दिष्ट हैं।

दिनांक 31-3-1990 तक 5,62,50,000 रु0 की धनराशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई है। जिसमें से आलोच्य अवधि में भाषानिधि कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर 71,20,938.45 रु0 की धनराशि (संलग्नक-2)† वित्त विभाग की सहमति से भुगतान की गई है।

भाषा निधि संचालन समिति के निर्णय दिनांक 21-10-86 के आधार पर भुवनवाणी ट्रस्ट को आफसेट प्रिंटिंग प्रेस के क्रय हेतु रु 8.00 लाख की धनराशि कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा सशर्त स्वीकार की गई थी।

जी नहीं।

नियमतः आवश्यक नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापा नहीं गया।

जनपद लखनऊ पाटानाला झवई टोला निवासी मो0 आलम ठेकेदार को शेष धनराशि का भुगतान

188—श्री सत्य प्रकाश विकल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 21 जून, 1990 के पत्र के साथ संलग्न मो0 आलम ठेकेदार निवासी-झवई टोला, पाटानाला चौक लखनऊ का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में किन-किन कार्यों का कितना-कितना भुगतान बाकी बतलाया गया है ? क्या यह सही है कि कुल कार्यों का कुल 4,50,966.00 रुपये का भुगतान बाकी है ? यदि हां, तो इसका कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। मो0 आलम ठेकेदार के बकाया भुगतानों के सम्बन्ध में विवरण सहित सूची संलग्न है। वास्तव में यह धनराशि रु0 3,51,061.00 है, जिसमें रु0 2,65,774 का भुगतान किया जा चुका है। रु0 23,507 का भुगतान शेष है। शेष धनराशि का आगणन प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 94 पर)

जनपद गोरखपुर के जैविक औषधि उत्पादन केन्द्र हरिहरपुर के निर्माण को पूरा करने की मांग

189—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में प्रस्तावित जैविक औषधि उत्पादन केन्द्र हरिहरपुर का निर्माण आरम्भ करने के उपरान्त उसे रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उसे पूरा किये जाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद बोस—

इस केन्द्र का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है। केवल चहार दीवारी बनी है। केन्द्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं भवनों की ड्राइंग आदि तैयार करने का कार्य भारतीय पशु अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली को सौंपा गया है। उन्होंने इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है फाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा समुचित फन्ड की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

आगरा नगर की वर्तमान सब्जी मण्डी के स्थानान्तरण का विचाराधीन मामला

190—श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा नगर की वर्तमान सब्जी मंडी छीपीटोला से हटाकर अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव शासन ने स्वीकार किया है यदि हां, तो कहां तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुयी है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंकर सिंह—

जी हां।

सिकन्दरा क्षेत्र में ग्राम बाईपुर तहसील-सदर, आगरा में 10.952 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा के विचराधीन है।

वर्तमान विधान सभा के सदस्य श्री भोपाल सिंह, श्री बाबू सिंह तथा श्री दशरथ सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे वर्तमान सदन के माननीय सदस्य स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह जी के निधन की सूचना सदन को देते हुए हमें अफसोस है। 28 जनवरी को उनकी हत्या कर दी गई। वह सन् 1985 और 89 के सामान्य निर्वाचन में इस सदन के सदस्य चुने गए और किसान आन्दोलन के वह प्रमुख नेता थे। लेकिन अफसोस है कि उनकी जघन्य हत्या कर दी गई। वह एक्स सर्विस मैन लीग एसोशिएसन के अध्यक्ष रहे और आम जनता में वह मिलनसार और सादगी के प्रतीक रहे। सबको पता है कि जो वह कहना चाहते थे सबके सामने कहते थे और निर्भीकता के के साथ कहते थे। आज वह हमारे बीच नहीं रहे। हम अपनी तरफ से और सदन की तरफ से आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार तक आप हमारी सम्वेदना भेजने का कष्ट करें।

इसी तरह से स्वर्गीय श्री बाबू सिंह जी, जो अलीगढ़ के थे, प्रारम्भ से राजनैतिक जीवन में आए और समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 6 बार विधायक रहे। सबसे पहले 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनकर आए और 67 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और फिर 1974, 77, 80 और फिर 89 के सामान्य निर्वाचन में वह चुन कर इस सदन में आए। छः बार वह इस सदन के सदस्य रहे और वह हमारे वरिष्ठ नेताओं में से थे। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया और कई बार जनता की समस्याओं को लेकर जेल में गए। उनसे हमारा बहुत निकट का सम्बन्ध रहा। हमने हमेशा उनके साथ काम किया। कुछ समय को छोड़कर लगातार वह और हम एक ही दल में रहे। कैंसर की बीमारी के कारण 28 जनवरी को उनका निधन हो गया। हम सदन की तरफ से और अपने दल की तरफ से आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार तक हमारी संवेदना आप भेजने का कष्ट करें। स्वर्गीय श्री दशरथ जी का 9 फरवरी की रात को निधन हो गया वह राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने जनपद गोंडा में कुशल नेतृत्व किया। वह सादगी से जीवन व्यतीत करने वालों में से थे। आम जनता में उनकी सादगी की साख थी। दिन रात जनता की सेवा और शैक्षिक संस्थाओं में काम करने की उनकी रुचि थी। वह इस सदन के वर्तमान सदस्य थे। उनसे बड़ी उम्मीद थी कि वह देश और प्रदेश की इस सनद के माध्यम से सेवा करेंगे गोंडा के एक कुशल राजनीतिज्ञ चले गये। उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूंकि उनके परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन् मैं भी अपनी भावनाओं को और अपने साथी सदस्यों की भावनाओं को, माननीय नेता सदन के द्वारा व्यक्त भावनाओं से, इन निधन की सूचनाओं के संदर्भ में जोड़ता हूं।

सम्मानित भोपाल सिंह जी का दुर्भाग्यपूर्ण निधन 28 जनवरी को मेरठ में हुआ। वह सदन के कर्मठ सदस्यों में से थे, जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई वह और भी खेदजनक इसलिए है क्योंकि उससे बढ़ती हुई राजनैतिक हिंसा औरव्यक्तिगत करता हमारेसामाजिक और राजनैतिक जीवन को कलुषित कर रही है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिससे उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ। हम सबको मिलकर देश और प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि देश और प्रदेश में प्रजातन्त्र की मर्यादा बनी रहे, हमें सहिष्णुता से काम लेने की आवश्यकता है। किसी भी स्तर कामुद्द हो, हमें चाहिये कि उसे व्यक्तिगत न होने दें। शत्रुता और वैमनस्य ऐसे मामले होते हैं जो प्रजातन्त्र के लिए घातक हैं। उनकी ऐसी मृत्यु हुई जो संदेश-वाहक भी है। वह अपनी मृत्यु में भी संदेश छोड़ गये। राजनीतिक हिंसा का समाजिक हिंसा का पारस्परिक संबंधों में समावेश नहीं करना चाहिए भोपाल सिंह जी बहुत प्रभावी ढंग से अपने, विधायक के कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। मैंने ऐसे बहुत कम विधायक देखे जिन्होंने इतने प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखा होगा। उन्होंने जनता के लिए, भूतपूर्व

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सैनिकों के लिए जो कार्य किए वह स्मरणीय रहेंगे।

स्वर्गीय श्री बाबूसिंह जी, हमारे बहुत पुराने सहयोगी थे। मुझे उनके साथ 1947-48 से काम करने का सुअवसर मिला था, वह इस सदन के वर्तमान सदस्यों में से थे। वह 1962 से लगातार एक बार छोड़कर हर बार निर्वाचित हुए। यह उनकी असीम लोकप्रियता का उदाहरण है। वह मृदु भाषी, संतुलित व्यक्तिगत्व के थे वह लोक जीवन को समर्पित विधायक रहे। इस विधान सभा की जितनी महत्वपूर्ण समितियां हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, आवास मंत्रणा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सबको उन्होंने अपने अभुनव से लाभान्वित किया। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और समाजवादी आंदोलन के उत्तर प्रदेश में कर्णधार रहे। स्वनाम धन्य ठाकुर मलखान सिंह के वह अनन्य सहयोगी थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने बहुत कार्य किया। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के निधन से समाजवादी आन्दोलन कमजोर हुआ है। श्रीमन्, श्री दशरथ सिंह से मेरा परिचय रहा है। सन् 1974 में जनसंघ के टिकट पर उनको सफलता प्राप्त हुयी और 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में और 1989 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वह चुने गये। इससे उनकी लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। उन्होंने बहराइच जनपद की और अपने क्षेत्र की अनेकों समस्याओं का निदान पूरी चेष्टा से किया। श्रीमन्, जब मैं बहराइच गया था तो मैंने देखा कि सरयू कैनाल के निर्माण के बारे में उनको कितनी चिंता थी। उनके निधन से हमने जनपद गोंडा के एक प्रसिद्ध राजनीतिक को खो दिया है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह--

श्री भोपाल सिंह जी इस सदन के दो बार सम्मानित सदस्य चुने गये। भोपाल सिंह जी निडर और मुखर वक्ता थे। उन्होंने अपना प्रारम्भिक जीवन सेना से शुरू किया और उसके बाद वह किसान आन्दोलन से जुड़े रहे। मान्यवर, जिस तरह से उनकी हत्या हुयी वह इस बात का द्योतक है कि आज राजनीति में अपराधीकरण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है वह हम सबके लिये चिंता का विषय है। भोपाल सिंह जी की हत्या इस बात का द्योतक है आज समाज में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और इतना बढ़ता जा रहा है कि निकट भविष्य में अगर इसके लिये सभी दल के लोग मिलकर कोई चिंतन नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में यह बोलबाला और बढ़ता जायगा। मान्यवर, उन्होंने किसान आन्दोलन में सक्रिय रूप से भूमिका अदा की और उसमें उनका बड़ा योगदान रहा कृपया मेरी तथा मेरे दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना भेजने का कष्ट करें।

मान्यवर, श्री बाबूसिंह यादव जी से मेरा परिचय सन् 74 से था। वह बहुत ही कर्मठ विधायकों में से थे और इस सदन के वरिष्ठ विधायकों में से वह रहे। उन्होंने जीवन पर्यन्त किसानों के लिये काम किया। अपने क्षेत्र के लिये इस विधान सभा में समय समय पर वहां की मांगों को लेकर उन्होंने सवाल किये और वहां की समस्याओं के समाधान के लिये उन्होंने बहुत कार्य किया। मान्यवर, बाबू सिंह जी एक मृदु भाषी और बहुत ही कर्मठ नेता थे। वह इस बात से साबित होता है कि सन् 62 से लेकर, जीवन पर्यन्त, सिर्फ एक बार को छोड़कर, लगातार वह एक ही क्षेत्र से विधायक चुने जाते रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से कृपया संवेदना भेजने का कष्ट करें। मान्यवर, उसी तरह से श्री दशरथ सिंह जी जो गोण्डा जिले से आते थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित थे 1974, 1977 और 1989 में तीन बार वह इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे और उन्होंने हमेशा गोण्डा के लिए और वहां के प्रगति के कार्यों के लिए आवाज उठाई। आपसे निवेदन है कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से कृपया शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, स्वर्गीय श्री भोपाल सिंह जी का निधन ऐसी दुःखद परिस्थितियों में हुआ, जबकि वह अस्पताल में टहलने के लिए निकले थे और हमलावरों की गोलियों के शिकार हुए। श्री भोपाल सिंह की हत्या ने हम सब लोगों के सामने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि किस प्रकार से

बढ़ती हुई हिंसा और यह प्रतिशोध की भावनायें हैं, वे किस प्रकार से रोकी जायं। माननीय भोपाल सिंह इस सदन के सम्मानित सदस्य थे और अपने क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए जिस प्रकार से जुझारूपन से कार्य करते थे, उससे सबको प्रेरणा मिलती थी। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, केवल उनकी स्मृति हमारे बीच में है। जिस परिस्थिति में उनका निधन हुआ, उसने हम सबको बाध्य किया है कि हम सब मिल कर सोंचें कि किस प्रकार से व्यक्तिगत हिंसा और राजनैतिक हिंसा को प्रभावी ढंग से रोका जाय। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्री भोपाल सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आपसे निवेदन है कि मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें। माननीय श्री बाबू सिंह जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। मुझे यह सौभाग्य मिला, इमरजेन्सी के दिनों में अलीगढ़ जेल में मीसा बन्दी के रूप में उनके साथ कुछ समय तक रहने की और मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। वह अपने सिद्धान्त के प्रति, अपने विचारों के प्रति निष्ठावान और अडिग विश्वास रखने वाले थे। अपने विचारों पर दृढ़ता के साथ जमे रहना उनके स्वाभाव की प्रकृति रही है। वह 6 बार इस सम्मानित सदन में चुनकर आये और आपने क्षेत्र की जनता के लिए अनुकरणीय कार्य किया। वह समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे। अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता बेमिशाल थी। उनके निधन से प्रदेश ने और अलीगढ़ जनपद ने अपने एक ऐसे साथी को खो दिया है, जिनके नेतृत्व में और जिनकी अगुआई में हम सब आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। हम इनके निधन से दुखी हैं और उनके शोक-संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक भेजने का कष्ट करें। माननीय श्री दशरथ सिंह जी गोण्डा से चुनकर आये थे और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान और कर्मठ नेता और कार्यकर्ताओं में से थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और उनका सारा जीवन आदर्श और सादगी का एक उदाहरण था। मुझे याद आता है कि 25 जनवरी को यह सदन अनिश्चितकाल के लिए उठा था, तब ये तीनों विभूतियां इस सदन में थीं और हमारे बीच बैठती थीं। मात्र 15 दिन के अन्तराल में यह तीनों वर्तमान सदन के ऐसे सदस्य हमारे बीच से चले गये। यह हमारे लिए बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय दशरथ सिंह जी के प्रति हार्दिक शोक प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि शोक संतप्त परिवार तक मेरे और मेरे दल की ओर से हार्दिक संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर स्वर्गीय भोपाल सिंह जी, स्वर्गीय बाबू सिंह जी और स्वर्गीय दशरथ सिंह वर्तमान विधान सभा के सदस्य थे उनके निधन से मुझे और मेरे दल के माननीय सदस्यों को हार्दिक कष्ट है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनता दल और माननीय विकल जी ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारी दल की शोक संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, इस सदन के वर्तमान सदस्य और जो हम लोगों के परिवार के थे श्री भोपाल सिंह, श्री बाबू सिंह और श्री दशरथ सिंह हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उन लोगों के निधन से जो हमारे प्रदेश में राजनीतिक रिक्तता आई है उसे पूरा होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, यह कौन जानता था अभी पिछली बैठकों में यह साथी हम लोगों के साथ थे और इतनी जल्दी हम लोगों से बिछड़ जायेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। मान्यवर भोपाल सिंह जी का चेहरा और उनके शरीर की बनावट मुझे याद आती है। आज हमारे प्रदेश में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध की भावना जो राजनीति में प्रवेश कर गयी है वह चिन्ता का विषय है और हम सब लोगों के लिए विचारणीय प्रश्न है कि जो प्रतिशोध पैदा हो रहा है उसका अन्त कैसे होगा। भोपाल सिंह इसके शिकार हुए।

माननीय श्री बाबू सिंह जी जो इस सदन के निरन्तर सदस्य रहे हैं उनके निधन से हमारा दल और मैं स्वयं दुखी हूं। वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। माननीय श्री दशरथ सिंह जी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे उनकी अपने क्षेत्र में लोक प्रियता थी। उनके निधन से जो अपूर्णनीय क्षति हुई है वह परी होनी मुश्किल है। मान्यवर, इन तीनों माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने का कष्ट करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय भोपाल सिंह, माननीय बाबू सिंह और माननीय दशरथ सिंह इस सदन के वर्तमान सदस्य थे, हमारे बीच में नहीं हैं, यह बड़ी दुःख की बात है। इनके बारे में जो शोकोद्गार नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं पहुंचा दें।

* श्री चैनसुख भारती--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के हमारे वर्तमान सदस्य श्री भोपाल सिंह, श्री बाबू सिंह व श्री दशरथ सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। मैं उन्हें अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी ये शोक संवेदनाएं उनके परिवारों तक भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

सम्मानित सभी सदस्यगण, भोपाल सिंह जी सन् 1978 से अब तक किसान संघर्ष समिति के संयोजक रहे। वे 1980 से अन्तिम समय तक एक्स सर्विसमैन लीग एसोसियेशन के मंत्री रहे। उन्होंने किसान आन्दोलनों में भाग लिया और भूतपूर्व सैनिकों को राहत दिलाने का कार्य किया। श्री भोपाल सिंह निधन से जनपद मेरठ ने एक कर्मठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। जिन परिस्थितियों में श्री भोपाल सिंह का निधन हुआ, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जो सभी दलों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है, उसके सम्बन्ध में मेरा भी यह सुझाव कि ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर' देश की एकता को कायम कर रखने के लिये,लोकतंत्र की जड़े मजबूत करने के लिये, दलगत से ऊपर उठकर सभी लोग इस विषय पर कोई विचार-विमर्श करके ऐसा वातावरण बनावें कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मुझे भी उनके निधन से बड़ा दुःख हुआ है।

श्री बाबूसिंह जी को सन् 1942 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण फरार रहना पड़ा तथा वे सोशलिस्ट आन्दोलनों के सम्बन्ध में तीन बार जेल गये। वे बागपत आन्दोलन के सम्बन्ध सन् 1980 में कई बार जेल गये। वे विधान सभा की प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, आवास मंत्रणा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सदस्य रहे। वे शिक्षा संस्थाओं की कार्यकारिणी के सदस्य, कोषाध्यक्ष एवं मैनेजर के पदों पर आसीन रहे। लोकगीत लिखने तथा संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बाबूसिंह के निधन से जनपद अलीगढ़ ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कर्मठ राजनीतिज्ञ खो दिया। मेरा भी उनसे निकट का साथ रहा। दारुलशफा में मेरा उनका कमरा साथ रहा। उनकी लोकप्रियता के बारे में दूसरी राय नहीं हो सकती। निश्चय ही उनके निधन से बहुत क्षति हुई है।

श्री दशरथ सिंह सन् 1947 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे। सन् 1948 में सत्याग्रह में वे जेल गये। श्री सिंह ने अनेक कार्यों के साथ ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय रूप से योगदान दिया। आपातकालीन स्थिति में आपने 32 व्यक्तियों के जत्थे का नेतृत्व करके 6 माह की जेल की यात्रा की। वे सादा जीवन व्यतीत करने तथा वषय समस्याओं को हल करने में विशेष रुचि रखते थे। उनके निधन से जनपद गोण्डा ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी खो दिया।

*वक्ता ने भाषण् का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन के सभी नेताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनकी भावनाओं को उनके परिवारजनों तक भेज दिया जायगा। आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धाँजलि अर्पित करें।

(सभी माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धाँजलि अर्पित की)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम, श्री सैयद साजिद हुसैन, श्री केशभान राय तथा श्री राजाराम के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय बेचन राम जी का निधन 28 नवम्बर, 1990 को हुआ। स्वर्गीय बेचन राम भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। वे 1952, 1957, 1967 और 1974 में सामान्य चुनाव जीत करके इस सदन में चार बार आये। वे जिला परिषद्, वाराणसी के उपाध्यक्ष भी रहे। वाराणसी जनपद के कुशल राजनीतिज्ञ थे, समाजसेवी थे उन्होंने किसानों के लिये काफी संघर्ष किया वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने सदन की बहुत सेवायें की हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

स्व0 श्री सैयद साजिद हुसैन का निधन 3 फरवरी, 1991 को हो गया वे 1937 और और 1946 में इस सदन के सदस्य रहे। वे पायनियर पेपर के एवं अमीरुद्दौला लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे। वे छात्रों को वजीफा देते थे। शिक्षा में उनकी विशेष रुचि थी और जो छात्र पढ़ने लिखने में अच्छे थे उनको प्रोत्साहन देने के लिये अपने निजी प्रयासों से वजीफा देते थे। उनको ताम्रपत्र भी मिला था। उनके निधन से खीरी जनपद ने एक महान राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि हमारे दल और सदन की ओर से उनके परिवार तक संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

स्व0 श्री केशभान राय का निधन 12 फरवरी, 1991 को हो गया। 1952, 1957 व 1962 में तीन बार सामान्य चुनाव में जीतकर सदन की सेवा की। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया और कई शिक्षण संस्थाओं को उन्होंने चलाकर और उन्होंने कई देशों का भ्रमण भी किया। एक अनुभवी व एक योग्य नेता गोरखपुर जनपद ने खो दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि दल की तरफ से और सदन की तरफ से उनके परिवार तक हमारी संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

स्व0 श्री राजाराम का जन्म बिहार में हुआ था। लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया था देवरिया। उनका निधन 29 अगस्त, 1990 को हो गया। 1967 में इस सदन के सदस्य चुने गये थे। वे इंडियन नेशनल चीनी मिल मजदूर संगठन के अध्यक्ष रहे। स्व0 श्री राजाराम ने कई देशों का भ्रमण भी किया। उनके निधन से जनपद देवरिया ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया है। ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ व समाजसेवी बहुत कम रहते हैं, लेकिन आज हमारे बीच से वे भी चले गये। मैं उनके प्रति श्रद्धाँजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार तक हमारी व सदन की तरफ से संवेदनायें भेजने की कृपा करें।

*नेता विरोधी दल (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय नेता सदन ने सम्मानित स्व0 श्री बेचन राम, सैयद साजिद हुसैन जी, केशभान राय जी व राजाराम जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के सम्बन्ध में जो शोक व्यक्त किया है, मैं भी अपनी भावनायें उनसे सम्बद्ध करता हूं। स्व0 श्री बेचनराम जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और जिन्होंने अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनजीवन में और वाराणसी जनपद के जनजीवन में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। वे उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ के एक लम्बे समय तक अध्यक्ष रहे और जिला परिषद् वाराणसी के उपाध्यक्ष भी रहे। चकिया, चन्दौली और उस तमाम क्षेत्र की सेवा उन्होंने की। उनके निधन से

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् हमारे उत्तर प्रदेश के दलित वर्ग को आवाज उठाने वाला एक प्रमुख समाजसेवी, हमने खो दिया है। उन्होंने जो कांग्रेस को सेवायें की हैं कांग्रेस के माध्यम से जो सेवायें की हैं, वह भी चिर स्मरणीय रहेगी सारे जनपद में। श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें। श्री सैयद साजिद हुसैन जी 1937 तथा 1946 के चुनाव में निर्वाचित हुए थे, और उस समय की विधान सभा में इनका बड़ा योगदान रहा, इसमें उन्होंने काफी सक्रिय भूमिका निभाई। तत्पश्चात् इन्होंने उच्च समाज सेवा और एक शिक्षा सेवी के रूप में दीर्घकाल तक कार्य किया। वह छुआ छूत समाप्त करने के प्रबल समर्थक थे और पायनियर अखबार व अमीरूद्दौला लाइब्रेरी जो कि एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी के रूप में जानी जाती है, के डायरेक्टर रहे एवं उसके विकास एवं रख-रखाव में उनका बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के पुराने राजनीतिज्ञ, जो जनसेवी रहे हैं, उनमें इनका विशेष स्थान था। श्रीमन् मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी हार्दिक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री केशभान राय जी का स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्य रहा है। उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में दो बार कारावास की सजा भुगती और आजमगढ़ जनपद के वह दीर्घकाल तक एक प्रमुख राजनैतिक नेता के रूप में जाने जाते रहे। ये 1952, 1957 तथा उसके पश्चात् 1962 में सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस (आई) के टिकट पर चुने गये। इनका व्यक्तित्व एक निर्विवाद व्यक्तित्व रहा। इनके निधन से गोरखपुर मण्डल ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं शिक्षाविद् खो दिया है। श्रीमन् मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी हार्दिक संवेदनाएं इनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राजाराम जी एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मजदूर नेता थे और इन्होंने इण्डियन नेशनल चीनी मिल मजदूर संगठन के अध्यक्ष की हैसियत से उसका नेतृत्व भी किया और उत्तर प्रदेश में चीनी मिल मजदूरों की समस्याओं के सम्बन्ध में जीवन पर्यन्त जुड़े रहे। इसी संदर्भ में हम सबका उनसे परिचय था। वे आई0 एल0 ओ0 की बैठक में भाग लेने हेतु स्विटजरलैण्ड भी गये और वहां पर उन्होंने श्रमिक कानूनों का गहन अध्ययन भी किया और इसी से सम्बन्धित भी रहे। वे 1967 में सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र हाटा से कांग्रेस (आई) के टिकट पर सर्वप्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गये। लेकिन जो उनका कार्यक्षेत्र था वह एक मजदूर नेता के रूप में था। ऐसे प्रख्यात नेता के निधन पर हम सबकी हार्दिक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, श्री बेचन राम जी, वाराणसी, श्री सैयद साजिद हुसैन, खीरी, श्री केशभान राय, गोरखपुर तथा श्री राजा राम, देवरिया जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं, उनके निधन से आज सदन में उनकी कमी एवं उनकी याद आती रहेगी। उनका हर क्षेत्र में योगदान अपने-अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। मान्यवर, हमारी ओर से एवं हमारे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य, श्री बेचन राम, वाराणसी, श्री सैयद साजिद हुसैन, खीरी, श्री केशभान राय, गोरखपुर, श्री राजाराम, देवरिया के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा माननीय नेता, जनता दल ने व्यक्त किए उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे व मेरे दल की हार्दिक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम चन्द्र जैसवाल—

मान्यवर, स्वर्गीय बेचन रामजी, स्वर्गीय श्री सैयद साजिद हुसैन, स्वर्गीय श्री केशभान राय और स्वर्गीय श्री राजाराम जी इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, उनके निधन से मुझे और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों को कष्ट है। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता जनता दल और माननीय नेता भाजपा ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों को हमारी हार्दिक सम्वेदनायें भेजने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह---

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम, वाराणसी, श्री सैयद साजिद हुसैन, खीरी, श्री केशभान राय, गोरखपुर, श्री राजाराम, देवरिया हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनके निधन से प्रदेश के राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो रिक्तता आई है, उसका पूरा होना संभव नहीं है। मान्यवर, स्वर्गीय, बेचन राम जी हमारे जनपद के ही रहने वाले थे। शरीर से तो वह बहुत कमजोर दिखाई देते थे, लेकिन उनके अन्दर कर्मठता कूट-कूट कर भरी थी और उनके काम के कारण पूरे जनपद में उनकी ख्याति थी। आज वह हमारे बीच नहीं रहे, उनके प्रति मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मान्यवर, सैयद साजिद हुसैन, श्री केशभान राय और श्री राजाराम जी राजनैतिक और सामाजिक तौर से अपने-अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थे और उन लोगों ने जनता के हित के अनेक कार्यक्रमों में में हिस्सा लिया। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवारों को संवेदनायें भेजने का कष्ट करें।

*श्री चेनसुख भारती---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भूतपूर्व सदस्य श्री बेचन राम, श्री सैयद साजिद हुसैन, श्री केशभान राय, श्री राजाराम जी के निधन हो जाने से मैं अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके दुखी परिवारों को हमारे दल की ओर से शोक सम्वेदनायें भेजने का कष्ट करें।

*श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर इस सदन के भूतपूर्व सदस्य यशःकायी श्री बेचन राम, यशः कायी श्री साजिद हुसैन, यशः कायी श्री केशभान राय, यशः कायी श्री राजाराम जी नहीं रहे, उनके निधन से राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र में रिक्तता हुई है, उसका मुझे दुख है। हमारे नेता सदन, नेता विपक्ष दल, तथा अन्य दल के नेताओं ने जो शोकोद्गार इस संबंध में व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं पहुंचा दें।

श्री अध्यक्ष---

सम्मानित नेतागण तथा सम्मानित सदस्यगण, आज भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर सदन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वर्गीय बेचन राम जी जिला परिषद्, वाराणसी के उपाध्यक्ष रहे, वह उत्तर प्रदेश दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष भी रहे। वह एक ईमानदार व्यक्ति थे और समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। उनके निधन से जनपद वाराणसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री सैयद साजिद हुसैन पायनियर पेपर के एवं अमीरुद्दौला लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे। उन्होंने कैसरबाग कोठी (कोटवारा हाउस) लखनऊ में छुआछूत समाप्त करने की कमेटी बनायी थी, जिसकी सप्ताह में एक दिन वे नियमित रूप से बैठक करते थे। वे प्रतिवर्ष 25 छात्राओं को लगभग 15-20 हजार रुपये वजीफा देते थे। श्री हुसैन अनेक समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष/डायरेक्टर भी रहे। दिनांक 19 दिसम्बर, 1987 को विधान सभा के समारोह में आपको सम्मानित भी किया गया था, उनके निधन से जनपद खीरी ने एक कर्मठ राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री केशभान राय जी अपने विद्यार्थी जीवनकाल से ही स्वतंत्रता आन्दोलनों में भाग लेते रहे। वे क्षेत्रीय जनता में अजातशत्रु के नाम से जाने जाते थे। गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण वह दो बार जेल गये तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजीवन सदस्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी रहे। श्री केशभान राय जी आनन्द विद्यापीठ, ककरही, गोरखपुर के संस्थापक थे। इन्होंने 1961 में मलाया तथा सिंगापुर का भ्रमण किया। वे अनेक शिक्षा संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे मनोविज्ञान में उनकी विशेष रूचि थी। उनके निधन से जनपद गोरखपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं शिक्षा विद् खो दिया। श्री राजाराम जी का निधन 29 अगस्त, 1990 को हो गया। वे इंडियन नेशनल चीनी मिल मजदूर संगठनके अध्यक्ष रहे और साथ ही अन्य मजदूर संगठनों में प्रमुख कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी रहे। वे इंडियन लेबर आर्गेनाइजेशन की बैठक के सिलसिले में एक महीना स्विटजरलैण्ड में रहे। उन्होंने जर्मनी आस्ट्रेलिया, रोम, ग्रीस, मिश्र, इंग्लैंड, बेल्जियम, योगोस्लेविया तथा लेबनान का भ्रमण किया। श्री राजाराम जी के निधन से जनपद देवरिया ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया। इन भूतपूर्व माननीय सदस्यों के संबंध में जो भावनायें माननीय नेताओं ने इस सदन में व्यक्त की हैं, उन्हीं भावनाओं के साथ मैं भी अपने को जोड़ते हुए इन लोगों के प्रति श्रद्धाजंलि अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने स्थान पर मौन खड़े होकर श्रद्धाजंलि अर्पित करें।

(सभी सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धाजंलि अर्पित की।)

अब आज सदन की कार्यवाही समाप्त होती है। कल दिनांक 21-2-91 को पुनः 11.00 बजे (पूर्वाह्न) बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

20 फरवरी, 1991

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 8 पर)

नकलचिक

अ0 सं0 528 85 धारा 120 बी/408/201/167 आई. पी. सी. थाना अकबरपुर चिक संख्या 340।

घटना दिनांक–11–2–84 समय अदमतहरीर

सूचना–29–12–85 समय 2 बजे ए. एम.

घटनास्थल---मरैला मिल अकबरपुर 8 किलोमीटर पूरब उत्तर

वादी---श्री एस0 के0 मलिक निरीक्षक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर।

बनाम--1–बाबूराम त्रिपाठी–सुरक्षा सैनिक मरैला मिल

2–अतहर हुसैन–सहायक प्रबन्धक मरैला मिल

3---राम जनम श्रीवास्तव कर्मचारी मरैला मिल–4–एस0 एन0 कटियार

5---एस0 के0 सिंह मुख्य अधिशासी मरैला मिल पी0एस0–अकबरपुर फैजाबाद

विवेचक–विवेचना द्वारा अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उ0 प्र0 गोरखपुर द्वारा होगी।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

इन्सपैक्टर इन्चार्ज थाना अकबरपुर फैजाबाद श्री बाबूराम यादव उप सचिव उ0 प्र0 शासन ने अपने प0 सं0 16/84 गो0 7 दिनांकित 23–3–84 के साथ श्री प्रियदर्शी जेटली सदस्य विधान सभा का शिकायती प्रार्थना पत्र को मुख्यमन्त्री महोदय उत्तर प्रदेश को सम्बोधित संलग्न करते हुए अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश से जांच कराये जाने की अपेक्षा की थी। इस जांच के मध्य यह प्रकाश में आया कि ट्रक नं0 यू0 एच0 एच0 1 15 दिनांक 1–2–84 को माल लादने हेतु अकबरपुर कताई मिल में प्रवेश किया यह माल चूड़ीवाल ब्रदर्स मऊ नाथ भंजन को जाना उक्त ट्रक पर 125 बोरे के बजाय 126 बोरा माल लादा गया अन्य बोरों में 2 से ढ़ाई के0 जी0 निर्धारित मात्रा से अधिक पैक किया हुआ था दिनांक 10–2–84 को बाबूराम त्रिपाठी सुरक्षा सैनिक व श्री अतहर हुसैन सहायक प्रबन्धक की ट्रक पर माल लदवाने की डियूटी थी उन्होंने जानबूझ कर अपने लाभ के लिये व चूड़ी वाल ब्रदर्स को लाभ पहुंचाने हेतु उक्त ट्रक पर ज्यादा माल लदवाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया तथा राम जनम श्रीवास्तव ने जानबूझ कर उक्त बोरों में निर्धारित मात्रा से अधिक माल पैक करवाया। इस तथ्य की सूचना मिल के कर्मचारियों श्री अनिरुद्ध सिंह आदि ने मौखिक रूप से श्री एस0 एन0 कटियार को की तो उन्होंने उक्त ट्रक को रोकवाकर उसकी चेकिंग दिनांक 11–2–84 को कारवाई और शिकायत सही होने पर दूसरे दिन पुनः रिकार्ड में अंकित मात्रा से अधिक माल उक्त ट्रक से उठवाकर दिनांक 10–2–84 के इक्साइज गेट पास पर ही दिनांक 11–2–84 को ट्रक व माल को निकासी करा दिया जो नियम विरुद्ध है श्री एस0 एन0 कटियार ने इस मामले की कोई लिखा-पढ़ी तत्काल नहीं की और उक्त घटना का कोई मुकदमा अंकित नहीं कराया दिनांक 11–2–84 को माल पास हो जाने के बाद मिल के मुख्य अधिशासी श्री एस0 के0 सिंह ने कार्यभार ग्रहण किया श्री एस0 एन0 कटियार ने मौखिक उक्त सूचना मुख्य अधिशासी को दिया जिसके आधार पर मुख्य अधिशासी ने भी इस अपराधिक षड़यन्त्र की कोई सूचना देकर कहीं भी कोई अभियोग पंजीकृत कराया जबकि अपने स्तर पर उन्होंने दोषी उक्त कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेकर उन्होंने चेतावनी देकर छोड़ दिया मिल के अधिकारियों का यह कार्य अन्तर्गत धारा 120 बी/408/201/218/167 भा0 दं0 वि0 का अपराध है। अतः उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करके पत्र वाहक द्वारा प्र0 सू0 रि0 की प्रति व सा0 दं0 की कार्यवाही मुकदमा की एक एक प्रति भेजने की कृपा करें हस्ताक्षर एस0 के0 मलिक निरीक्षक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश गोरखपुर दिनांक 26–12–85 लेखक एफ0 आई0 आर0 मन्शा राम रावत है0 मु0 29–12–85

नोट---नकल मुताबिक असल के है।

ह0 अपठनीय
1–10–90

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

संलग्नक

आग्नेयास्त्र लाइसेंस पर लगे प्रतिबन्ध से 7 श्रेणियों के आवेदकों को प्रतिबन्ध से मक्त रखा गया है जो निम्न हैं:—

(1) बैंक अर्द्ध शा0 एवं सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षा हेतु।

(2) सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो छापे डालने एवं तस्करों को पकड़ने के कार्य से संबद्ध हों।

(3) मृतक लाइसेंसियों के उत्तराधिकारियों को।

(4) विधान परिषद् विधान सभा एवं संसद सदस्य जिनका अपराधिक इतिहास न हो।

(5) ऐसे लाइसेंसी जो अपनी वृद्धावस्था के कारण अथवा शारीरिक असमर्थता के कारण शस्त्र चलाने में असमर्थ हैं, के वारिसों के मामले।

(6) जिन व्यक्तियों के यहां डकैती पड़ जाती है, लूट हो जाती है, हत्या हो जाती है या अन्य जघन्य अपराध हो जाता है जिसके फलस्वरूप संबंधित व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है।

(7) शासकीय अधिकारी जिन्हें अपने कर्तव्यों के फलस्वरूप सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्र की आवश्यकता है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 27 पर)

अपहृत व्यक्तियों के नाम व पते	अपहरण करने वालों के नाम	जीवित वापस आये	मार दिये गये	लापता	विच्छेदन की तिथि
1	2	3	4	5	6
1—कमल किशोर पुत्र फूल चन्द्र निवासी मल्लाहपुर बिल्हौर ।	अज्ञात	..	..	जी हां	..
2—बबलू पुत्र राम आसरे निवासी गौरी थाना बिल्हौर ।	अज्ञात	जी हां	..	..	..
3—सुघर सिंह पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी बिल्हौर ।	1—कमलेश पुत्र रज्जाक नि. बारामऊ, बिल्हौर 2—गोपाली नि0 मोती राधन, शिवराजपुर । 3—तेज सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद नि0 बरगदिया पुरवा थाना ककवन । 4—भारत सिंह पुत्र लल्लू सिंह नि0 मुरादनगर, थाना बिल्हौर । 5—सर्वेश कुमार पुत्र प्रभू नि0 बारामऊ, बिल्हौर । 6—पुत्तन पुत्र बालकराम नि0 डुडवाजमोली, बिल्हौर ।	..	..	जी हां	..
4—लल्लन कुमार पुत्र रामस्वरूप नि0 खाडामऊ, थाना बिल्हौर ।	अज्ञात	जी हां			

अपहृत व्यक्तियों की संख्या:—4 जीवित हैं वापस आये—2 लापता:—2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 125 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर)

संलग्नक 'क'

मैसर्स परफेक्ट इन्जी0 में कार्यरत श्रमिकों का विस्तृत विवरण--

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पदनाम
1	श्री प्रमोद कुमार सिंह	स्व0 बद्री सिंह	सुपरवाइजर
2	श्री सुवास यादव	श्री बंशी यादव	लम्बर
3	श्री मुन्सरीम अन्सारी	स्व0 लाल मुहम्मद	फिटर
4	श्री कृष्ण सुमन सिंह	श्री प्रभु सिंह	फिटर
5	श्री मु0 हासिम अन्सारी	स्व0 हबीउलाह	बेल्डर
6	श्री ए0 ए0 कलाम	स्व0 ए0 ए0 कमाल	पम्प आपरेटर
7	श्री अमानुउल्लाह शर्फी	श्री शम्मी उल्लाह सर्फी	इलं0
8	श्री अर्जून सिंह	श्री सत्ता सिंह	हेल्पर
9	श्री फुलना यादव	स्व0 काशी यादव	हेल्पर
10	श्री बजरंगी प्रसाद	श्री सुदामा प्र0 गुप्ता	बाल्व आपरेट
11	श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह	स्व0 गंगाराम सिंह	हेल्पर
12	श्री गुलाम सरवर	श्री गुलाम रब्जानी	पंम्प
13	श्री मुरलीधर	श्री सहदेव	हेल्आपरे
14	श्री क्यामुद्दीन	स्व0 श्री अलीजान शेख	रपर
15	श्री धुरफेकन चौहान	श्री सम्पतर या चौहान	बाल्व आ
16	श्री मोबीन अन्सारी	श्री कमरूद्दीन अन्सारी	हेल्परप
17	श्री शिवधर चौहान	श्री मगरू चौहान	—
18	श्री लाल मणि मौर्या	स्व0 श्री खुशी लाल	हेल्पर
19	श्री मन्द्रीप इन्दवार	श्री सावना इन्दवार	हेल्पर
20	श्री जीसफ सुरेन	श्री नटु सुरेन	बाल्व आपरे
21	श्री मो0 अरशद	श्री एस0 ए0 बरकात	बाल्व आप
22	श्री हरी प्रसाद	श्री नान्हू प्रसाद	हेल्पर
23	श्री शकील बरकात	श्री एस00 बरकात	सुपरवाइजर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्न क–'ख'

मैसर्स ईस्टर्न इंजीनियरिंग कार्पोरेशन में लगाये गये श्रमिकों का विवरण

(सितम्बर–1990)

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	पद
	सर्वश्री—	सर्वश्री—	
1	राजेश कुमार राय	गिरजा शंकर राय	सुपरवाईजर/ इलेक्ट्रिसियन
2	पारस नाथ त्रिपाठी	राम सिंगार त्रिपाठी	सुपरवाइजर
3	राम स्वरूप सिंह	फकीरा सिंह	आपरेटर
4	श्रीराम	कन्हैया लाल	आपरेटर
5	कमलेश सिंह	शोम नाथ	आपरेटर
6	बदन शाह	राधी शाह	फिटर
7	खरपथ राय	सूर्यनाथ राय	फिटर
8	रामजीत सिंह	साधू सरन सिंह	हेल्पर
9	लालचन्द्र	कालेदीन शर्मा	हेल्पर
10	कैलाश राम त्रिपाठी	राम प्यारे त्रिपाठी	हेल्पर
11	शुरेन्द्र शर्मा	कैलाश शर्मा	हेल्पर
12	फूल चन्द्र	अगपित	हेल्पर
13	राम गरीब	मथुरा प्रसाद	हेल्पर
14	सुखारी महतो	राम दास	बिल्डर

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

दिनांक 1-5-90 से 30-6-90 तक नैनीताल क्लब, नैनीताल में ठहरे आई0 ए0 एस0 अध्यासियों की सूची

क्रमांक	अध्यासी का नाम	अवधि	कक्ष काटेज
	सर्वश्री/श्रीमती		
1	राममणी पाण्डेय	(23-5-90 से 25-5-90)	12
2	एम0 बछावत	(31-5-90 से 1-6-90)	03
3	एम0 के0 सिंह	(1-6-90 से 2-7-90)	03
4	डी0 पी0 सिंह कमिश्नर	(25-5-90 से 28-5-90)	04
5	जगदीश खट्टर	(1-6-90 से 11-6-90)	04
6	कमलटावरी	(7-5-90 से 8-5-90)	05
7	नीरा यादव	(3-6-90 से 4-6-90)	05
8	के0 एल0 शर्मा	(14-5-90 से 16-5-90)	06
9	बृजेन्द्र सिंह	(3-6-90 से 5-6-90)	06
10	बृजेन्द्र सिंह	(5-6-90 से 26-6-90)	09
11	ए0 एन0 सहगल	(13-5-90 से 31-5-90)	07
12	महेश प्रसाद	(30-5-90 से 15-6-90)	07
13	बी0 एम0 बोहरा	(16-6-90 से 22-6-90)	07
14	आर0 एस0 माथुर	(12-5-90 से 18-5-90)	08
15	वी0 के0 सक्सेना	(2-6-90 से 3-6-90)	08
16	प्रभात कुमार	(12-6-90 से 20-6-90)	08
17	आर0 वेंकटनारायण	(21-6-90 से 24-6-90)	08
18	देवीदयाल	(22-6-90 से 24-6-90)	11
19	देवीदयाल	(24-6-90 से 25-6-90)	08
20	नीरा यादव, परिवार	(23-5-90 से 31-5-90)	09
21	अजीत सेठ, परिवार	(15-5-90 से 22-5-90)	10
22	आर0 आर0 शाह	(02-6-90 से 06-6-90)	10
23	मुख्तार अहमद	(10-6-90 से 18-6-90)	10
24	आर0 डी0 पाठक	(05-5-90 से 12-5-90)	11
25	अनिल कुमार	(24-5-90 से 25-5-90)	11
26	ए0 पी0 सिंह	(30-5-90 से 02-6-90)	11
27	सुरेन्द्र मोहन	(02-6-90 से 05-6-90)	11
28	इन्द्र प्रकाश एरन	(5-6-90 से 12-6-90)	11
29	श्यामसूरी	(12-6-90 से 18-6-90)	11
30	चन्द्र प्रकाश	(23-6-90 से 24-6-90)	13
31	सी0 सी0 काण्डपाल	(11-5-90 से 15-5-90)	47
32	रमेश चौधरी	(12-6-90 से 15-6-90)	49
33	डा0 जे0 पी0 सिंह	(9-5-90 से 13-5-90)	50
34	आर0 एम0 पाण्डेय	(22-5-90 से 23-5-90)	50

1	2	3	4
35	आर0 एस0 निगम	(27-5-90 से 02-6-90)	5
36	आर0 डी0 मथुर	(06-5-90 से 10-5-90)	51
37	डी0 एन0 दूबे	(20-5-90 से 20-5-90)	55
38	विजय शर्मा	(01-6-90 से 04-6-90)	55
39	रीता शर्मा	(01-6-90 से 04-6-90)	56
40	एस0 डब्लू0 किरमानी	(17-6-90 से 21-6-90)	29
41	आर0 चौधरी	(22-5-90 जे 27-5-90)	29
42	देवीदयाल	(22-6-90 से 25-6-90)	29
43	वी0 वी0 पाण्डेय	(08-5-90 से 11-5-90)	32
44	पी0 के0 सिह	(15-6-90 से 17-6-90)	32
45	एस0 एल0 शर्मा	(24-5-90 से 27-5-90)	33
46	एस0 के0 खुराना	(4-6-90 से 09-6-90)	33
47	एस0 एल0 शर्मा	(24-5-90 से 27-5-90)	34
48	किशोर मेहर	(07-6-90 से 12-6-90)	33
49	पी0 के0 सिह	(15-6-90 से 17-6-90)	3 8
50	कालिका प्रसाद	(17-5-90 से 18-5-90)	40
51	के0 पी0 श्रीवास्तव	(30-5-90 से 03-6-90)	41
52	पी0 के0 रस्तोगी	(07-5-90 से 10-5-90)	43
53	जे0 सी0 गोस्वामी	(29-5-90 से 31-5-90)	20
54	जयश्री गुप्ता	(26-6-90 से 27-6-90)	20
55	बृजेन्द्र सिह कमिश्नर	(20-5-90 से 21-5-90)	21
56	मीता चौधरी	(24-6-90 से 27-6-90)	21
57	सी0 आर0 ब्राहम	(10-5-90 से 11-5-90)	22
58	जे0 पी0 सिह	(16-5-90 से 11-5-90)	22
59	डा0 एस0 सी0 ओझा	(06-5-90 से 07-5-90)	23
60	शंकर अग्रवाल	(20-5-90 से 22-5-90)	23
61	लक्ष्मीचन्द्र	(31-5-90 से 06-6-90)	23
62	के0 के0 जायसवाल	(22-5-90 से 24-5-90)	24
62	अशोक प्रियदर्शी	(30-5-90 से 06-6-90)	24
63	एन0 सी0 शर्मा	(22-6-90 से 23-6-90)	24
64	एम0 रंजन	(13-5-90 से 05-6-90)	25

1	2	3	4
65	आर० एन० शर्मा	(13-6-90 से 19-6-90)	25
66	रामकुमार	(09-5-90 से 12-5-90)	26
67	डा० जे० पी० सिंह	(24-5-90 से 27-5-90)	26
68	देवी दयाल	(23-6-90 से 25-6-90)	26
69	आर० पी० विश्वकर्मा	(28-5-90 से 31-5-90)	27
70	एस० प्रियदर्शी	(04-6-90 से 10-6-90)	27
71	देवीदयाल	(22-6-90 से 25-6-90)	27
72	रवी माथुर	(17-5-90 से 24-5-90)	46
73	तदैव	(25-5-90 से 30-5-90)	46
75	एन० के० सबरवाल	(20-6-90 से 22-6-90)	46
76	कैबिनेट सेक्रेटरी के परिवार के सदस्य	(22-6-90 से 02-7-90)	46
77	तदैव	(24-6-90 से 02-7-90)	48
78	तदैव	(22-6-90 से 02-7-90)	49
79	तदैव	(22-6-90 से 02-7-90)	50
80	तदैव	(22-6-90 से 02-7-90)	51
81	तदैव	(24-6-90 से 02-7-90)	23

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र–1991 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न–संख्या–145 के उत्तर का संलग्नक

विकास खण्ड का नाम	स्थान (ग्राम)	किये गये कार्य का नाम	विभिन्न वर्षों में व्यय की गई धनराशि 87–88	1988–89		1989–90		योग		विवरण
				मृदा काय घ0मी0	व्यय धनराशि रुपये में	मृदा काय घ0मी0	व्यय धनराशि रुपये में	मृदा कार्य घ0मी0	व्यय धनराशि रुपये में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मंझनपुर	1–मईला	1–तालाब निर्माण	क्षेत्र चयन कार्य	5400	29187	..	..	5400	29187	कार्य पूर्ण हो गया है।
		2–तालाब निर्माण	,,	..	..	4300	26054	4300	26054	कार्यपूर्ण हो गया है।
	2–मझियाँव	1–तालाब निर्माणब निर्माण	,,	3431	26092	3600	21369	7031	47461	कार्यपूर्ण हो गया है।
	3–मझियाँवा नेवारी जल निकास	1–जलनिकास कार्य लम्बाई 3246 मी0 चार पक्की पुलिया सहित	,, ,,	9747 कार्य प्रारम्भ	68525 06201	.. चार पक्की पुलिया 14642	..	9747 चार पक्की पुलिया 60843	68525	कार्य पूर्ण हो गया है।
		योग ..		18578	170005	7900	62075	26478	232080	

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 152 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 60 पर)

काटेज	ड्यूटी दर पर	गैर ड्यूटी पर	प्राइवेट
1–2 शैल काटेज	25–00	150–00	400–00
3, 4, 6 साइप्रेस काटेज	12–50	75–00	200–00
5 तदैव	12–50	57–00	150–00
7,8,9 नई काटेज	15–00	150–00	400–00
10, 11 नई काटेज	12–50	75–00	200–00
16 डबुल रूम ..	12–50	75–00	200–00
32 सिंगिल रूम ..	10–00	52–00	140–00
3 डारमेटी 10 बैड ..	1–50 प्रतिबैड	3–00 प्रतिबैड	16–00

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ब'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

टाण्डा तापीय परियोजना में ठेकेदारों को बकाया धन की दिनांक 31 जनवरी 1991 की स्थिति

क्रमांक	ठेकदार/फर्म का नाम	बकाया धनराशि (रु0)	कब से लंबित है
1	(अ) मै0 बी0एच 0ई0एल0 नई दिल्ली	42,00,000.00	17-3-90
	(ब) ,, ,, वाराणसी	3,43,446,26	22-1-91
2	,, इन्स्ट्रूमेंटेशन लि0	30,02,899·08	28-3-90 से 5-1-91
3	,, डेजीन, नई दिल्ली	31,328.00	12-9-90
4	,, टाटा राविन्स फेजट लि0	10,31,647.50	31-3-90
5	,, पहाड़पुर कूलिंग वर्क्स कलकत्ता	2,31,471.47	25-5-90
6	,, ए0बी0सी0 इण्डिया लि0	7,435.40	16-9-90
7	,, प्रेम इलेक्ट्रिक एण्ड आटो कार्पो0 लखनऊ	22,656.00	1-5-90
8	,, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0	30,52,955.70	1-4-90 से 20-10-90
9	,, ल्वायड इन्सुलेशन्स प्रा0 लि0	93,525.67	5-1-91
10	,, अजन्ता ट्यूब्स लि0 ..	86,600,83	26-12-90
11	,, डेल्टन सेल्स लि0 ..	51,119,93	17-10-90
12	,, ओटिस एलीवेटर कं0 (इण्डिया) लि0	70,078.05	17-10-90
13	,, जगत इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0 ..	46,080.00	19-1-91
14	,, आसिया ब्राउन बावरीज ..	75,694.94	7-1-91
15	,, बी0एच0ई0एल0 वाराणसी ..	2,17,921.52	12-1-91
16	,, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 ..	6,77,378.00	5-1-91
17	,, विजय इंडस्ट्रीज ..	13,451,40	5-1-91
18	,, कान्टीनेन्टल प्रोफाइल्स लि0	17,783.94	27-1-91
19	,, आई0एल0 कोटा ..	14,43,067.77	13-11-90
20	,, आर0एल0 केमिकल वर्क्स कानपुर	6,713.94	18-8-90
21	,, बी0एच0ई0एल0 बंगलौर	2,72,782.59	9-10-90
22	,, अजय इंजीनियरिंग कं0 बम्बई ..	99,008.00	14-9-90
23	,, जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि0 लखनऊ	29,897.00	30-6-90
24	,, जनरल इलेक्ट्रिक कं0 कानपुर ..	29,045.12	29-12-90
25	,, के0एस0आर0 एजेन्सी फैजाबाद ..	56,685.00	25-6-90
26	,, टी0आर0ए फ0 जमशेदपुर ..	11,85,265.65	6/90 से 8/90
27	,, आई0एल0 कोटा	89,270.00	9-10-90
28	,, यूपी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव लि0	12,600.00	10-1-91
29	,, इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन एच0सी0एल0लि0	11,493.30	14-9-90
30	,, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 ..	4,67,803.42	1/91
31	,, मै0 इंडस्ट्रियल मेडिकल इंजीनियरिंग, दिल्ली	43,757.00	1/91
32	,, श्री मंशाराम कांट्रेक्टर ..	29,964.00	9-1-91

क्रमांक	ठेकेदार/फर्म का नाम	बकाया धनराशि (रु0)	कब से लम्बित है
33	मै0 सिम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्स इंडिया लिमिटेड	4,926.61	28–2–90
34	,, लकी बिल्डर्स ..	1,59,903.03	31-3-90 से 31-1-91
35	,, प्लाईडोर इण्डस्ट्रीज ..	84,164.30	31–3–90
36	,, माडर्न कन्स्ट्रक्शन ..	5,235.28	18–12–90
37	श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव ..	84,201.84	31–3–90
38	मै0 प्रेस्टील फेब्रीकेशन ..	44,406.00	9–8–90
39	,, सिम्पलेक्स कंक्रीट पाइल्स ..	1,69,741.43	4/90
40	एच. एस. सी. एल. ..	24,79,304.54	31-3-90 से 23-1 91
41	.. दि इन्फील्ड इंडिया लि0 ..	23,486.66	11–12–90
42	,, बाजवासी उद्योग ..	32,500.00	12/90
43	,, झुनझुनवाला गुड्स कैरियर ..	13,433.00	3/90
44	,, अप्ट्रान इंडिया लि0 ..	31,178,00	12/90
45	,, एस. एन. कांस कं0 ..	6,100.00	16–12–90
46	,, बोल्टाज लि0	64,344.00	3/90
47	श्री इकबाल सिंह ..	9,907.00	2–1–90
48	,, प्रेम इलेक्ट्रिक आटो कारपोरेशन ..	6,044.00	23–3–90
49	,, भारत हैवी इले0 लि0 ..	79,531.42	25-9-90 से 23-1-91
50	,, वेस्टर्न इंडिया इण्टरप्राइजेज लि0	73,000.00	24,1,91
51	,, ऊषा हाइड्रो डाइनामिक्स लि0 ..	42,606.90	11/90
52	,, लायड सुलेशन इण्डिया ..	93,147.96	11/90 से 1/91
53	,, इंग्लिश इलेक्ट्रिक कं0 ..	59,750.00	1/91
54	,, इलेक्ट्रोमेक सेल्स लखनऊ ..	19,005,00	11/90
55	,, मेडिकल इन्स्ट्रूमेंट कं0	15,111.90	11/90
56	,, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ..	10,41,808.00	12/90
57	,, अनीस इण्टर प्राइजेज ..	12,60,31.18	8/90 से 12/90
58	,, अनीस एण्ड जायसवाल कंस्ट्र0 ..	35,583.58	8/90 से 12/90
59	,, वीको इलेक्ट्रिकल्स ..	13,35,827.95	10/90 से 12/90
60	,, श्री कमला प्रसाद यादव ..	3,375.00	10–12–90
61	मै0 ऐक्मे इलेक्ट्रिकल्स ..	10,395.00	1–12–90
62	,, लायड इन्सूलेशन प्रा0 लि0 ..	1,13,062.31	11/90 से 12/90
	योग	2,32,80,940.87	

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 188 का उत्तर पीछे पृष्ठ 73 पर
मो0 आलम ठेकेदार को किये गये भुगतान की स्थिति

क्रम-संख्या	कार्य का नाम	आगणन की राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	डाट लाइन एक्सचेंज में वाल पेनिलिंग का कार्य	29,000	27,559	पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।
2	हाट लाइन एक्सचेंज में पार्टीशन का कार्य	8,880	8,865	तदैव
3	गेट नं0–8 का पिलर एवं बाउण्ड्री वाल का निर्माण	19,000	18,331	तदैव
4	विधान परिषद् रद्दी गोदाम के पास जनरेटर रूम का निर्माण	8,240	7,917	तदैव
5	विधान भवन मेन पोर्ट में लोहे का कलप्सेबुल गेट का लगाना	5,126	4,838	तदैव
6	माननीय मंत्री ग्राम विकास के कक्ष सं0–87 में बाथरूम का नवीनीकरण	32,000	14,067	तदैव
7	ए0 पी0 सी0 के कक्ष में पार्टीशन दरबाजा प्लास्टिक पेन्ट का कार्य	35,000	24,486	तदैव
8	विशेष सचिव ग्राम विकास के कक्ष सं0–53 फेज–1 में पार्टीशन प्लास्टिक पेन्ट बुड फेमिंगडोर क्लोजर का कार्य	11,815	9,349	तदैव
9	कक्ष सं0–46 में पार्टीशन का कार्य	17,000	13,090	तदैव
10	सहायक अभियन्ता विद्युत के कक्ष में पार्टीशन का कार्य सचिवालय द्वितीय व तृतीय में	15,000	13,844	तदैव
11	माननीय श्रम मंत्री जी के कमरे में वाल–पेनलिंग का कार्य	7,000	58,428	तदैव
12	सहायक अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड के कमरे में पार्टीशन का कार्य	15,000		वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा। देयक तैयार करा लिया गया है।
13	माननीय डिप्टी स्पीकर के कमरे में वाल पेनलिंग का कार्य	17,000		तदैव
14	विधान भवन तथा बहुखण्डी भवन में पुताई व रंगाई का कार्य	65,000	49,545	पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।
		3,51,061	2,65,774	

पी0एस0यू0पी0–एल0 531 वि0 सभा (907) 1991–572 ।